खण्ड-349, अंक-3
बुधवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1902
(25 फरवरी, 1981 ई0)

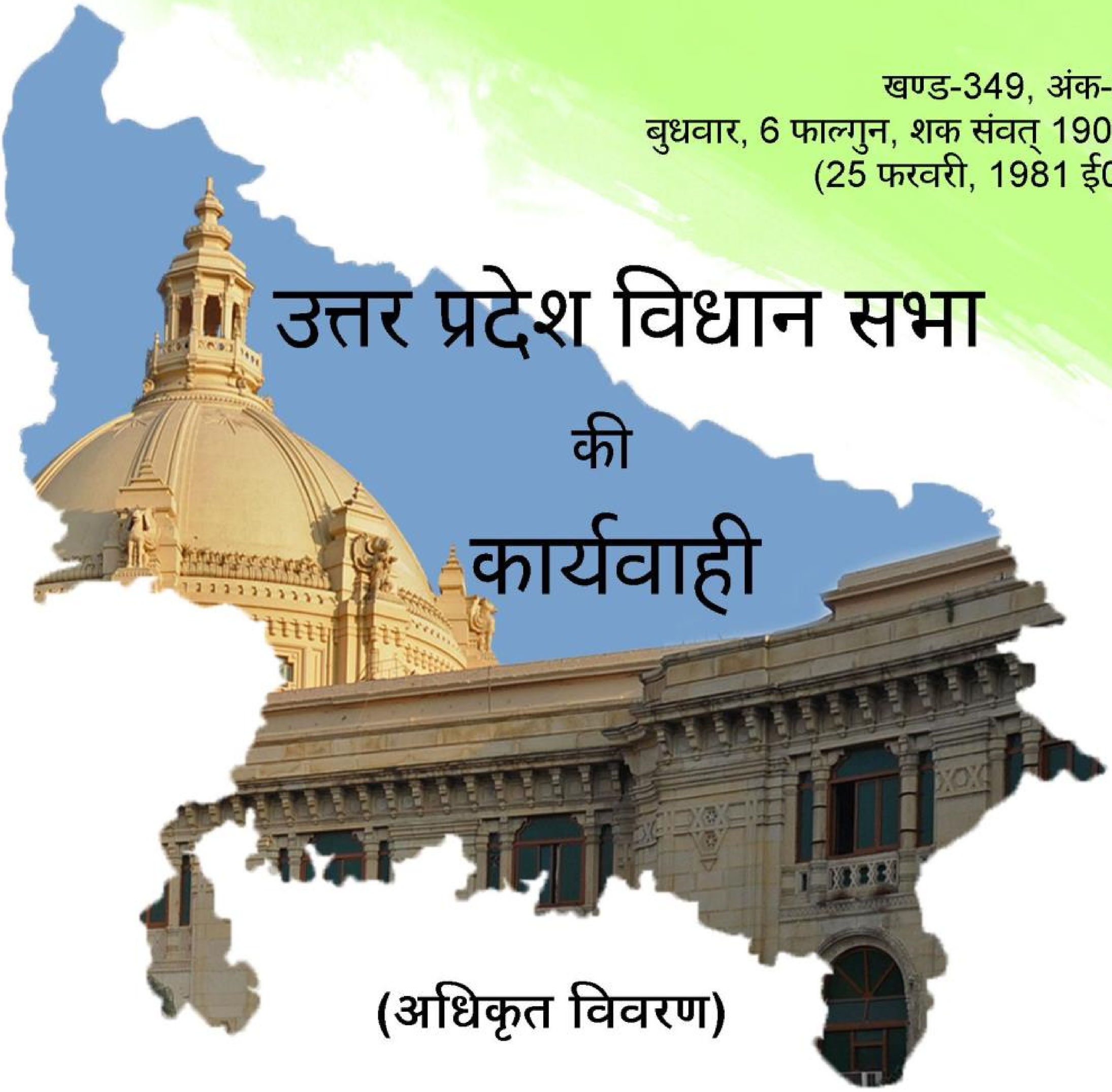

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 349 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	381—384
प्रश्नोत्तर	385—440
ग्राम मुबारकपुर, थाना मवाना, जनपद मेरठ, निवासी ब्रह्म सिंह के परिवार के सदस्यों को डकैतों द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	441
असामाजिक तत्वों द्वारा गोलियां चलाए जाने से साजन टाकीज, वाराणसी के प्रबन्धक एवं दर्शक छात्रों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	441—442
अजामतुल दारूल वलूम अशरफिया कालेज के प्रांगण में घुसकर श्री नन्द लाल गुप्त उर्फ मन्नू, निवासी मुबारकपुर (आजमगढ़) द्वारा धमकी एवं निर्माण कार्य बन्द करा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	442
निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड 52 द्वारा नहर निर्माण से फसल की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	442—443
मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच के स्थापना के प्रश्न पर अदालतों से वकीलों द्वारा वहिष्कार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	443
श्री लल्लू सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना	444
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं रुड़की विश्वविद्यालय सिनेट की सभी के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्रों में नामों की घोषणी	444—443
नान सलाफिटेशन प्रोसेस द्वारा उत्पादित खाण्डसारी पर लेवी के सम्बन्ध में वक्तव्य	446—447
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं तथा इटावा जनपद के अछल्दा थाने की पुलिस द्वारा श्री उदल सिंह को इनकाउन्टर में मारे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	447—452
1981-82 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 33—शिक्षा, अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा, अनुदान संख्या 110—शिक्षा विभाग-ऋण तथा अग्रिम तथा अनुदान संख्या 111-प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण एवं अग्रिम (स्वीकृत)	452—512

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	512
मुजफ्फरनगर के कांधला थाने में कतिपय लोगों की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से दो लोगों की कथित मृत्यु तथा श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	513—521
नत्थियां	522—532

अपर पदेन सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—346

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, (उर्फ सुल्तान भैय्या (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0सी0 ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अंसारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुडिया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, "विकल साकेती", श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (आजमगढ़)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धूपराय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)

भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मंजूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार, अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम प्यारे, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)

राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ फरवरी, १९८१

तारांकित प्रश्न

*१—श्री राम आसरे वर्मा—

[४-२-८१ को अतारांकित प्रश्न संख्या ९ द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर की प्रेक्षागृह निर्माण योजना

*२—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में क्षेत्रीय क्रीड़ागन के एक खंड में कला केन्द्र प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु वर्ष ७९ में बनाई गई योजना को रद्द कर दिया गया है जिसका उद्घाटन ८ नवम्बर, ७९ को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मधुकर दिघे ने किया था ? क्या कला केन्द्र प्रेक्षागृह के निर्माण स्थल पर अब स्विमिंग पूल का निर्माण किया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

खेलकूद मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

जी, नहीं । गोरखपुर में प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु वर्ष १९७९ में बनायी गयी योजना रद्द नहीं की गयी है । गोरखपुर में क्षेत्रीय क्रीड़ांगन की १५२६ एकड़ भूमि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा खेलकूद विभाग को १९७४ में हस्तान्तरित की गयी थी । प्रदेश के उदीयमान तैराकों को तैराकी की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से १९८० में तरणताल के निर्माण की स्वीकृति दी गयी । यह प्रश्न कि उक्त प्रेक्षागृह क्रीड़ागन के एक खंड में बनाया जाय अथवा इसके लिए अन्यत्र भूमि की व्यवस्था की जाय, शासन के विचाराधीन है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, इस प्रेक्षागृह का निर्माण कब प्रारम्भ होगा और इस पर कितना खर्च किया जायेगा तथा प्रदेश के तैराकों की सुविधा के लिये तरणताल में कितना खर्च होगा और कब तक इसका निर्माण हो जायेगा ?

श्री विद्याभूषण—

मान्यवर, यह प्रश्न सांस्कृतिक कार्य अनुभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण में एक एडीटोरियम के निर्माण के लिये दो लाख १४ हजार का अनुदान उनके द्वारा प्राधिकरण को दिया गया था । इसकी जिम्मेदारी सांस्कृतिक कार्य अनुभाग की है, यह खेलकूद विभाग के अन्तर्गत नहीं आता । इसका उत्तर सांस्कृतिक कार्य अनुभाग ही दे सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मंत्री जी का उत्तरदायित्व है या नहीं तो अगर यह बात उस समय सरकार के ध्यान में नहीं थी, तो फिर इसको माननीय अध्यक्ष जी को वापस कर देना चाहिये था, फिर क्यों आज इस सदन का समय अनावश्यक रूप से नष्ट किया जा रहा है ? प्रश्न के द्वारा सब समस्यायें माननीय मंत्री जी के सामने आ गयी थीं कि १९७४ में जमीन मिली और १९७९ में पैसा आवंटित किया गया, तो क्या मंत्री जी ने कठिनाई को जानने की कोशिश की ? क्या यह जानने की कोशिश की कि सरकार के द्वारा कौन सा कदम उठाया जाय कि तत्काल यह समस्या हल की जा सके ?

श्री विद्याभूषण— .

मान्यवर, यह जमीन स्पोर्ट्स विभाग की नहीं है बल्कि यह स्वायत्त शासन विभाग की है और स्वायत्त शासन विभाग ने इसको इसे फ्री में दिया था और उस पर एक एग्रीमेन्ट हुआ था । अब यदि स्पोर्ट्स विभाग उस एग्रीमेन्ट के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो जमीन स्वायत्त शासन विभाग हस्तान्तरित कर सकता है । स्पोर्टस विभाग उस जमीन को किसी भी दूसरे कार्य के लिये हस्तान्तरित नहीं कर सकता तो इस जमीन के लिये हमसे परामर्श ही नहीं लिया गया । इसके लिये इतना तो मैं कह सकता हूं कि जमीन उपलब्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जायेगी, एडीटोरियम बना दिया जायेगा । ७

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह तो दो विभागों का आपसी और टेक्निकल झगड़ा है और इस झगड़े की वजह से मामला रुका हुआ है । इन समस्याओं का निराकरण करके जो दो विभागों के झगड़े से पैदा हो गयी है और इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हो रही है तो सरकार इसके लिये कौन सा प्रयास कर रही है ?

श्री विद्याभूषण —

इसके लिये जमीन उपलब्ध किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

*३—श्री रियासत हुसैन तथा श्री राम गोविन्द—

[२९-९-८० को अल्प सूचित प्रश्न संख्या २ द्वारा उत्तरित]

*४—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[२९ वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५—श्री ऊदल—

[५ वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में संचालित ट्रकों की बोझा लादने की सीमा

*६—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जब १२ टन बोझा लादने की अनुमति ट्रकों को दी जाती है, तब आर० टी० ओ० अथवा ए० आर० टी० ओ० की चेकिंग के बावजूद भी १८-२० टन माल लादकर ट्रक चलाये जाते हैं फलस्वरूप राज मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन राजमार्गों के क्षतिग्रस्त न होने के लिए कोई कारगर कदम उठाने की सोच रही है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)—

यह सही नहीं है कि चेकिंग के बावजूद भी अधिकतर ट्रक अनधिकृत रूप से १८-२० टन माल लादकर चलाए जाते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सड़कों का जो निर्णय होता है मानयवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह १२ टन बोझ लादने की क्षमता से किया जाता है और माननीय मंत्री जी इतनी बड़ी बात को साफ मुकर गये । इन्होंने परिवहन विभाग के अफसरों पर प्रहार किया है । यहां की सड़कें अपनी भग्नावस्था में आज भी पड़ी हुई हैं और उत्तर प्रदेश शासन से मांग कर रही हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाय और यहां माननीय मंत्री जी अपने परिवहन विभाग की रक्षा के लिये उत्तर देते हैं कि यह सही नहीं है कि ट्रकें अनधिकृत रूप से १८-२० टन का बोझ लादकर सड़कों पर चलते हैं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्पष्ट बतायें कि वे अपने परिवहन विभाग के कुकृत्यों को छिपाने के लिए जो उन्होंने असत्य सूचना सदन के सामने रखी है, उसके लिए वह क्या उपाय सोच रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

माननीय सदस्य की जो शंका है, वह सही नहीं है । २० टन लोड के हिसाब से सड़कों को बनाया जाता है और २० टन लोड के लिए एथोराइज्ड हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा लाद लेते हैं, जिसकी चेकिंग होती है । अब तक १८४२३ मामलों में चेकिंग की गई लेकिन मान्यवर, यह बात सही नहीं है कि हमेशा ही अधिक माल लादकर चलते हैं । इसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

चेकिंग उन्हीं की होती है जो आर० टी० ओ० को पैसा नहीं देते हैं । क्या माननीय मंत्री जी इन ट्रकों की चेकिंग को प्रभावी बनाने के लिए इस सदन के सम्मानित सदस्यों की भी कोई कमेटी बनायेंगे जिला स्तर पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह सम्भव नहीं है । इसके लिए एक दस्ता बनाया गया है, चेकिंग का और वह दस्ता चेकिंग करता है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

टाटा ने एक ट्रक बनाई है १८ टन तक माल लादने की उनको चलाने की स्वीकृति दी गई है। उसके सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया था या ये ट्रकें बिना सरकार की स्वीकृति के बना दी गई और सरकार उनको चलवा रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसा नहीं है।

श्री मुर्ईद अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो चालान किया गया है, उसमें कितनी बसें हैं, कितनी मिनी बसें हैं और कितनी ट्रकें हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस समय जो ट्रकें चल रही हैं, सड़कों पर उन पर इतना लोड रहता है कि सड़कें ऊंची नीची होती रहती हैं और कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि जब ट्रक जा रही है, तो सड़क साफ है और जब ट्रक पार कर जाती है,तो सड़क पर पानी भर जाता है। बरसात की वजह से सड़कें वैसे ही काफी खराब हो गई हैं। यह ट्रकें जो इतना लोड लादती हैं, उसको कुछ घटाने की कार्यवाही करायेंगे आप या निदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह तो एक समस्या बन गई है और अगर इसे और कम करायेंगे, तो दिक्कत होगी। आज जो टायर वगैरह बन रहे हैं वह सब २० टन के लोड के हिसाब से ही बन रहे हैं। २० टन से ज्यादा लोड के लिए हम प्रयास करेंगे और उसके लिए कारगर कदम उठायेंगे कि इससे ज्यादा लोड न लादें। जो ट्रकें इससे ज्यादा लादेंगी उनका उतना सामान उतरवा लिया जायेगा और उसके लिए एक भंडार गृह बनवाया जायेगा, जिसमें उनका सामान रखवाया जा सके।

श्री बिहारी लाल—

माननीय मंत्री जी ने २० टन का लोड ट्रकों के लिए एलाउ किया है, तो उस साल रोड टैक्स क्या था और आज आप क्या रोड टैक्स ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

रोड टैक्स का प्रश्न तो अलग से हो गया।

श्री बिहारी लाल—

२० टन से मतलब है ....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री मित्रसेन—

चेकिंग में ट्रकों का चालान कर दिया जाता है लेकिन फिर भी वे ट्रकें चलती रहती हैं । वे ट्रकें जिनका चालान हो जाता है वे चालान के बाद न चलने पावें ऐसी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में प्राविजन है, उसके अनुसार चालान होने के बाद जमानत कर लेते हैं और वह ट्रकें चलती रहती हैं । जब तक इसमें कोई संसोधन नहीं कर दिया जाता तब तक तो यह ऐसे ही चलता रहेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे जैसा आपने इस समय दो साइज के ट्रक बताये, एक छोटी साइज के और एक जैसा रेल का वैगन हो बड़ी साइज का, क्या इन दोनों की कैपेसिटी अलग-अलग आपके लाइसेन्सिंग या परमिट देने के अन्दर लिखी आती है और जो २८ हजार चेकिंग की बात आपने बताई उनमें मीडियम साइज के कितने आये और वैगन वाले साइज के, उस चेकिंग में कितने आये और इसका आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैक्जिमम लिमिट २० टन है ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली की ओर जाने वाली बसें, कोटद्वारा चमोली की ओर जाने वाले ट्रक्स और देहरादून से यमुना चट्टी की ओर जाने वाली गाड़ियों में जो माल भरा रहता है, वह पिछले चार वर्षों के अन्दर ३७ कुन्तल से बढ़कर १०० कुन्तल तक रहता है जिसकी इजाजत आपने दी है । पहला क्वेशचन यह है । दूसरा यह है आपके चेकिंग करने का क्या जरिया है, कौन से प्वाइन्ट्स हैं । ऋषिकेश में, देहरादून में या कोटद्वार में क्या आपके पास कोई कांटा है, जहां तौला जा सके । तीसरा प्रश्न यह है कि पिछले चार सालों के अन्दर आपने किसी फ्लीट ओनर ट्रक्स । फ्लीट ओनर ट्रक्स को समझा दूं । फ्लीट ओनर का मतलब यह है कि जो एक सिंगिल ट्रक का मालिक नहीं है बल्कि जिसकी अपनी १०, ५ ट्रक चलती हैं कि किसी गाड़ी का आपके डिपार्टमेन्ट ने पिछले तीन चार साल के अन्दर एक चालान भी किया है । १०० कुन्तल लेकर ड्राइवर जब नीचे

[श्री विद्यासागर नौटियाल—]

की ओर चलता है और गहराई में चलने लगता है, उस समय उसकी आंखें निकल आती हैं जो स्टियरिंग व्हील पर बैठा रहता है। पहाड़ के अन्दर ट्रकों का एक्सीडेन्ट हुआ है, उसका मुख्य कारण ओवर लोडिंग है, लेकिन माननीय मंत्री का विभाग भ्रष्टाचार से लबालब भरा है। पिछले तीन वर्षों में एक भी चालान आपने नहीं किया है . . .

(श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, इसका जवाब तो दिला दीजिए . . .

श्री अध्यक्ष—

आपने तो भाषण दे दिया। भाषण का जवाब भाषण होगा। उसमें टाइम लगेगा। बैठिये बाद में दिलायेंगे।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में प्रति वर्ष कितने हजार ट्रक एक्सीडेन्ट्स सिर्फ इसलिए होते हैं कि वे अधिक माल ले जाते हैं।

(श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, क्या मेरा भी भाषण हो रहा है, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दीजिए। ट्रकों का एक्सीडेन्ट हो जाता है, आदमियों की मृत्यु हो जाती है, मान्यवर उसका उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बिष्ट जी, आपका प्रश्न जो है बड़ा शोध का विषय है, इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि प्रदेश में जितनी पक्की सड़कों पर ट्रक चल रही हैं, वे सब बीस टन लोड ले जाने वाली बनाई गई हैं और क्या उनमें ऐसी भी हैं जो दस टन या बारह टन की डिजाइन की भी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य खुद जानते हैं बहुत सी छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां होती हैं। मेक्जिमम लिमिट २० टन की है। उससे कम की भी चल सकती हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि सड़कें जो बनाई गई हैं उनमें क्या कुछ कम लोड की हैं और कुछ ज्यादा लोड की। सड़कों में कुछ भेद है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, कुछ सड़कें कम लोड की हैं जो विलेज रोड होती हैं ९ फीट, १० फीट की होती हैं। नेशनल हाई वे बड़ी बनी हैं। वे ज्यादा लोड की होती हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये वे चेकिंग को प्रभावी करेंगे। मान्यवर, इनकी चेकिंग करने वाली मशीनरी आर० टी० ओ० और ए० आर० टी० ओ० है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि इन आर० टी ०ओ० और ए० आर० टी ०ओ० के द्वारा घूस लिये जाने पर नियंत्रण रखने के लिये वे कौन सा उपाय कर रहे हैं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारे जाने तथा उनके खड़े न होने पर)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर दिला दीजिये। माननीय मंत्री जी मुस्करा रहे हैं। इनसे कह दीजिए कि हंस करके उत्तर दे दें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने दो प्रकार की सड़कें बतायीं एक कम लोड को बर्दाश्त करने वाली तथा एक ज्यादा लोड को बर्दाश्त करने वाली। मैं पूछना चाहता हूं कि माल ढोने के लिए गाड़ियों को लाइसेन्स देते समय क्या उनका रूट भी निर्धारित किया जाता है कि उनके लोड के हिसाब से उन्हीं सड़कों पर वे चलें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। कच्ची रोड पर भी ट्रकें चलती हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि ट्रकें कहां-कहां जाती हैं। सड़कें जो बनाई जाती हैं उनमें किसी का लोड ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। नेशनल हाई वे में भी इसी तरह से ट्रकें चलती हैं। वे कहां-कहां और कैसे चलती हैं, यह आप सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से सड़कें बनायी जाती हैं उसी तरह से उनमें ट्रकें चलती हैं।

जौनपुर जिले के ग्राम पिलखिनी में ड्रेन का निर्माण

*७—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के ग्राम पिलखिनी में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बन रहे ड्रेन को अधूरा छोड़ दिया गया और क्या यह भी सत्य है कि इस अधूरी ड्रेन से जल निकासी न हो पाने के कारण उक्त क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ जमीन गत बरसात में जल प्लावित हो गई और सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई ? क्या सरकार इस ड्रेन को शीघ्र पूर्ण करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्षा अधिक हो जाने के कारण कार्य रोक देना पड़ा। इसके कारण वर्षा ऋतु में जितना क्षेत्र डूबता रहता था वही डूबा। नाले का कार्य जून, १९८१ तक पूरा करना प्रस्तावित है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ड्रेन पर कब से कार्य आरम्भ किया गया और कब बन्द कर दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मार्च, ८० से काम शुरू किया गया था और बरसात में यह काम रोका गया।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मान्यवर, स्पष्ट हो गया कि यह ड्रेन खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई थी और उसे बीच में ही अधूरा रखा गया, जिससे किसानों का नुकसान हो गया। क्या गत शासन के किये गये अधिकांश कार्य जो अधूरे छोड़े गये थे, उनकी माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ? और उस जांच के लिये क्या मंत्री जी सदन की एक समिति गठित करेंगे, जो कि अपनी रिपोर्ट इस सदन को दे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मार्च ८० में इसको शुरू किया गया था और बरसात आने पर यह काम रोक दिया गया। ८१ जून तक यह काम पूरा हो जायेगा, ऐसा आदेश गया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि मार्च ८० में यह कार्य शुरू कराया गया और बरसात शुरू होने के बाद बन्द कराया गया। क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि जैसा कि १५ जून से बरसात का मौसम माना जाता है, तो पहली बरसात कब हुई और कब से काम बन्द कराया गया।

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जो स्थिति माननीय सदस्य ने बतायी वही लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की है। जो कार्य खाद्यान्न योजना में आरम्भ किये गये थे, उनको बाद में किसी वजह से रोक दिया गया, तो क्या मंत्री जी उन सभी कार्यों को पूरा करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न माननीय प्रभु नारायण सिंह ने एक जगह विशेष के लिये किया था।

श्री मित्र सेन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग द्वारा जो ड्रेनेज जल निकासी के निकाले जाते हैं उनका सर्वेक्षण होता है और इसमें भी सर्वेक्षण हुआ था यदि हां, तो कब सर्वेक्षण हुआ और उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बिना सर्वेक्षण के कोई काम नहीं होता है, इसमें भी सर्वेक्षण हुआ होगा और उसके बाद ही काम शुरू किया गया। माननीय सदस्य किस बात की शंका में पड़ गये, पता नहीं।

आजमगढ़ जिले के महुला गढ़वाल बांध के मजदूरों की मजदूरी

*८—श्री पंचानन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के किनारे बने महुला गढ़वाल बांध पर विभिन्न श्रेणी के कितने कर्मचारी एवं मजदूर २१ अगस्त, १९८० को कार्यरत थे ? क्या इनमें कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जिन्हें पहले १९० रुपया मासिक मजदूरी दी जाती थी और अब १५० रुपया मासिक मजदूरी दी जाती है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने श्रमिक ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं ? उन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि पुराने मजदूरों को हटाकर नये मजदूर वर्ष १९७९ एवं १९८० में रखे गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

महुला गढ़वाल बांध पर दिनांक २१ अगस्त, १९८० को विभिन्न श्रेणियों के कार्यरत कर्मचारियों का विवरण निम्न है :—

अ—नियमित अधिष्ठान में	६ कर्मचारी
ब—कार्य प्रभारित अधिष्ठान में	१ कर्मचारी
स—मस्टर रोल के अन्तर्गत	१०५ कर्मचारी
योग	११२ कर्मचारी

श्रेणी "स" के सभी श्रमिक केवल बाढ़ काल में ही वर्ष में लगभग चार माह के लिये रखे जाते हैं। इस श्रेणी के अन्तर्गत २७ कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें पहले कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखा गया था और १९० रुपया प्रतिमाह दिया जाता था परन्तु बाद में उन्हें मस्टर रोल पर रखा गया और दैनिक दर पर मजदूरी दी गयी।

केवल श्रेणी "ब" के अन्तर्गत एक बेलदार कार्यप्रभारित अधिष्ठान में पिछले तीन वर्षों से अधिक से कार्यरत हैं। तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कार्यप्रभारित कर्मचारियों को केवल तीन वर्षों की सेवा के आधार पर नियमित अधिष्ठान में लिये जाने का कोई नियम नहीं है। किसी पुराने मजदूर को विभाग द्वारा हटाया नहीं गया है बल्कि वर्षा के समय बाढ़ की आपात स्थिति में बांध की निगरानी एवंम् देखभाल करने हेतु पुराने कर्मचारियों में जो कार्य करने हेतु उपस्थित हुये उन्हें रखा गया और कार्य की अधिकता को देखते हुये आवश्यकतानुसार वर्ष ७९ एवं ८० में नये मजदूर बांध पर लगाये गये।

श्री पंचानन—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के पहले हिस्से में कहा कि २७ आदमी ऐसे थे, जो पहले कितने ही वर्षों से कार्य प्रभारित अधिष्ठान में रखे गये थे, बाद में इन्हें मस्टर रोल में कर दिया गया, तो ऐसा करने का क्या कारण था ?

दूसरा उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी उपस्थित हुए उन्हें काम पर लगा लिया गया और जो नहीं आये उन्हें नहीं लिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि जिनको रखना चाहा, उन्हें रख लिया गया और जब यह सवाल हुआ, तो उन्हीं अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का उत्तर देकर गड़बड़ियों को छुपाने की कोशिश की गयी है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसा नहीं है। यह कार्य प्रभारित कर्मचारी जो थे, मैंने कहा वर्षान्त में चार महीने के लिए रखे जाते थे, लेकिन बाद में उन्हें वर्कचार्ज में रख लिया। १९७३-७४ में चार महीने के लिए और १९७४-७५ में ४ महीने के लिए और ७७-७८ में भी इसी तरह चार महीने के लिए रखे गये थे।

श्री पंचानन—

यह जो २७ आदमी जिनको कहा गया है कि ४ महीने के लिए रखा जाता था वह १०-११ साल से रखे जाते थे और उन्हें १९० रु० पर रखा जाता था जिन्हें कार्यप्रभारी अधिष्ठान में रखा जाता था, लेकिन जब से मस्टर रोल में ट्रांसफर कर दिया गया, तो उनको केवल १५० रु० प्रति माह मिलता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी जो उन्हें मस्टर रोल पर कर दिया गया और १५० रु० दिया जाने लगा।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि खुद आपने आखिरी पैरा में स्वीकार किया है, जो कर्मचारी काम पर उपस्थित हुए उन्हें ही रखा गया और शेष नये लोगों को रखा गया। मेरी निजी जानकारी है कि पुराने लोगों को बुलाया नहीं गया वहां पर लोग हमसे गाड़ी रोक कर कहते हैं कि हमें नहीं रखा गया और नये लोगों को रख लिया गया।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो वर्कचार्ज में थे उनको ज्यादा मिलता था लेकिन वर्कचार्ज में जब काम खत्म हो जाता था, तो वह भी अलग हो जाते थे और हर साल केवल चार महीने के लिए रखा जाता था कन्टीन्यूवस साल भर नहीं रखा जाता था। बाद में विभाग में यह हुआ कि वर्कचार्ज में कोई कर्मचारी नहीं रखे जायेंगे तो जब यह व्यवस्था पैदा हो गई, उन्होंने उन कर्मचारियों को जो पुराने थे और हटा दिये गये थे, उनको बाद में डेली वेजेज पर मस्टर रोल पर रख लिया और ५ रुपया रोज जो उसमें देते हैं, उसी आधार पर उनको भी मिलने लगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दरें ६ रुपया से नीचे नहीं हैं, तब यह सरकार उन्हें ५ रुपया प्रतिदिन पर कैसे रख रही है? खुद कानून तोड़ रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अब यह आदेश कर दिये गये हैं कि जो न्यूनतम दर है, मजदूरी की उससे कम न दिया जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सन ७४ व ७९ में शासन के सिंचाई विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को इस आशय की राजाज्ञा दी गई थी कि यदि कोई कार्यप्रभारी कर्मचारी २४० दिन लगातार काम करता रह जाए, तो उसे रेगुलर में कर लिया जाएगा, तो उसके तहद कोई कार्यवाही इन केसेज में न करने का क्या कारण है?

श्री वीरबहादुर सिंह—

ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं है। यह है कि यदि कोई तीन साल तक लगातार काम करता रहा है, जब कोई जगह खाली होगी, तो उसमें ऐसे लोगों को प्रायरिटी दी जाएगी।

आगरा जिले के ब्लाक फतेहपुर सिकरी के अन्तर्गत नलकूप निर्माण का प्रस्ताव

*९—श्री बदन सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी ब्लाक की रसूलपुर मंडी मिर्जा खां सामरा तथा नया बास न्याय पंचायतों के ६० गांवों में सिंचाई के लिये नहर आदि की कोई सरकारी सिंचाई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो वहां पर सरकार राजकीय नलकूप प्रत्येक गांव में लगवायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, आगरा जनपद में फतेहपुर सीकरी ब्लाक की रसूलपुर, मण्डी मिर्जा खां तथा सामरा न्याय पंचायतों के गांवों में नहर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। न्याय पंचायत नया बांस के ७ गांवों में नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

उक्त न्याय पंचायतों के जिन क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहां शासन द्वारा जनपद को आवंटित नलकूपों में से जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित व तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त स्थलों पर राजकीय नलकूपों का लगवाना प्रस्तावित है।

*१०—श्री राज कुमार राय—

[२८-१-८१ को अतारांकित प्रश्न संख्या १७९ द्वारा उत्तरित]

देवरिया जिले के गांव शाहजहांपुर व बलुवही का छोटी गंडक नदी से कटाव

*११—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में छोटी गंडक में बाढ़ के कारण शाहजहांपुर और बलुवही गांव का कटान हुआ है ? यदि हां, तो ठोकर बना कर इन गांवों को बचाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ठोकर बन जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। शाहजहांपुर की आबादी की सुरक्षा हेतु ठोकर बनाने का कार्य प्रगति में है जिसे आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व ही पूर्ण करने का लक्ष्य है। चूंकि बलुवही गांव से नदी की मुख्य धारा २४ मीटर दूर होकर बह रही है, अतः ठोकर बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नन्दकिशोर सिंह—

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का यह गांव है, इस बलुवही गांव के दो तरफ से पूर्व और उत्तर दिशा से नदी बहती है। मैंने स्वयं वहां पर देखा है, ३ घर उस नदी की बाढ़ से गिर गये थे तथा और भी क्षति हो रही थी, यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत और धोखा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी शाहजहांपुर के साथ ही साथ बलुवही में ठोकर लगवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें अभी बताया गया है कि बलुवही गांव से नदी २४ किलोमीटर दूर हो गयी है। अतः अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी, ठोकर बनाई जायेगी।

श्री नन्दकिशोर सिंह—

आपकी ठोकर बन रही है। मैं बलुबही गांव गया था, खुद देखा है, एक ओर दो मील पर और एक ओर कुछ फिट पर नदी बह रही है, तो क्या आप मेरी बात को सही मानकर वहां ठोकर बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य कहते हैं, तो हम इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री हरिवंश सहाय—

जुलाई/अगस्त, १९८० की बाढ़ से कितनी फसल बर्बाद हुई थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति की मान्यता एवं कहार जाति को अनुसूचित जाति को दी जाने वाली सुविधा

*१२—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में गोंड़ जाति को सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर छुआछूत का भेद भाव रखने के कारण कुछ भागों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में मान लिया गया है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहार कही जाने वाली जाति के लोग जिनके साथ छुआ छूत का भेद भाव नहीं रखा जाता है अपने को गोंड़ जाति लिखा कर अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधा लेना प्रारम्भ कर दिये हैं जब कि इनको सम्मिलित करने से अनुसूचित जाति का कोटा १८ प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री छेदा लाल चौधरी)—

जी हां। कहार कही जाने वाली जाति के लोगों द्वारा अपने को गोंड़ कहे जाने पर भी सरकार उन्हें अनुसूचित जाति जैसी कोई सुविधा नहीं दे रही है। न उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित ही किया है।

अतः अनुसूचित जाति का कोटा १८ प्रतिशत से आगे बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह साफ-साफ लाना चाहता हूं कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और आजमगढ़ जिलों में कहार जो डोली ढोते हैं और सवर्णों के घरों में काम करते हैं और भड़भूजा जो भूंजने का काम करता है,

उनके साथ छुआ-छूत का व्यवहार नहीं किया जाता, लेकिन गौंड़ों की आजमगढ़ में जो महा-सभा है, उससे प्रमाण-पत्र लेकर अपने को अनुसूचित जातियों में शामिल करके नौकरियों में प्रवेश लेने लगा है। तो क्या सरकार कोई राजाज्ञा या अधिसूचना जारी करेगी जिससे हरिजनों के कोटे पर कोई धक्का न लगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तरित है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ये जो वजीफे के फार्म भरे जा रहे हैं और वजीफे का एलाटमेन्ट हो रहा है, तो उसमें कहार और भड़भूजों के बच्चों को न देकर हरिजनों के बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि ऐसा नहीं होगा। इसमें स्पष्ट लिखा है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गोरखपुर में इस गठित विधान सभा के मुडेरा बाजार क्षेत्र से जो अनुसूचित जाति क्षेत्र है उससे, एक भड़भूजा जिसे जिलाधिकारी ने गौंड़ जाति का प्रमाण-पत्र भी दिया, चुनाव लड़ा है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि वह किस जाति का व्यक्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न अलग से है। यह पीपुल्स रिप्रेंटेशन ऐक्ट में आता है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह व्यक्ति गौंड़ जाति का है जो वहां से चुनाव लड़ा है ? क्या उसके बारे में माननीय मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

यदि माननीय मंत्री जी लिख कर दे देंगे, तो मैं अवश्य ही जांच करवा लूंगा। (हंसी)।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी यह तो बता दें कि किस मंत्री के लिखने के बाद वे जांच करा लेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गत कुछ दिन हुए खरबार से सम्बन्धित राजाज्ञा निर्गत हुई है कि इस जाति में कहार और भड़भूजा सम्मिलित किया गया है और वे अनुसूचित जाति के लोगों की सुविधा लेने लगे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप एक ही प्रश्न में सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । इसके लिए आप दूसरा प्रश्न कीजिए ?

जालौन जिले के ग्राम सिम्हारा कासिमपुर में सिंचाई विभाग के क्वाटर का निर्माण एवं मुआवजा

*१३—श्री शंकर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जनपद के महेवा विकास खण्ड के ग्राम सिम्हारा कासिमपुर में लिफ्ट सिंचाई विभाग द्वारा जिन किसानों की भूमि पर विभागीय क्वार्टर्स बनाये हैं उनको कितना मुआवजा दिया गया है ? यदि मुआवजा नहीं दिया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संबंधित ग्राम में श्री उमाशंकर बाजपेई की भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा क्वार्टर्स निर्मित किये गये हैं । भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है । जिसके देने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

श्री शंकर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो क्वार्टर्स बनाये गये, वे कब बनाये गये ? जिस व्यक्ति की भूमि पर वे बनाये गये, क्या उसके मालिक की अनुमति ले ली गयी थी ? यदि हां, तो वह अनुमति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह क्वार्टर ७ मार्च, १९७९ को बनाया गया । कुल १२ एकड़ जमीन दी है । और जो भूमि का मालिक है, उसकी रजामन्दी से यह बनाया गया । उस समय वह तैयार थे कि बना लीजिए, बाद में मुआविजा दे दीजिएगा ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, २ वर्ष हो गया क्वार्टर बने हुए माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि उसकी अनुमति है । यदि उसकी अनुमति है, तो वह लिखित रूप में है कि नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, उन्होंने खुद कहा था कि आप बना लीजिए । यहां पर तो हमारे पास लिखा-पढ़ी की सूचना, तो नहीं है । लेकिन जो जवाब आया है कि रजामन्दी से लिया गया है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूं और मुआविजा देने की कार्यवाही हो रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि दो साल हो गये, अगर उसकी मौखिक या लिखित रजामन्दी थी, तो अब तक मुआविजा न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, लैण्ड इक्वीजीशन की कार्यवाही हो रही है । कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कार्यवाही पूरी करके मोआविजा दे दिया जाय ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, दो वर्ष हो गये, अभी तक क्या-क्या कार्यवाही बाकी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि किसान की मर्जी के खिलाफ क्वार्टर बनाये गये । अगर इनके पास रजामन्दी है, तो वह सदन के सामने लायें । मैं यह भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मुआविजा लगाया जा रहा है वह किस तरह से लगाया जा रहा है और वह किस स्टेज पर है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मुआविजा देने का भी नियम बना हुआ है कि जो जमीन की बिक्री होती है, जो लेट आउट होती है, बिक्री जिस भाव से होती है, उस भाव से मुआविजा दिया जायगा । लैण्ड एक्वायर होती है, उसकी प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद मुआविजा दिया जायगा ।

एक सदस्य—

मुआविजा किस रेट से दिया जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, बड़ा स्पष्ट यह प्रश्न है कि जिस भूमि के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया है कि वहां पर आप किस दर से मुआविजा दिला रहे हैं ? वहां के बारे में बतला दीजिए ? जो नियम है, वह तो आपको भी पता है और हमको भी पता है । अगर इसकी स्वीकृति है, तो क्या वह स्वीकृति आपके पास है और उसे आप सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यहां पर हमारे पास उसकी लिखित रजामन्दी की सूचना नहीं है। लेकिन जो सूचना आई है रजामन्दी उसमें लिखा हुआ है। इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वयं विरोधाभास जाहिर कर दिया है। एक तरफ स्वयं रजामन्दी कह दिये और दूसरी तरफ मुआविजा देने की कार्यवाही की जा रही है, यह कहा जा रहा है। मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि वह जमीन जबरिया ली गयी है, अन्यथा एक्वीजीशन की कार्यवाही में वह न फंसते। मैं स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रजामन्दी से जब जमीन ली गयी, तो मुआविजा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है और वह कब तक दिला देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, लैण्ड एक्वायर हो रही है। अब लैण्ड एक्वायर करके तब उसे पैसा मिलेगा, जो नियम है, उसके अनुसार मिलेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने एक निर्देश सारे प्रदेश की सरकारों को दिया है कि कृषि योग्य भूमि का एक्वीजीशन नहीं हो सकता और क्या यह सच है कि जिस जमीन पर ये क्वार्टर्स बने हुए हैं वह कृषि योग्य भूमि है ? एग्रीकल्चरल प्लाट्स हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कृषि योग्य भूमि को एक्वायर न किया जाय। तो केन्द्रीय शासन के निर्देशों के विरुद्ध आपके अधिकारियों ने जमीन को एक्वायर किया है और मैं तो कहूंगा कि एक्वायर नहीं हड़पा है। तो इस लैण्ड ग्रैब करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, हम जब काम करते हैं, तो जमीन एक्वायर करते हैं। उसका मुआविजा देते हैं। इसमें कौन सी नयी बात कर रहे हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने, मान्यवर, कहा है कि लैण्ड एक्वायर हुई है और दूसरी तरफ कहा है कि बिल्डिंग बन गयी है, खड़ी है। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे कौन से अधिकारी थे, जिन्होंने लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही होने के पहले बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी और बात चली तो कह दिया कि एक्वायर कर दिया। तो बिना अनुमति के किसान के वह सब किया तो उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे और क्या उस किसान को हरजाना भी देने की बात करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बात सही है। उसको ठीक से और रूल के अन्दर काम करना चाहिए। लेकिन माननीय सदस्य की जो सूचना है उसके अनुसार पता लगायेंगे कि सही है कि गलत है। अगर गलत है तो जांच करायेंगे कि जो कहा गया कि किसान की रजामन्दी से एक्वायर करके क्वार्टर बना है। हो सकता है कि यह गलत हो। तो जांच करायेंगे कि रजामन्दी है कि नहीं।

लेकिन जहां तक कम्पेनसेशन का सवाल है, तो जब तक फसल बोई जाती है, तो जब तक जमीन का मुआविजा नहीं मिल जाता, तब तक फसल का मुआविजा देना पड़ेगा।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि अनुमति दी कि नहीं। इसलिए हमारे प्रश्न को, मान्यवर, स्थगित कर दें और जब पूरी जानकारी आ जाय, तो दुबारा इसको रखा जाय। मान्यवर, यह एक क्वार्टर और एक किसान का सवाल नहीं। हमारे जनपद में जितनें भी कार्य लिफ्ट एरीगेशन के हुए हैं, मुआवजा नहीं दिया गया। नलकूपों में भी विभाग ने नियमित कार्य नहीं किया बगैर रजामन्दी जमीन ली गयी है। इसलिए मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें और जब पूरी जानकारी आ जाय, तो रखें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न के उत्तर में आया है, रजामन्दी दी गयी है। आपने सूचना दी कि रजामन्दी नहीं ली गयी। तब उन्होंने कहा और आश्वासन दिया कि जांच करायेंगे। तो उत्तर तो पूरा हो गया।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माफी चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा जांच करायेंगे। जांच वर्ड है प्रोसीडिंग में, देख लें। मान्यवर, चूंकि यह एक किसान का मामला नहीं है, पूरे जनपद का मामला है, इसलिए उचित होगा, इसको स्थगित कर दें। इसमें जांच की बात है, और उनके पास कुछ नहीं है। अगर स्थगित नहीं करेंगे, तो फिर सवाल ३-४ महीने बाद आयेगा। तो एक हफ्ते में लगा दें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने आश्वासन दिया है। स्पष्ट उत्तर नहीं है कि रजामन्दी थी। उन्होंने उत्तर दिया है कि रजामन्दी है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि उनकी जानकारी के हिसाब से रजामन्दी नहीं हुई है। मंत्री जी का कहना है कि लिखित जानकारी के अनुसार उनको सूचना है कि रजामन्दी है। माननीय सदस्य ने सूचना के आधार पर जो बात उठायी तो उस पर उन्होंने कहा कि जांच करायेंगे। अब जांच हुई कि नहीं, इसको आश्वासन समिति देखेगी।

*१४—श्री छत्तर सिंह—

[२८-१-८१ को अतारांकित प्रश्न संख्या ९१ द्वारा उत्तरित ।]

यू० पी० जेल्स एसोसियेशन की मांगें

*१५—श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि २९-११-७९ को शासन का समझौता यू० पी० जेल्स एसोसियेशन से उनकी मांगों के प्रति हुआ था ? यदि हां, तो उस समझौते में कौन-कौन सी मांगें स्वीकृत की गई थीं उनका कार्यान्वयन अब तक क्यों नहीं किया गया ? और सरकार उपरोक्त मांगों को कब तक लागू करा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्रीराम सिंह खन्ना)—

२९-११-७९ को शासन और यू० पी० जेल्स एसोसियेशन से उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई समझौता न होकर उनकी निम्नलिखित १४ मांगों पर विचार-विमर्श हुआ था—

(१) पुलिस कर्मियों के समान वेतनमान दिया जाना ।

(२) एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाना ।

(३) वर्दी धुलाई भत्ता दिया जाना ।

(४) आवास की व्यवस्था किया जाना ।

(५) जेल कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल जाने की व्यवस्था किया जाना ।

(६) वार्डरों के कार्य के घंटों में कमी किया जाना ।

(७) सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्र दिया जाना ।

(८) सामूहिक जीवन बीमा लागू किया जाना ।

(९) अर्थ दण्ड का समाप्त किया जाना ।

(१०) जमानत का न लिया जाना ।

(११) पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना ।

(१२) लीव रिजर्व वार्डरों को वर्दी दिया जाना ।

(१३) परामर्श दात्री समिति का गठन किया जाना ।

(१४) जेल आयोग का गठन किया जाना ।

उपरोक्त मांगों में से मांग संख्या २, ३, ५, ६, ८, ९, ११ तथा १२ के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं या कार्यवाही हो चुकी है—

१—अराजपत्रित जेल कर्मचारियों को ५० रुपये की एकमुश्त तदर्थ सहायता दी गई ।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या १५ श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पूछा ।

२—अराजपत्रित जेल कर्मचारियों को वर्दी धुलाई, भत्ता दिया गया ।

३—जेल कर्मियों के बच्चों को स्कूल ले जाने की व्यवस्था कर दी गई है जहां-जहां से मांग आई है ।

४—वार्डरों के कार्य के घंटों में कमी करने के अभिप्राय से वार्डरों के पदों में वृद्धि हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

५—सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है ।

६—अर्थ दण्ड की समाप्ति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

७—पदोन्नति हेतु कमेटी का गठन कर दिया गया है ।

८—लीव रिजर्व वार्डरों को वर्दी दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

२—जहां तक जेल कर्मचारियों की मांगों के कार्यान्वियन का प्रश्न है अब १२-१२-८० को हुई वार्ता के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । सारी मांगें सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं केवल दो बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूं । एक तो, जो कमेटी गठित की है और इसकी जो मांगें सन्दर्भित की हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाने की उम्मीद है । दूसरी बात जो वार्डरों के काम के घंटे निर्धारित कर दिया है, तो वह कितने घंटे निर्धारित किया है तथा जो मांगें रह गई हैं, उनके बारे में शासन का दृष्टिकोण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने पहले बताया है कि सिद्धान्ततः १४ मांगों को हमने स्वीकार कर लिया है । कार्यान्वयन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है । दूसरी बात जो आपने कहा कि कमेटी गठित कर दी गयी है, तो मैं यह सोच रहा हूं कि उसमें अराजपत्रित अधिकारी भी शामिल कर दें और निर्धारित कर दें कि इतने समय में रिपोर्ट आ जाय । मैं इसको देख-कर तब फैसला करूंगा ।

पर्वतीय क्षेत्रों में रोप वे के निर्माण की मांग

*१६—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि हिमालय क्षेत्र में ऐसे अनेक स्थल हैं जहां सड़क बनाने की तुलना में रोपवे बनाना अधिक लाभप्रद

हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे स्थानों का सर्वेक्षण कराके कोई विस्तृत योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

ऐसी निश्चित जानकारी नहीं है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में किसी स्थान पर यातायात हेतु सड़कों की तुलना में रोपवे बनाना अधिक लाभप्रद होगा । इस सम्बन्ध में वर्ष १९७७ में तीन सीमान्त जिलों—उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों का टेक्नो-इकानामिक सर्वे किया गया था परन्तु सर्वे रिपोर्ट तथ्यपरक न होने के कारण अधिक उपयोगी नहीं पाई गई ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

इस बात को जानते हुए कि रोप वे जहां कम ट्रैफिक होता है लाभप्रद होता है और सड़क जहां ज्यादा ट्रैफिक होता है वहां के लिए लाभप्रद होता है, तो क्या पहाड़ों की स्थिति को देखते हुए एक कमेटी बनाकर सारे तथ्यों की जांच पहाड़ों पर करायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि दो रोपवे मार्ग एक नैनीताल में और दूसरा जोशीमठ, गढ़वाल डिवीजन में बनाने का विचार किया जा रहा है । नैनीताल की क्लियरेन्स हो गई है । एक करोड़ रुपये से अधिक लगेगा । गढ़वाल डिवीजन का प्रस्ताव शीघ्र आने वाला है । शीघ्र ही क्लियरेन्स दी जायेगी । इनके बनने के बाद व्यावहारिक अनुभव एवं जानकारी हो सकेगी और तद्नुसार भविष्य में विचार करेंगे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय मंत्री जी का उत्तर अपूर्ण है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रोपवे बनाना सड़क से ज्यादा लाभप्रद है । इसका सर्वे कराने की बात मैं कह रहा हूं । सन् ७७ में सर्वेक्षण कराया गया था, किन्तु वह सर्वेक्षण तथ्य पर नहीं था सर्वेक्षण ठीक नहीं था फिर दुबारा सर्वेक्षण कराने में आपको क्या परेशानी है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

इस समय हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं खर्चे का जो इस समय आ रहा है, उसकी जानकारी दे दूं । सड़क निर्माण में ३ लाख रुपया प्रति किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र में आ रहा है । जो सन् ७७ में टी० एस० एन० ने सर्वे किया था, उसमें ४ लाख से ६ लाख और पैसन्जर में ३० लाख से ५० लाख तक लेकिन अब जो नैनीताल में रोप वे निर्मित करने के आंकड़े हमारे पास आये हैं, उनमें १ करोड़ ४९ लाख ६१ हजार रुपया ८ किलोमीटर के लिए आया है । यानी ३ लाख की अपेक्षा इस पर १ करोड़ ४९ लाख रुपया लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इस मामले में हर दृष्टि से विचार कर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो किया जायेगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

जोशी मठ में रोप वे बनाने में क्या दिक्कत है और कब तक इस पर काम शुरू हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम, जिसे लगाना है, उससे प्रस्ताव अपेक्षित है। याद करा दिया गया है उनको।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

एक करोड़ रुपया जो ८ कि० मी० की लम्बाई पर खर्चा बताया है, वह सीधी कौवे की उड़ान में जो बनेगी तो मंत्री जी को मालूम है कि वह २० कि० मी० की दूरी को तय करेगी, तो इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य स्थानों पर जहां बरसात से, बर्फ से, भू-स्खलन से रास्ते टूट जाते हैं, ऐसे स्थानों पर मंत्री जी कृपा करेंगे कि सर्वे करा लें ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि इससे पर्यावरण की दृष्टि से, जो भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से जोर दिया है, समाज की आवश्यकताओं की दृष्टि से पेड़ों की कटान को रोकने के लिए, सहायता मिलेगी। इन सब कारणों पर विचार करके लाभ की दृष्टि से, सब कारणों पर समन्वय की दृष्टि से आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, नैनीताल और जोशीमठ में जो रोपवे लगाने की बात कही गयी तो यह सन ६६ से बात चल रही है और आज तक नहीं लगी दूसरे इसमें केवल सर्वे ही सर्वे होगा या इसका क्रियान्वयन भी होगा .....।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं। एक आध बात हमारी भी मान लिया कीजिये।

बहराइच जिले की ग्राम सभा बोंझिया मंझाव कालोनी की भूमि का आवंटन

*१७—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा बोंझिया मंझाव कालोनी विकास खण्ड मेहिपुरवा, जिला बहराइच के अन्तर्गत ७९२ एकड़ भूमि पर १०० परिवार विमुक्त जाति के लोगों को जिला हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५९ में बसाया गया था ? क्या यह सही है कि इन व्यक्तियों को आज तक भूमि का पट्टा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

सन् १९५९ से १९६४ के बीच पासी जाति के ३२, कंजड़ जाति के २०, चमार जाति के १८, भर जाति के ९, बरवार जाति के १, मल्लाह जाति के १५, दुसाध जाति के ४ तथा कोरी जाति के १ व्यक्ति को प्रश्नगत कालोनी में बसाया गया था। जिलाधिकारी बहराइच को २०-२-८१ को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि प्रति आवंटी को ६ एकड़ भूमि का कब्जा सुनिश्चित करके उसका नियमित पट्टा दे दिया जाय और तदनुसार राजस्व अभिलेखों में दाखिल खारिज करा दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह कालोनी आज से लगभग १५—२० साल पहले बनायी गई थी और यह मामला इस आदरणीय सदन में भी कई बार उठ चुका है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इन आदेशों के साथ-साथ आपने इसके आदेश भी जारी कर दिये हैं कि निर्धारित अवधि अर्थात एक महीने के अन्दर यह सब कार्यक्रम पूरा करके उसकी जानकारी करा दी जाय ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं माननीय गुप्त जी की इस बात से सहमत हूं और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही करा दूंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार वहां ७९२ एकड़ जमीन है और माननीय मन्त्री जी के अनुसार ६ एकड़ प्रति आवंटी के हिसाब से दी जायगी, कुल ६०० एकड़ जमीन आवंटित करने का प्राविधान है, तो यह १९२ एकड़ जमीन जो बच गयी है, उसे क्या आप और लोगों में बांटेंगे या जो परिवार हैं, जो १०० परिवार हैं, उनमें सदस्य संख्या देखकर कुछ को ज्यादा दी जायेगी और इस प्रकार १९२ एकड़ जमीन वितरित कर दी जायगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मान्यवर, इसे तो हम देख लेंगे, लेकिन जहां तक जमीन बांटने की बात है, उसमें कुछ समानता होनी चाहिए।

*१८—श्री राम औतार दीक्षित—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

एटा जिले की काली नदी के क्षेत्र में नहर निर्माण की मांग

*१९—श्री लटूरी सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की तहसील अलीगंज में काली नदी का इलाका बिलकुल असिंचित पड़ा है जिसके कारण वहां की जनता गरीब है ? यदि हां, तो क्या नहर खुदवाने के संबंध में सरकार शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत क्षेत्र में राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अतः वहां पर नहर द्वारा सिंचाई हेतु कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र खुटहन के अन्तर्गत अर्ध निर्मित नहर

*२०—श्री जंग बहादुर—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के विकास क्षेत्र खुटहन में नहर की खुदाई पूरी न होने के कारण ग्राम अक्सीपुर, निजाम पुर, चकपट्टी, समैया असिंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरी नहर का निर्माण कराकर असिंचित ग्रामों को नहर से पानी देने की व्यवस्था शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, अधूरी नहरों के शीघ्र निर्माण का प्रयास है।

श्री जंग बहादुर—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन ग्रामों का मैंने उल्लेख किया है, वहां नालियां बना दी गयी हैं और हर तीसरे वर्ष उसकी नाप जोख के लिए काफी पैसा ठेकेदार लेते हैं और इस प्रकार से धन का अपव्यय होता है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसे जल्द से जल्द पूरा करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर—

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात सही है कि माइनर तो बन गयी है, लेकिन दो जगह पर किसानों ने विरोध पैदा कर दिया था, जहां पर कि यह नहीं बन पायी है। प्रयास किया जा रहा है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बरेली जिले में श्री गुरु गोविन्द सिंह के जन्म दिवस पर जलूस निकालने की मांग

**१—श्री जयदीप सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११-१-१९८१ को बरेली नगर में सिक्खों के दसवें गुरू श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकाला जाना था उसकी अनुमति थानाध्यक्ष प्रेमनगर ने नहीं दी, जबकि शासन ने इस वर्ष की धार्मिक प्रतिष्ठा को देखते हुए छुट्टी की

घोषणा की थी? यदि हां, तो क्यों? क्या धार्मिक भावनाओं का उपहास करने वाले अधिकारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिख समुदाय को श्री गुरु गोविन्द सिंह के जन्म दिवस पर परम्परागत ढंग से प्रभात फेरी निकालने की अनुमति दी गई और उन्होंने प्रभात फेरी निकाली । सिख समुदाय ने प्रभात फेरी की जगह इस वर्ष जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी, परन्तु चूंकि जुलूस प्रथम बार निकाला जा रहा था अतः जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई ।

धार्मिक भावनाओं को कुचलने का प्रयास किसी अधिकारी स्तर पर दृष्टि-गोचर नहीं हुआ ।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि थाना अध्यक्ष प्रेमनगर ने इस आधार पर जलूस निकालने की अनुमति नहीं दी कि उसमें सिख शराब पीकर वहां दंगा करेंगे ? अगर यह है, तो क्या यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि शराब पीकर लोग दंगा करेंगे, इस कारण से आज्ञा नहीं दी गयी, तो यह बात मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है । चूंकि जुलूस प्रथम बार निकाला जा रहा था, ऐसी स्थितियों में अनुमति नहीं दी गयी । यह बात नहीं है, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह—

मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बरेली में यह जानकारी है कि थाना-ध्यक्ष ने थाने में बैठ करके डिस्कस किया कि लोग शराब पीकर दंगा करेंगे और दूसरी बात जो आप ने उत्तर में दिया है, तो दोनों बातें बरेली में आम जानकारी की हैं, वह थाने में डिस्कस हुई हैं, तो थानाध्यक्ष की रिपोर्ट मंगाकर उसमें अभिलिखित कारणों की जांच करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, थानाध्यक्ष की रिपोर्ट उपस्थित है आप कहें तो मैं बता दूं । यह बातें नहीं हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जुलूस निकालने की दर्खास्त डी० एम० या एस० डी० एम० को दी गयी, तो क्या १४४ लगी थी बरेली में, जिसके आधार पर वहां जुलूस निकालने की आज्ञा नहीं दी गयी। जब और जगहों पर जुलूस निकला, तो बरेली में क्यों नहीं निकालने दिया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, बरेली में सदैव प्रभातफेरी २ बजे से ७ बजे तक होती थी और इस वर्ष उन्होंने जुलूस निकालने के लिए मांग की और रास्ता दूसरा बताया था, इसलिए अनुमति नहीं दी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि थाने में रजिस्टर होता है, जिसमें लिखा होता है कि धार्मिक जुलूस कब और कहां और कैसे निकलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी धार्मिक जुलूस को पहली बार नये ढंग से निकालने की कोई पाबन्दी नहीं है। उन लोगों ने जब प्रार्थना-पत्र दिया था कि आज हम नयी बार एक नया जुलूस निकालना चाहते हैं और उसका विरोध किसी सेक्शन ने नहीं किया किसी समुदाय ने नहीं किया, गुरु गोविन्द सिंह हमारे राष्ट्रीय महापुरुष हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण हैं, जिनसे पुलिस अधिकारी ने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। जुलूस निकालने में किसी समुदाय को खतरा नहीं था, १४४ नहीं लगी थी, तो वह कौन से कारण हैं जिससे जुलूस निकालने के लिए मना कर दिया ? क्या उन कारणों से सरकार भी सहमत है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, कानून और व्यवस्था को दृष्टि में रखकर यह निर्णय लिया जाता है। माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं भी जो धार्मिक कृत्य होते हैं उनका एक रजिस्टर होता है, लेकिन उन्होंने नये रास्ते और नये समय की बात कही थी, इसलिए अनुमति नहीं दी गई थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि क्या उस रास्ते से जुलूस निकालने के लिए किसी ने उसका विरोध किया था ? क्या परिस्थितियां दरोगा के सामने थीं कि उसने अनुमति न देने की सिफारिश की ? यदि किसी ने विरोध भी नहीं किया है, तो इस सिफारिश के लिए दरोगा को दंडित भी किया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

दरोगा और उच्चाधिकारियों सबने विचार-विमर्श करके ही निर्णय लिया है। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह वस्तुस्थिति से परे है। इस एप्लीकेशन में

एक नये जुलूस को निकालने की बात कही गई है अंग्रेजी में यह प्रार्थना-पत्र है । पहले से जो धार्मिक जुलूस निकला करते थे, उसका जो रजिस्टर उपलब्ध था, दरोगा ने उसको भी देखा और साथ ही साथ उसमें जो दूसरा रास्ता बताया गया था, उन परिस्थितियों को देखकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और वहां के डी० एम० ने, जो संयोग से श्री बग्गा जी हैं, उन्होंने स्वयं भी इन सब वस्तुस्थितियों को देखकर निर्णय लिया है । आप कहें तो मैं वह परिस्थितियां बता दूं ।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी समुदाय ने या किसी व्यक्ति विशेष ने इस जुलूस के निकालने पर किसी प्रकार का एतराज किया था ? यदि किया था, तो उसका विवरण कृपया दे दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

किसी व्यक्ति का एतराज इस पर नहीं था । केवल यह वहां की वस्तुस्थिति को देखकर आकलन किया गया था ।

श्री मित्रसेन—

मंत्री जी ने माननीय सदस्य के उत्तर में कहा कि वस्तुस्थिति ऐसी थी । लेकिन उस वस्तुस्थिति का आकलन किसने किया और वस्तुस्थिति है क्या ? इसकी भी कृपया जानकारी करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बता दिया कि डी० एम० ने वस्तुस्थिति का आकलन किया था ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस प्रार्थना पत्र पर, जिस पर कि जुलूस निकालने के लिए अनुमति नहीं दी गई, किसी अधिकारी ने कोई विशेष आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ? क्या मंत्री जी उन आदेशों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, यह एप्लीकेशन वहां के खालसा पंथ के चीफ इंचार्ज श्री इन्द्रजीत सिंह जी ने दी थी और उन्होंने लिखा था कि इस वर्ष एक नया जुलूस निकालना चाहते हैं और उसका रूट भी उन्होंने लिखा था और यह भी लिखा था कि पहले के समय से यह भिन्न होगा और दिन के दो बजे समाप्त होगा । इस पर जिलाधिकारी ने जो निर्णय लिया, वह इस प्रकार है कि एक नया जुलूस निकालने की अनुमति मांगी । दूसरे लोग भी इस तरह की नई चीजों के लिए मांग करेंगे, इसलिए अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री भीखालाल—

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्ली ली गयी है कि चूंकि यह जुलूस पहले कभी नहीं निकला था, इसलिए अनुमति नहीं दी गयी, तो क्या शासन ने ऐसी कोई नीति बना ली है कि अगर कोई धार्मिक जुलूस निकालना चाहे, शांति व्यवस्था को कोई खतरा न हो, किसी पक्ष से कोई एतराज न हो तब भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जहां के लिए आज्ञा मांगी जायेगी वहां की परिस्थितियों को देखकर शासन निर्णय लेगा और यही उसकी नीति है।

मेसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स कम्पनी लि०, मोदीनगर के कर्मचारियों का बोनस

**२—श्री रियासत हुसेन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गौरी शंकर भैया, श्री राम गोविन्द तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि जो आर्बीट्रेशन उन्होंने दिनांक २७ सितम्बर, सन् १९८० को मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मोदीनगर के मालिकों और हिन्द मजदूर सभा से संबंधित कपड़ा मिल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के बीच किया था उसका अभी तक एवार्ड नहीं दिया गया है ? इस देरी का क्या कारण है ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

दिनांक २७ सितम्बर, १९८० को माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष मेसर्स मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स कं० लि० के सेवायोजकों एवं प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक संगठन मोदी स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स कर्मचारी यूनियन तथा कपड़ा मिल मजदूर यूनियन, के पदाधिकारियों के मध्य हुई सहमति के अनुसार इस प्रतिष्ठान के श्रमिकों को देय वर्ष १९७८-७९ के बोनस का विवाद मुख्य मंत्री जी के अनौपचारिक पंच निर्णय पर छोड़ा गया था। इस संबंध में उभय पक्षों की दो बार प्रारम्भिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। सुनवाई के मध्य उपलब्ध तथ्यों का बोनस एक्ट के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन हो रहा है तथा शीघ्र ही मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय दे दिया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि इस फैक्ट्री में लगभग चार पांच महीने हड़ताल रही और उसके बाद मुख्य मंत्री जी को सब ने आर्बीट्रेटर स्वीकार किया था और सबसे पहले काम बोनस के डिक्लेरेशन का था, लेकिन ५ महीने बाद भी फाइनल डिक्लेरेशन नहीं कर पाये हैं और वहां फिर से बेचैनी फैल रही है, तो कब तक मुख्य मंत्री जी का एवार्ड हो जायगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

माननीय सदस्य ने कई प्रश्न एक साथ किये हैं। मैं एक-एक का उत्तर दूंगा। इसमें सन्देह नहीं कि मोदीनगर में लंबी हड़ताल हुई थी। लेकिन उनकी जो मांगे थीं

उसमें बोनस की मांग नहीं थी। यह उससे अलग है। दूसरी चीज यह है कि हमारे शासन में आने के पूर्व यूनियन ने एडजुडिकेशन के लिए इस विषय को समर्पित किया गया था जो आलरेडी एक ट्रिब्यूनल के सामने है, जिसको उन्हें विदड्रा करना है। उस पार्टी के साथ यह समझौता पहली मई, १९८० को हुआ था, जब हम शासन में नहीं थे। तीसरी चीज यह है कि बोनस का केलकुलेशन बोनस एक्ट की धारा ५ से लेकर १० तक के अनुसार होता है। रुपये आने पाई का हिसाब लगाया जाता है। वह हिसाब लग रहा है। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मजदूरों को बोनस मिलेगा किन्तु कानूनन जितना बोनस बनता है, उससे अधिक मजदूर चाहते हैं। हम उसे फिर से दिखवा रहे हैं। अगर कानूनन बनाने वाले बोनस की बात पर जोर दिया जाता है, तो हम आज ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों के दबाव के कारण दोनों पक्ष २० तारीख को बैठें ताकि बात आगे चले और तथ्यों की पुनर्परीक्षा हो सके। अब दूसरी तारीख उनकी सहमति से तय होगी, उस दिन बात आगे बढ़ेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री ने कहा कि जो कानूनन बोनस बनता है, उसको वह आज ही ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों के दबाव व हित को देखते हुए वह इस पर बाद में निर्णय लेंगे, तो मेरा सुझाव है कि जो कानूनन बोनस बनता है, उसे तुरन्त भुगतान कर दिया जाय और उसके लिये आदेश दे दिये जायं तथा मजदूर जो ज्यादा के लिये दबाव डाल रहा है, उसका बाद में सरकार एलान कर देगी। क्या सरकार मेरे सुझाव को मानने को तैयार है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे प्रश्न उठा कर हमारे लिए समस्या पैदा न की जाय।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कानूनन जो बोनस मजदूरों का बनता है उसकी घोषणा वह आज ही कर सकते हैं लेकिन कठिनाई उनकी यह है कि कानून के परे मजदूर बोनस चाहता है। लेकिन सरकार यह भी मानती है कि महंगाई बढ़ी है, तो क्या वर्तमान महंगाई को देखते हुए वह कानून में ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे बढ़ी हुई महंगाई के हिसाब से मजदूरों को बोनस मिल सके ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

यह कानून केन्द्र का है। मैंने जो बात कही थी उससे थोड़ी सी गलतफहमी शायद पैदा हो गयी है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कानून के हिसाब से जो बोनस का हिसाब लगाया, उससे ज्यादा मजदूर मांग रहे हैं, इसलिए उनकी सहमति से चीजों को फिर से देखा जा रहा है। एवार्ड मुख्य मंत्री जी को देना है। २० तारीख को सुनवाई हुई। फिर बैठक होने वाली है। इसी कारण मैंने करबद्ध प्रार्थना की है कि माननीय सदस्य आगे प्रश्न न करें ताकि नई समस्या पैदा न हो सके।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

जेल में पाखाने से वायो गैस बनाये जाने पर विचार

१—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कारागार मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें किसी विधायक का पत्र जेल में टट्टी प्रणाली को दोषमुक्त करने व उससे प्राप्त गैस से ईंधन व रोशनी की समस्या हल करने व उत्तम जैविक खाद जेल फार्मों के लिए प्राप्त करने के बारे में दिसम्बर, १९८० के उत्तरार्द्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

माननीय विधायक के पत्र दिनांक २६ दिसम्बर, १९८० में यह सुझाव दिया गया है कि शंकर सीमेन्ट फैक्ट्री ने पाखाने से वायो गैस बनाने की जो प्रणाली अपनाई है उसके अनुसार जेलों में वायो गैस प्लान्ट लगाये जायेंगे इससे जेलों की ईंधन और रोशनी की समस्या हल हो जायेगी और जेल की फार्मों के लिए जैविक खाद उपलब्ध हो जायेगी ।

माननीय विधायक के उक्त पत्र में दिये सुझाव पर शासन विचार कर रहा है ।

कानपुर जिले में सेंगुर व यमुना नदियों के क्षेत्र की सिंचाई योजना

२—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में सेंगुर व यमुना नदियों के बीच ऐसी असिंचित भूमि को सींचने के लिए, जहां पर नहर का पानी जाना संभव नहीं है, सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । नलकूप लगाकर लगभग १,९०० हेक्टेयर क्षेत्र तथा निर्माणाधीन उमर हट पम्प नहर योजना से ४,८५६ हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचन सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है । ये योजनाएं वर्ष १९८२-८३ तक पूर्ण होनी सम्भावित हैं ।

जूनियर इंजीनियर, सिंचाई विभाग का लोक सेवा आयोग द्वारा कथित अनुमोदन

३—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७२ में लोक सेवा आयोग से अनुमोदित जूनियर इंजीनियर (जो पहले मैकेनिकल सुपरवाइजर के नाम से अनुमोदित हुए थे) आज तक उनका स्थायीकरण क्यों नहीं किया गया ? जबकि स्थायीकरण हेतु पद भी रिक्त हैं ? क्या यह सही है कि इसके कारण जूनियर इंजीनियर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

से भी वंचित हैं ? तो कब तक उनका स्थायीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष १९७२ में लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी मैकेनिकल सुपरवाइजर/जूनियर इंजीनियर (यांत्रिक) का अनुमोदन नहीं किया गया है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

वर्कशाप, ईदगाह, आगरा के क्लीनर, श्री राम चरन की सेवा समाप्ति

४—श्री बदन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि एक क्लीनर (राम चरन पुत्र श्री रामजी लाल) मई, १९८० से ४-११-८० तक वर्कशाप ईदगाह (आगरा) में रक्खा गया था ? यदि हां, तो उसको क्यों हटाया गया ? और उसका छः माह काम करने का वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री राम चरण तारीख ५-५-८० से १९-५-८० तक एक अवकाश रिक्ति में कार्यरत रहे। रिक्ति न रहने पर उन्हें सेवा में नहीं रखा गया। सेवाअवधि का भुगतान श्री राम चरण ने प्राप्त कर लिया है।

अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ मार्ग पर के० एम० ओ० यू० लि० की गाड़ियों के परिचालन के संबंध में पत्र

५—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं मोटर ओनर्स यूनियन लि० काठगोदाम के प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री तथा मुख्य मंत्री से उनके उत्तराखंड के दौरे के समय अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ मार्ग को नेशनलाइज कर उस पर के० एम० ओ० यू० लि० की गाड़ियों को चलने से न रोका जाय के संबंध में बातचीत की थी ? क्या इसी विषय पर पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश विधायकों ने उक्त मंत्रियों को पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन ने अब तक क्या निर्णय लिया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

विषय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विचाराधीन है।

कानपुर जिले में सिंचाई कर की वसूली

६—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने माह अगस्त सन् १९८० से माह अक्तूबर, १९८० तक (अतिवृष्टि की अवधि) की भी सिंचाई वसूल करने के कोई आदेश कानपुर जिले में भेजे हैं ? यदि हां, तो बिना सिंचाई किये हुए सिंचाई वसूलने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के भाटपार और भटनी ब्लाक की बाढ़ नियंत्रण योजना संबंधी पत्र

७—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १८-८-८० देवरिया जिले के भाटपार और भटनी ब्लाकों को बाढ़ से बचाने के विषय पर शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में अंकित विभिन्न समस्याओं के संबंध में आवश्यक सर्वेक्षण आदि किये जा रहे हैं जिनके पूर्ण होने के पश्चात् ही आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

अनुसूचित जाति के लिए कारापाल पद का आरक्षण एवं पदोन्नति

८—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारापाल के कुल कितने पद हैं उनमें कितने पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं ? क्या सभी आरक्षित स्थान अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों से भर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

कारापाल के कुल ७८ पद हैं इनमें से ६ पद रखे गये हैं । शेष ७२ पदों में नियमानुसार १३ पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित होते हैं । इनमें ९ पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पदोन्नति पा चुके हैं । शेष ४ पद उपयुक्त अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त हैं।

९—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में कारापाल के पदों पर १५ पदोन्नतियां की गई हैं ? यदि हां, तो उनमें अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं । किन्तु दिनांक १७-७-८० को किये गये चयन के आधार पर कारापालों के पदों पर केवल ८ पदोन्नतियां की गई हैं जिनमें से एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है ।

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर में बन्धों एवं नालों पर रेगुलेटरों का निर्माण तथा ताल दोना रेगुलेटर का निर्माण

१०—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के छोटी गंडक के किनारे बन रहे बंधी के बीच किन-किन स्थानों पर रेगुलेटर बन गये हैं ? किन-

किन स्थानों पर अधूरे हैं तथा किन-किन स्थानों पर बनाये जाने वाले हैं ? और इनको कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में विभिन्न बंधों एवं नालों पर कुल ३३ रेगुलेटरों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित था, जिसमें अब तक २१ रेगुलेटरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, ५ रेगुलेटरों पर कार्य प्रगति पर है एवं ७ पर प्रारम्भ किया जाना है। रेगुलेटरों का पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है। यदि लोहे एवं सीमेंट की आपूर्ति समुचित रूप से होती रही, तो समस्त कार्य आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण हो जायेगा।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२३ पर)

११—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भण्डारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त बंधों के बीच तालदोना पर रेगुलेटर निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो अब तक कितना धन खर्च हो गया है तथा कितने दिनों में इसका कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा और अब तक पूर्ण न होने के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इस पर अब तक कुल ३.६ लाख रुपया खर्च किया जा चुका है। यदि लोहे एवं सीमेंट की आपूर्ति समुचित रूप से होती रही, तो अगले वर्षाकाल से पूर्व इसका निर्माण पूर्ण हो जायगा। सीमेंट एवं उचित माप की सरिया (लोहा) उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य अब तक पूर्ण न कराया जा सका।

श्री एम० पी० सिंह, सहायक अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण खण्ड, देवरिया के विरुद्ध अंकित गबन की रिपोर्ट

१२—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एम० पी० सिंह, सहायक अभियंता गंडक नहर निर्माण खंड, देवरिया के विरुद्ध सरकारी माल की चोरी से बेचने के आरोप में श्री शाह आलम, अवर अभियंता द्वारा अपराध संख्या ८६, दिनांक १३-९-७७ को थाना नेबुआ नौरंगीया में दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पुलिस की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्नगत मामले की विभागीय जांच भी की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में विचार किया जायेगा।

आगरा जिले में जमुना नदी पर बैराज निर्माण परियोजना

१३—श्री हुकम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि आगरा में यमुना नदी के आर-पार ताज के लिए एक चिर स्थायी जल सीमा उपलब्ध करने हेतु ९.९५ करोड़ रुपये की लागत से बैराज के निर्माण की परियोजना तैयार की गयी थी एवं भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से स्वीकृति लिये बिना कार्य शुरू कर के १४४ लाख रुपये का निष्फल व्यय किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? और इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । योजना की अनुमानित लागत रु० ९.९५ करोड़ आई ।

परियोजना के प्रारम्भिक अध्ययन के कार्य हेतु पुरातत्व विभाग से पूछना आवश्यक नहीं था । मूल योजना पर कोई व्यय नहीं किया गया केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा माडल स्टडीज पर एवं अस्थाई बिजली की लाइन हेतु केवल रु० ९६.७६२ का व्यय किया गया । इस बारे में किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को दी जाने वाली विशेष छात्रवृत्ति

१४—श्री धनीराम वर्मा—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिजन एवं पिछड़ी जातियों के बच्चों को मैरिट व हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में से केवल एक प्रकार की छात्र-वृत्ति ही प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और प्रखर बुद्धि वाले छात्रों को दोनों प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करने का आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

जी हां । लब्ध प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा ६ या ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले अनु-सूचित जातियों/पिछड़ी हुई जातियों के मेधावी छात्र/छात्राओं को शैक्षिक एवं आवासिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है । इन छात्र/छात्राओं को साधारण छात्रवृत्ति की तुलना में कहीं अधिक धनराशि प्रदान की जाती है ।

चूंकि इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है, अतः साधारण छात्रवृत्ति देने का कोई औचित्य नहीं है ।

रानीखेत, अल्मोड़ा की नैथानादेवी पेयजल योजना के ठेकेदारों का भुगतान

१५—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैथाना रानीखेत (अल्मोड़ा) पेयजल ग्राम समूह योजना के ठेकेदारी कार्य पूर्ण हो जाने के बाद ८ वर्ष बाद भी भुगतान नहीं किया गया है ? भुगतान न करने का कारण क्या है ? सरकार कब तक भुगतान करने की सोच रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा की नैथाना देवी ग्राम समूह पेयजल योजना के ठेकेदारी कार्य वर्ष १९७५ में स्माप्त हो गये थे। केवल एक ठेकेदार के मामले में अन्तिम भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि उसके द्वारा किये गये कुछ कार्य त्रुटिपूर्ण पाये गये थे और ठेकेदार द्वारा उसे ठीक नहीं कराया गया। ठेकेदार को देय धनराशि की गणना करा कर उसे इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किये जाने के आदेश जल निगम द्वारा दे दिये गये। एक अन्य ठेकेदार का ठेका, कार्य समय से पूरा न करने पर निरस्त कर दिया गया था और उसे कोई भुगतान देय नहीं है।

रानीखेत के तिमली चचरोटी पेयजल के टैंक का निर्माण

१६—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत में तिमली चचरोटी ग्राम समूह पेयजल योजना निर्माणाधीन है ? क्या योजना का फील्टर टैंक का स्थान कच्चे स्थान पर चयन किया गया है तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि विभाग के अधिकारी ठेकेदार के खंड को निरस्त कर मस्टररोलों पर कार्य करवा रहे हैं ? उपरोक्त योजना की निविदा कब मांगी गई थी तथा कार्य आदेश कब दिया गया ? क्या यह सत्य है कि जिस अधिशासी अभियंता ने उपरोक्त येजना का सर्वेक्षण किया है वही निर्माण कार्य भी करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां।

योजना के फिल्टर टैंक को कच्चे स्थान पर नहीं बनाया जा रहा है बल्कि उसे पक्के और सुरक्षित स्थान पर बनाया जाना प्रस्तावित है। यह सत्य नहीं है कि विभाग के अधिकारी ठेकेदार के बान्ड को निरस्त करके मस्टर रोलों पर कार्य करा रहे हैं।

उपर्युक्त योजना की निविदा वर्ष १९७८ में मांगी गयी तथा कार्य आदेश जनवरी, १९८० में दिये गये थे। यह सत्य है कि जिस अधिशासी अभियन्ता ने उक्त योजना का सर्वेक्षण किया है उसी के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं है।

उमरहट पम्प कैनाल योजना के निर्माण संबंधी पत्र

१७—श्री रामस्वरूप वर्मा—

सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उमरहट पम्प कैनाल योजना के द्वितीय चरण को पूरा करने का वायदा सरकार ने जिस पत्र में किया था उसकी फोटो स्टेट कापी विधायक के पत्र के साथ माननीय मंत्री को दिनांक ८ सितम्बर, १९८० को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । परन्तु निर्माणाधीन ५० क्यूसेक्स क्षमता की उमरहट पम्प नहर योजना की क्षमता बढ़ाने हेतु यमुना नदी में जल उपलब्धि की साध्यता प्रमाणित नहीं हो पाई है ।

श्री राम स्वरूप, प्रभारी सहायक अभियन्ता, अनूपशहर खण्ड का स्थानान्तरण

१८—श्री मन्जूर अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम स्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, अनूप शहर खंड, मेरठ का स्थानान्तरण मार्च, १९८० में राष्ट्रपति शासन में रुड़की डिवीजन को किया गया था ? क्या यह भी सही है कि दिसम्बर, १९८० में आदेश रद्द कर बुलन्दशहर स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री राम स्वरूप, प्रभारी सहायक अभियन्ता (सिविल) (अधीक्षण अभियन्ता न होकर), उनूप शहर खंड, मेरठ का स्थानान्तरण अप्रैल, १९८० (मार्च, १९८० न होकर) में राष्ट्रपति शासन में रुड़की डिवीजन को किया गया था ।

जी हां । दिसम्बर, १९८० में उक्त स्थानान्तरण आदेश रद्द करके श्री राम स्वरूप का स्थानान्तरण बुलन्दशहर किया गया था । उक्त स्थानान्तरण जनहित में किया गया ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

१९—श्री मन्जूर अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९८० में सिंचाई विभाग के कितने सहायक अभियंता व कितने अधीक्षण अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गये और किन-किन के ! तथा किस आधार पर ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर जिले में नलकूपों का छिद्रण

२०—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले में कितने नलकूप पिछले तीन वर्षों में बने और उनमें से कितने चालू हैं और जो नहीं चालू हुए उनका क्या कारण है तथा कितने समय में चालू हो जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीतापुर जनपद में पिछले तीन वर्षों में १२० राजकीय नलकूपों का छिद्रण हुआ जिनमें से ५६ नलकूप चालू हैं । शेष में से ४६ नलकूपों के वी० एण्ड एल० फार्म विद्युतीकरण

के लिए विद्युत विभाग में लम्बित हैं तथा १८ नलकूपों पर कार्य प्रगति पर हैं। इन नलकूपों के एक वर्ष में चालू होने की संभावना है।

२१—श्री प्रियदर्शी जेटली तथा श्री गोरे लाल शाक्य—

[४थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न सं० २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी जिले की मुसहर जाति हेतु पेयजल एवं उनके उत्थान की योजनाएं

२२—श्री ऊदल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरावां, कुंडी, बैरामपुर, कुलवरिया कीनयर, अनेईमरथीपुर, सिंसवां, खटीरयां, तालुकीबिरांय, निन्दनपुर, गांगकला, सगुनहां सिसवां बसनी, दल्लीपुर, बरहीकलां कुबार, तरसड़ा, कीठरांव, बेलवां, रघुनाथपुर, टटरा, निमाइच, खरावन, ब्लाक बड़ागांव में सैकड़ों घर से ऊपर मुसहरों की आबादी है ? यदि हां, तो इनके उत्थान के तथा पेयजल के लिए क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मुसहर जाति, जो पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध तथा पूर्वांचलीय पांच जनपद वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया तथा सुलतानपुर में विमुक्त जाति की सूची में भी सूचीबद्ध हैं के आर्थिक उत्थान की विशेष योजना वर्ष १९७८-७९ से संचालित हैं जिनके अन्तर्गत इनके बालकों/बालिकाओं हेतु आश्रम पद्धति विद्यालय, सुल्तानपुर तथा वाराणसी में संचालित हैं। आर्थिक उत्थान की विशेष योजना के अंतर्गत मुसहरों के पुनर्वासन के साथ-साथ पेय जल की सुविधा भी दी जाती है।

२३—श्री ऊदल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव थाना पिंडरा, जमापुर, घरसौना, कहरका करमी, मंगारी, नेवादा घांघली झंझोर, बेलारी, रतनपुर, बतसपुरा, शाहपुर, गेढ़िया, मरूई, छतांव, रतवारपेगपुर, कृष्णापुर, टिकरी वगैरह गांवों, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में मुसहर जाति के उत्थान एवं पेयजल की सुविधा हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? और क्या यह सत्य है कि उपरोक्त गांवों में सैकड़ों घर मुसहर जाति बस्ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वे करायेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

मुसहर जाति के उत्थान के सम्बन्ध में योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं में गृह निर्माण, गृह स्थल की लागत, भरण-पोषण, पाठशाला, खेलकूद के लिए पार्क के साथ-साथ पेयजल की सुविधा भी शामिल है। इसके लिए जिलाधिकारी को आदेश पहले से उपलब्ध हैं।

२४—श्री पंचानन—

[६ठें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

प्रदेश में डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत नलकूपों का आवंटन

२५—श्री भीखा लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र द्वारा प्रदेश में कितने नलकूप लगाने के लिए धन की व्यवस्था की गई है ? और वह किन-किन जिलों में कितने-कितने लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग में नलकूपों के निर्माण हेतु केन्द्र से सीधे धन की व्यवस्था नहीं है । सूखोन्मुख क्षेत्रों में डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत ५० प्रतिशत धन केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है जो जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है । सूखोन्मुख क्षेत्रों में वर्ष १९८०-८१ में जनपदवार नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव निम्न प्रकार है—

वाराणसी	४
मिर्जापुर	४
इलाहाबाद	२०
हमीरपुर	२७
जालौन	२५
	१००

सिंचाई विभाग नलकूप पश्चिम, मेरठ के उपखण्डों में लिपिकों का सेवाकाल

२६—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग नलकूप पश्चिम, मेरठ के अन्तर्गत उप खण्डों में कार्यरत उप खण्डीय लिपिक प्रथम का उक्त काउन्टर पर सेवाकाल क्या है ? क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में वर्ष १९६५ में कोई नियम बनाया था ? यदि हां, तो उनका अनुपालन किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायेंगे—

१—ऐसे लिपिक जो एक काउन्टर पर लगातार ३ वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? कार्यकाल बताया जाये ?

२—ऐसे उप खंडीय लिपिक प्रथम जो एक ही खंड में इसी काउन्टर पर ३ वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हो ?

३—ऐसे उप खंडीय लिपिक प्रथम जो एक खंड में उपखंड से ही उपखंड के स्थानान्तरण किये गये हों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

२७—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[५ वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों में सड़कों का निर्माण

२८—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७८-७९ और १९७९-८० में जिला चमोली और जिला पौड़ी गढ़वाल में कौन-कौन मोटर मार्ग निर्माण के लिए स्वीकृत किये गये थे ? उन पर ३१-१२-१९८० तक कितना कार्य हुआ है और कब तक वे बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

सूचना संलग्न तालिकानुसार है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२६—५२४ पर)

निचली गंगा नहर की भोगनीपुर शाखा में जल की उपलब्धि

२९—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरसात में जब अलीगढ़ में गंगा में पूरा पानी होता है उसका उपयोग करने की जो योजना चलाई गई थी उसके फलस्वरूप लोअर गंगा नहर, भोगनीपुर डिवीजन को कब तक भरपूर पानी मिलने लगेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

समानान्तर निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य जून १९८२ तक पूर्ण होना संभावित है । इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर निचली गंगा नहर की भोगनीपुर शाखा को खरीफ की सिंचाई, हेतु जल-उपलब्ध हो जायेगा ।

कानपुर—बेला—विधूना मार्ग पर चलने वाली बसों से आय

३०—श्री धनी राम वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि कानपुर-बेला-विधूना रोड पर कितनी बसें चलती हैं और उनकी प्रतिदिन की आय क्या है ?। क्या यह सत्य है कि उक्त रोड पर बसों का आवागमन अनियमित है और अधिकांश बसें रास्ते में बिगड़ी खड़ी हैं जिसके कारण यात्रियों को महान कष्ट होता है और निगम की बहुत बड़ी आर्थिक हानि होती है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर बसों के नियमित आवागमन की शीघ्र व्यवस्था की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कानपुर-बेला-बिधुना रोड पर प्रतिदिन निगम की १७ बसों द्वारा ४२ ट्रिप का संचालन निर्धारित किया गया है । प्रति दिन की औसत आय ६५०० रु० है । इस सड़क की दशा खराब है अतः प्रतिदिन कुछ ट्रिपों का स्थगन होता है । जब तक सड़क को सुधार कर उसे तारकोल रोड नहीं बनाया जाता तब तक बस संचालन की व्यवस्था में सुधार करना संभव नहीं है ।

जौनपुर जिले के ग्राम बीरमपुर में नलकूप का निर्माण

३१—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लाक के बीरमपुर ग्राम में नलकूप लगाने हेतु जो गत वर्ष बोरिंग प्रारम्भ की गई थी वह किन परिस्थितियों में अधूरी छोड़ दी गई ? क्या इस स्थल पर नलकूप लगवाकर कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लाक के बीरमपुर ग्राम में नलकूप लगाने हेतु गत वर्ष मार्च, १९८० में बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया है । नलकूप विकास करना शेष है जो शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा । कृषकों को आगामी खरीफ फसल में सिंचाई की सुविधा विद्युतीकरण उपरान्त उपलब्ध कराई जाने की संभावना है ।

मुहम्मदाबाद विकास क्षेत्र, आजमगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति

३२—श्री पंचानन—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद विकास क्षेत्र में स्थित किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष १९७९-८० तथा १९८०-८१ के लिए स्वीकृत हरिजन छात्रवृत्ति का भुगतान १५ अक्तूबर, १९८० तक नहीं किया गया है ? इनमें कौन-कौन से विद्यालय हैं जिन्होंने उक्त धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त छात्रों को वितरित नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करायेगी ?

श्री छेदा लाल चौधरी—

आजमगढ़ जनपद के मुहम्मदाबाद विकास क्षेत्र में स्थित पब्लिक बा० इंटर कालेज, बरामदपुर, टाउन इंटर कालेज, मोहम्मदाबाद, नेशनल इंटर कालेज, मोहम्मदाबाद तथा बी० आर० के० इंटर कालेज, बलीपुर में वर्ष १९७९-८० तथा १९८०-८१ के लिए स्वीकृत हरिजन छात्रवृत्ति का पूर्ण भुगतान १५-१०-८० तक नहीं किया गया है ।

उपरोक्त चार विद्यालय ही ऐसे हैं जिन्होंने हरिजन छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त आंशिक धनराशि वितरित नहीं की है। इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का स्पष्टीकरण हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ जिले की ग्राम इस्माइलगंज झील एवं कठौता झील की जलनिकासी योजना

३३—श्री प्रदीप कुमार यादव—

लखनऊ में ब्लाक चिनहट स्थित ग्राम इस्माइलगंज में एक बड़ी झील है जो हर बरसात में बढ़कर चिनहट के पास स्थित कठौता झील से मिल जाती है जिससे न केवल इस्माइलगंज, विजईपुर, पानीगांव कमता, तखवा आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि पानी में डूब जाती है और लाखों रुपयों के फसल का नुकसान होता है बल्कि आवागमन में भी बाधा पड़ती है ? यदि हां, तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री वहां कोई नाला बनाकर कठौता झील का पानी गोमती नदी या किसी समीपवर्ती नाले में गिराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उक्त क्षेत्र के पानी की निकासी के लिए एक ड्रेन प्रस्तावित है। सर्वेक्षण के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

गंडक नहर निर्माण खण्ड, पंचम, देवरिया के कर्मचारियों हेतु परियोजना प्रतिकर भत्ते की मांग

३४—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत समस्त खण्डों के कर्मचारियों/अधिकारियों को, जो ५३२ मल्टी-परपज रिवर गंडक प्रोजक्ट प्लान के लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं, परियोजना प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या गंडक नहर निर्माण खंड पंचम, देवरिया के कर्मचारियों/अधिकारियों को परियोजना प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परियोजना भत्ता से संबंधित लागू आदेशों के अनुसार परियोजना भत्ता सामान्यतः केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य है जो किसी परियोजना विशेष का कार्य कर रहे हों और जिनके मुख्यालय जिला/तहसील मुख्यालयों तथा नगर पालिका एवं नोटीफाइड क्षेत्रों की सीमा से बाहर हों। गंडक नहर निर्माण खण्ड, पंचम्, देवरिया के अधिकारी/कर्मचारी किसी परियोजना का कार्य नहीं कर रहे हैं बल्कि बाढ़ सुरक्षा कार्य कर रहे हैं। अतएव लागू आदेशों के अनुसार उन्हें परियोजना भत्ता देय नहीं है।

जौनपुर जिले के रसूलपुर-बघाड़ी तथा सोंइया खुर्द-बनआडीह नाले का निर्माण

३५—श्री जंगबहादुर—

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जौनपुर जनपद के खुटहन विकास क्षेत्र में रसूलपुर से बघाड़ी तथा सोइया खुर्द से बनुआ

डीह तक पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कराया गया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो अधूरे नाले को शीघ्र पूरा कराया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, नाले के निर्माण का कार्य लगभग ९० प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अवशेष कार्य कृषकों के अवरोध के कारण नहीं हो पाया। भूमि अध्यापन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद शेष कार्य पूर्ण किया जायेगा।

सिंचाई विभाग, आजमगढ़ के कर्मचारियों की कथित छंटनी

३६—श्री राज कुमार राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सिंचाई विभाग के तीन साल तक सेवा पूर्ति किये हुए छंटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः विभाग में रखने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ में सिंचाई विभाग के तीन साल तक सेवा पूर्ति किये हुए किसी भी कर्मचारी को सेवा मुक्त नहीं किया गया है ? अतः पुनर्नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

जमुनिया राजबहा, जिला देवरिया के किनारे सड़क, पुल एवं साइफन निर्माण सम्बन्धी पत्र

३७—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी—

क्या तारांकित प्रश्न संख्या-२, दिनांक १०-९-८० के उत्तर के संदर्भ में सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पत्र दिनांक १६-१-८० की प्रति में वांछित मांगों एवं जमुनिया राजबहा, पड़रौना, जिला देवरिया के निर्माण के समय पुलिया, छलका, साइफन, पुल आदि न बनाने के कारण ग्राम श्रीपति खंड (टेलग्राम) में उपस्थित कृषि व्यवधान को दूर करने हेतु कथित मंशा को पूर्ण करने का कार्य आदेश मंत्री जी दिये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में जो विधायकों के पत्र दिनांक ३-११-८० इस आशय को शासन को प्राप्त हुए हैं कि फजूलखर्ची को बचाने हेतु नहर के किनारे प्रस्तावित सड़क को प्रथम चक रोड तक ही बनाया जाय ? यदि हां, तो वांछित मांगों के प्रति क्या कार्यवाही की गई तथा कार्य का पूर्ण प्रस्तावित विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

जी हां।

नहर के टेल गूल के किनारे सड़क बनाने एवं नहर पर किसी पुल, पुलिया, साइफन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल सम्बन्धी बांध निर्माण योजना

३८—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल के पानी के फैलाव को कम करने के लिए तथा आस-पास के गांवों के हजारों

एकड़ की फसलों को बरबादी से बचाने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्वी दक्षिण स्थित चौराहे से मलौनी बांध तक तथा महादेव झारखंडी टुकड़ा नम्बर १ से तरकुलानी तक रामगढ़ ताल के तीन तरफ बांध बनाने की योजना है और तरकुलानी के पास राप्ती और गौरी नदी के मिलान बिन्दु पर गौरी नदी पर जल निकासी हेतु बड़े रेगुलेटर के बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजनाओं पर कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल के पानी के फैलाव को कम करने के लिए रामगढ़ ताल रेलवे कालोनी के निकट से लेकर मलौनी बांध के कि० मी० २१.०७ तक एक बांध के निर्माण की योजना विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ ताल के तीन तरफ बांध निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जी हां।

यह योजनायें बहुत बड़ी योजनायें हैं, जिसकी स्वीकृति गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा योजना आयोग, भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

गोरखपुर क्षेत्र, परिवहन निगम के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

२९—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वर्ष १९८० में गोरखपुर क्षेत्र के राजकीय परिवहन निगम के प्रबन्धक के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोरखपुर को श्री प्रदीप कुमार पांडेय का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, परिचालकों की नियुक्ति विषयक श्री प्रदीप कुमार पान्डे का शिकायती-पत्र दिनांक २१-५-१९८० को जिलाधिकारी गोरखपुर को प्राप्त हुआ था जिसमें निम्न-लिखित शिकायतें की गयी थीं—

(१) चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति से गोरखपुर मण्डल के बेरोजगारों को प्राथमिकता न देकर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी।

(२) सरकार द्वारा निर्धारित की गयी आरक्षण आधार को तोड़ा गया जिससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल सकी।

(३) चतुर्थ क्षेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की सूची होटल यार्क, बबिना व विदेश—काठमांडू में बनाई गयी ।

(४) बिना साक्षात्कार दिये हुए व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी ।

(५) नियुक्ति में घूसखोरी को प्राथमिकता दी गयी है । जिससे गरीब व बेरोजगारों में असन्तोष व्याप्त है ।

(६) नियुक्ति में एक विशेष जाति मुसलमान को प्राथमिकता दी गयी है ।

इन शिकायतों की जांच की गयी । इस चयन को निरस्त कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जिले के महुई-मोहम्मदपुर माइनर के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत

४०—श्री पंचानन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के फतेहपुर मडांव विकास क्षेत्र में महुई-मोहम्मदपुर माईनर का निर्माण काम के बदले खाद्यान्न योजना में हुआ है ? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर मल्ल की कोई शिकायत जनवरी, ८० में प्राप्त हुई है और उसकी जांच एस० डी० एम०, घोसी द्वारा १५ एवं १६ फरवरी, १९८० को हो गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिंचाई विभाग, गोरखपुर एवं मेरठ मण्डल के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

४१—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उ० प्र० के अन्तर्गत ३ वर्ष से अधिक दैनिक वेतन में कार्यरत गोरखपुर मंडल व मेरठ मंडल में कितने कर्मचारी हैं ? और इनके प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी का औचित्य दर क्या है तथा उन्हें कब तक रेगुलर किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत तीन वर्ष से अधिक दैनिक वेतन में मेरठ मंडल में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है तथा गोरखपुर मंडल में ऐसे ४ कर्मचारी हैं । इनकी औसत दैनिक मजदूरी की दर रु० ५ से रु० ६ तक है । दैनिक वेतन भोगियों को रेगुलर करने का वर्तमान नियमों में कोई प्राविधान न होने के कारण शेष प्रश्न नहीं उठते ।

वाराणसी जिले के बाबतपुर रजवहा कमाण्ड में नलकूप निर्माण का प्रस्ताव

४२—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की वाराणसी जिले में निकलने वाली बाबतपुर रजवाहा के कमाण्ड में ब्लाक बड़ागांव, पिंडरा, रहुआं, चोलापुर चिरई गांव के सभी गांवों को जो नाद नदी के दक्षिण एवं वरुणा नदी के उत्तर पड़ते हैं सबकी सरकारी लिस्ट बना दी गयी है और राजकीय ट्यूबवेल लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी नीति के मुताबिक उक्त क्षेत्र नहर से दूर के क्षेत्रों में ट्यूबवेल को भी साथ-साथ लगवाने पर विचार करेगी और उक्त गांवों की लिस्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—बाबतपुर राजवहा के कमांड के अन्तर्गत पड़ने वाले १६ ग्रामों में जिसमें भूमि का स्तर अधिक ऊंचा है तथा बड़ा गांव ब्लाक के अन्तर्गत बड़ागांव से हरहुआ जाने वाली कच्ची सड़क के दक्षिण के क्षेत्र में ३८ ऐसे ही ऊंची भूमि के ग्रामों में नलकूप लगाने हेतु अनुमति दी गई है । उक्त ग्रामों की सूची संलग्न है ।

(देखये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५२७ पर)

सिंचाई विभाग द्वारा जी० डी० एस० कम्पनी से स्टार्टर की खरीद एवं वाराणसी के अधीक्षण अभियन्ता का स्टार्टर के सम्बन्ध में शिकायत

४३—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ट्यूबवेलों के लिए जी० डी० एस० कम्पनी के स्टार्टर हजारों की संख्या में मंगाये गये हैं जो खराब हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं और ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इतने खराब तथा रद्दी स्टार्टर क्यों खरीदे गये, किसने खरीदा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय नलकूपों पर लगभग ११८६ जी० डी० एस० मेक के स्टार्टर कार्यरत हैं जिनमें से ४५ स्टार्टर खराब पाये गये हैं । इनका पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है तथा फर्म इनको ठीक कर रही है । इन स्टार्टरों के कारण नलकूप बन्द नहीं हैं ।

यह स्टार्टर उद्योग निदेशक कानपुर के रेट कांट्रेक्ट पर हैं । अतएव क्रय करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किया गया ।

४४—श्री उदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी ट्यूबवेल विभाग में जी० डी० एस० कम्पनी के पचासों स्टार्टर भेजे गये हैं जो खराब हैं तथा रद्दी हैं और नहीं चल रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि वाराणसी नलकूप विभाग ने मुख्य अभियन्ता को कम्पलेन्ट भी भेज दिया है इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप मंडल, वाराणसी में ११३ स्टार्टर प्राप्त हुए थे जिनमें से १८ स्टार्टरों में खराबी पाई गई । इसकी शिकायत अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, वाराणसी ने अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार प्राप्ति संगठन द्वितीय को भेजी थी तथा फर्म को भी स्टार्टरों की खराबी दूर करने की सूचना दी थी । फर्म के मेकेनिक ने खराब स्टार्टरों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । फर्म का उपरोक्त स्टार्टरों के सम्बन्ध में १० प्रतिशत भुगतान रुका हुआ है ।

टिहरी गढ़वाल जिले के अवरुद्ध मार्ग

४५—श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद के किस किस मोटर मार्ग पर जून, जुलाई तथा अगस्त, १९८० के दौरान वर्षा होने के कारण मोटर मार्गों के अवरुद्ध होने के फलस्वरूप यातायात ठप रहा है तथा क्रमवार कितने-कितने दिनों तक ठप रहा तथा यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सम्प्रति किस-किस मार्ग पर यातायात चालू कर दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत सूचना संलग्न है ।

(देखें नत्थी 'घ' अगे पृष्ठ ५२९ पर)

मेरठ मण्डल में जलनिकासी हेतु ड्रेनेज योजना

४६—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मंडल के किस-किस जनपद में गत ३ वर्षों में २ लाख रुपये से कम लागत की ड्रेनेज

विभाग द्वारा पानी की निकासी व ग्रामीण अंचलों में पानी के कटावों को रोकने के लिए परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं ? उनके नाम मेरठ मण्डल में जनपदवार बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गत तीन वर्षों में मेरठ मण्डल के केवल जनपद बुलन्दशहर में जल निकासी हेतु दोधी ड्रेन तथा फजलपुर-महुआ खेड़ा ड्रेन नाम की दो परियोजनाएं दो लाख रुपये से कम लागत की पूर्ण की गई हैं ।

गत तीन वर्षों में जनपद सहारनपुर में छः मेरठ में एक तथा बुलन्दशहर में एक कटाव निरोधक योजनाएं पूर्ण की गईं जिनकी लागत दो लाख रुपये से कम हैं,

जनपदवार इनके नाम निम्न प्रकार हैं—

१—सहारनपुर—गजराना, शाहपुर, हुसेनपुर-मलकपुर, भूलनी, बुग्गावाला, बंजारेवाला तथा पंचकुंआ ।

२—मेरठ—कुताना ।

३—बुलन्दशहर—मेहन्दीपुर ।

४७—श्री ऊदल—

[४ थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ क्षेत्र में नहरों नालों एवं साइफनों तथा राजकीय नलकूपों का निर्माण

४८—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र में नहरों, नालों एवं साइफनों का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा ? क्या शासन अवगत करायेगा कि फैजाबाद मण्डल के विधायकों की अगस्त, १९८० की मीटिंग में जो १२ राजकीय नलकूप हैदरगढ़ क्षेत्र के लिए प्रस्तावित हुए थे उनका काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में नहरों तथा नालों पर निर्माण कार्य चल रहा है। साइफनों का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद बाराबंकी के लिए वित्तीय वर्ष १९८०-८१ में २३ राजकीय नलकूपों का आवंटन किया जा चुका है। हैदरगढ़ क्षेत्र के लिए अलग से राजकीय नलकूपों का आवंटन नहीं किया गया है। जिला सिंचाई सलाहकार समिति ने हैदरगढ़ क्षेत्र में २ नलकूपों की संस्तुति की थी जिनमें से ग्राम सरायमीर में नलकूप का छिद्रण पूरा हो चुका है तथा ग्राम डेढ़वा में नलकूप छिद्रण की कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन निगम, देवरिया डिपो में गबन से सम्बन्धित निलम्बित कर्मचारी

४९—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९७४-७५ में देवरिया डिपो में गबन के सम्बन्ध में जो कर्मचारी निलम्बित हुए थे वे मामले अभी तक विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष १९७४-७५ में देवरिया डिपो में गबन के सम्बन्ध में ८ कर्मचारी निलम्बित हुए थे। इनमें से एक का मामला निर्णीत हो चुका है अन्य सात के मामलों में जांच चल रही है।

गोरखपुर जिले के राप्ती-गोरी नदियों के कटाव से संबंधित फर्जी मस्टर रोल

५०—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के राप्ती-गोरी नदी दोआब के कटान से सम्बन्धित स्थान उपधौलिया जोगिया, सहोड़वा, जैराम कोल आदि एवं फर्जी मस्टर रोल के सन्दर्भ में जुलाई, १९८० से अब तक कितनी शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों एवं शासन को प्रश्नकर्ता एवं अन्य लोगों द्वारा प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपधौलिया, जोगिया पर लगे बोल्डर के चट्टों एवं फर्जी मस्टर रोल के सम्बन्ध में प्रश्नगत अवधि में एक शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य का तथा एक पत्र श्री राजपति यादव का प्राप्त हुआ। इन पर जांच कराई गई। शिकायतें निराधार पाई गईं।

परिवहन निगम, हरदोई डिपो के कर्मचारियों का कार्यकाल

५१—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उ० प्र० रा० स० प० नि० के अन्तर्गत हरदोई डिपो में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कि लगातार ५ वर्षों से उसी जनपद में कार्य करते चले आ रहे हैं ? उनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या सरकार उन्हें अविलम्ब स्थानान्तरित करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संलग्न सूची में उल्लिखित ८ कर्मचारी हरदोई डिपो में ५ वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर कार्यरत हैं ।

इस प्रकार के ट्रांसफर केवल जनहित में ही किये जाते हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २२१ पर)

५२—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[४ थे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं० ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

परिवहन वाराणसी में स्टेयरिंग एवं बैटरी का गबन, अल्यूमिनियम, स्क्रेप की नीलामी एवं ट्रैक शाफ्ट तथा वियरिंग की खरीद

५३—श्री उदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २० नग स्टेयरिंग एवं २७६ बैटरी रा० स० प० निगम, वाराणसी से गबन मार्च, १९७७ में कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि सेवा प्रबन्धक वाराणसी के कार्यालय से प्रसारित पत्र ७३३, दिनांक २५/२६ मार्च, १९७७ में इसका उल्लेख है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त गबन के खिलाफ कोई मुकदमा किया गया या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, २० नग स्टेयरिंग व २७६ बैटरी के मार्च, ७७ में गायब होने की सूचना मिली । सेवा प्रबन्धक वाराणसी के प्रश्नगत पत्र में २० नग स्टेयरिंग के विषय में उल्लेख किया गया है । बैटरी के विषय में उक्त पत्र में कोई चर्चा नहीं है । इस मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

५४—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ६-२-७७ को रु० २२,७५० का एल्यूमिनियम का नीलाम वाराणसी में किया गया और २० हजार रु० का सामान मार्च, १९७७ में गबन किया गया ? क्या यह सही है कि जो एल्यूमिनियम नीलाम की गयी वह नीलाम सेल से नहीं दिया गया और डिपो से माल मंगाने का आदेश सेवा प्रबन्धक ने दिया, ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सत्य है कि वाराणसी में ६ फरवरी, १९७७ को २ मैट्रिक टन एल्यूमिनियम स्क्रैप का नीलाम रु० २२,७५० में किया गया। इस माल की डिलीवरी के साथ कुछ एल्यूमीन्यम के गबन किये जाने की शिकायत मिली है। इसकी जांच की जा रही है। जो सामान नीलाम सेल्स से दिया गया और उसमें, जो कमी पता चली उसकी पूर्ति डिपो से मंगाकर की गयी।

५५—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी, रोडवेज में ६ नग ट्रैंक शाफ्ट अगस्त, १९७७ में मंगाया गया जो बनारसी आटो ट्रेड के यहां रखा गया था ? क्या यह सही है कि उक्त ६ नग क्रैंक शाफ्ट की दुकान से मंगाने का प्रमाण दुकान की चालान है और स्टोर में जमा होने का कोई प्रमाण १५ नवम्बर, १९७७ तक नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि नवम्बर, १९७७ में सेवा प्रबन्धक ने २७ नग इनर बियरिंग, १८ नग आउटर बियरिंग जो नया खरीदा गया उसको बेच दिया गया और उसकी पूर्ति पुराना उपरोक्त सामान लाकर रख दिया गया जिससे पांच हजार रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी में ६ नग क्रैंक शाफ्ट बनारस आटो हैड वर्क्स से तत्काल आवश्यकता के कारण दिसम्बर, ७७ (२ नग), जनवरी, ७८ (३ नग) और फरवरी, ७८ (१ नग) में खरीदे गये थे। इस सामान को स्टाक में दिसम्बर ७७ (१ नग), फरवरी, ७८ (४ नग) और मार्च, ७८ (१ नग) प्रदर्शित कर दिया गया था। जुलाई, ७७ में मेसर्स आटो इंजीनियर्स, चौका घाट, वाराणसी ने ३० नग बियरिंग आउटर और ३० नग बियरिंग रोलर की आपूर्ति की थी। चेकिंग में यह माल खराब पाया गया इस कारण इस फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया। मेसर्स बनारस आटो ट्रेड नामक फर्म से कोई सामान नहीं खरीदा गया।

सहायक अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड रसरा, जिला बलिया द्वारा सामानों की खरीद एवं भुगतान

५६—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दी न्यू इलाहाबाद बॉडिंग, हिन्द प्रोडक्शन, सुल्तानपुर इंजीनियरिंग, लन्दन इंजीनियरिंग, मुराद अहमद एंड संस इलाहाबाद को सहायक अभियन्ता, नलकूप खंड प्रखन्ड रसरा, जिला बलिया ने सामानों के सप्लाई हेतु आदेश, पी०-२७/एस-६, पी० ३०/एस-६, पी०-७२/एस-६, पी-६६/एस६, पी०-७७/एस-६, पी-४३/एस-६, पी-४५/एस-६, पी-९७/एस-६, पी-४८/एस-६, पी-५६/एस-६, पी-४/एस-६, पी०-५९/एस-६, पी०-६८/एस०-६, पी०-१९/एस०-६, पी०-२६/एस०-६, पी०-३५/एस-६, पी-४७/एस०-६, पी०-५५/एस०-६, पी०-५७/एस०-६, पी०-६३/एस०-६, (टोटल नम्बर २० सप्लाई आदेश) १९७३-७४ दिये थे ? जिसका कुल एक लाख दस हजार सात सौ सत्तासी रुपये अस्सी पैसे हैं और उक्त आदेशों का सामान पहुंच गया एम० बी० कर दी गयी ? यदि हां, तो, आज तक ६ वर्ष बीत जाने पर भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मामले में समस्त अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच हेतु ले लिये गये हैं । जांच के पश्चात् निर्णय हो जाने पर ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

परिवहन निगम, आजमगढ़ में हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति

५७—श्री पंचानन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्र आजमगढ़ का निर्माण कब हुआ ? आजमगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होने तथा १५ सितम्बर, १९८० के बीच वहां विभिन्न श्रेणी की कितनी नियुक्तियां की गयीं ? इन नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया थी तथा उनका क्या आधार था ? क्या इन नियुक्तियों में हरिजन आरक्षण कोटे को पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

५८—श्री मित्रसेन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन निगम, गोरखपुर के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

५९—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने कोई पत्र दिनांक ११ सितम्बर, १९८० को तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को लिखा था ? यदि हां, तो पत्र में लिखित शिकायतें क्या थीं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, माननीय विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक ११ सितम्बर, १९८०, जो तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही है।

खीड़ा-मछियाकोट, जिला अल्मोड़ा की कथित साइफन योजना

६०—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीड़ा-मछियाकोट विकास खंड चौसुरिया, तहसील रानीखेत, अल्मोड़ा में साइफन योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त योजना में कितनी भूमि सिंचित होगी; कब से योजना आरम्भ की गई है ? किस सन् तक निर्माण कार्य पूर्ण होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद जिले के विकास खण्ड अमानीगंज, मिल्कीपुर आदि में नलकूपों का छिद्रण

६१—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड, अमानीगंज, मिल्कीपुर तथा हरीन्टनगंज में वर्ष १९७८-७९ और १९७९-८० में कितने राजकीय नलकूप बोर हुए ? उन नये नलकूपों के अभी तक चालू न किये जाने का क्या कारण है ? इसके कौन लोग दोषी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड अमानीगंज में ३, मिल्कीपुर में ४ तथा हरीन्टनगंज में ४ राजकीय नलकूपों का वर्ष १९७८-७९ में छिद्रण किया गया था। इनमें से केवल विकास खण्ड, मिल्कीपुर के एक नलकूप का बी० एण्ड एल० फार्म विद्युत विभाग के पास उर्जीकरण हेतु लम्बित है। शेष सभी नलकूप चालू व्यवस्था में हैं।

वर्ष १९७९-८० में विकास खण्ड अमानीगंज में ५ राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया गया था जिनके विकासन का कार्य किया जाना शेष है जिसकी व्यवस्था की जा रही है। विकास खण्ड मिल्कीपुर में ५ राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया गया था जिनमें से एक नलकूप का उर्जीकरण हो चुका है, ३ नलकूपों के बी० एण्ड एल० फार्म जमा किये जा चुके हैं तथा एक नलकूप के विकसन का कार्य किया जाना शेष है जिसकी व्यवस्था की जा रही है। विकास खण्ड हारिंगटनगंज में ६ राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया गया था जिनमें से एक राजकीय नलकूप चालू हो गया है, एक नलकूप का बी० एण्ड एल० फार्म विद्युत विभाग के पास उर्जीकरण हेतु लम्बित है, दो नलकूपों पर

पम्प हाउस आदि का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा शेष दो नलकूपों के विकसन का कार्य किया जाना शेष है जिसकी व्यवस्था की जा रही है।

समयानुसार आवश्यक सामग्री कम्प्रेशर आदि उपलब्ध न होने के कारण विकसन कार्य में देरी हुई है जिसके लिए कोई दोषी नहीं है।

गंडक सिंचाई परियोजना का निर्माण एवं अनुमानित लागत

६२—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गंडक सिंचाई परियोजना का शुभारम्भ कब हुआ और इसके कब तक पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था इसकी अनुमानित लागत क्या थी ? क्या यह भी सही है कि निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा न होने के कारण इस परियोजना की अनुमानित लागत छः गुना बढ़ गयी है ? यदि हां, तो सम्प्रति अनुमानित लागत क्या है ? परियोजना समय से पूरा न होने का कारण क्या है ? इसके कौन लोग जिम्मेदार हैं ? अब यह परियोजना कब पूर्ण होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गण्डक सिंचाई परियोजना वर्ष १९६०-६१ में आरम्भ हुई। इसकी अनुमानित लागत (उत्तर प्रदेश के भाग के लिए) १,५४७.४० लाख रुपये थी और कार्य वर्ष १९६७-६८ के अन्त तक पूरा होना था।

जी नहीं। मूल परियोजना के आकार तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण परियोजना प्राक्कलन की पुनरीक्षित लागत ८,५५५ लाख रुपया होने का अनुमान है। इसके लिए किसी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परियोजना के कार्यों को जून, १९८२ तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर द्वारा नलकूपों, ट्रकों एवं जीपों के लिए खरीदा गया सामान

६३—श्री रामऔतार दीक्षित तथा श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९७७-७८, १९७८-७९, १९७९-८० में नलकूप खंड, शाहजहांपुर में नलकूपों, ट्रकों, जीपों और पम्प कैनालों के लिए कितनी धनराशि का सामान किन-किन फर्मों से किस दरों पर खरीदा गया और क्या इस खरीदारी के लिए समाचार-पत्रों द्वारा निविदायें भी मांगी गयी थीं ? क्या उपरोक्त खरीददारी की सूचना मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० को उनके स्टैंडिंग आर्डर ७४ के अधीन दी गयी थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर में वर्ष १९७७-७८, १९७८-७९ एवं १९७९-८० में नलकूपों ट्रकों, जीपों और पम्प कैनालों के लिए कुल रु० ३०,०८,८४२.४२ धनराशि का सामान क्रय किया गया। इस कुल खरीददारी का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है—

नलकूपों के लिए	ट्रकों व जीपों के लिए	पम्प नहरों के लिए
	रु०	रु०
	१९७७-७८	
५,६७,४१४.०२	४,६८०.०७	३२,१५५.७५
	१९७८-७९	
१०,७८,३८८.८५	९७४.००	६७,४१३.९८
	१९७९-८०	
११,२२,२७१.४५	१३,५७५.५५	१,१०,९६८.७५

क्रय किये गये सामानों की दरें एवं किन फर्मों से सामान क्रय किया गया एवं उनका मूल्य आदि का विवरण मेरे कार्यालय में उपलब्ध तालिका में अंकित है जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं। नलकूपों, ट्रकों, जीपों और पम्प कैनालों के लिए क्रय किये गये कुल रु० ३०,०८,८४२.४२ धनराशि के सामान में से रु० ४५,७२३.०० का सामान अधिशासी अभियन्ता द्वारा निविदा आमन्त्रित करके क्रय किया गया एवं शेष सामान कोटेशन आमंत्रित करके अथवा अधिकृत विक्रेताओं को प्राइस लिस्ट एवं डी० आई० रेट कन्ट्रेक्ट पर क्रय किया गया जिनका विवरण प्रत्येक सामान के सामने मेरे कार्यालय में उपलब्ध तालिका में अंकित है। आडिट द्वारा इंगित कमियों तथा अनियमितताओं के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में विभागीय जांच भी की जा रही है।

स्टैंडिंग आर्डर ७४ के अनुपालन में जो खरीदारी का विवरण मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को भेजा जाना चाहिए था वह अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड शाहजहांपुर द्वारा नहीं भेजा गया, फिर भी अधिशासी अभियन्ता ने अवगत कराया है कि उनके स्तर से पारित किये क्रय आदेशों की प्रतियां अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा एवं आपूर्ति संगठन को भेजी जाती रही हैं।

६४—श्री चन्दन सिंह—

आपूर्ति संगठन को भेजी जाती रही हैं।

सिंचाई विभाग, मोहम्मदपुर, खीरी एवं कादीपुर चौकियों की जमा बन्दियां

६५—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सिंचाई विभाग के मोहम्मदपुर व चौकी खीरी की फसली १३८६ फ० १३८९ की ३१ जमाबन्दियां एवं कादीपुर चौकी को १३८७ फसली १३८० की पांच जमाबन्दियां जिसमें १ लाख रु० का रिकार्ड जमा है आज तक जमा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मोहम्मदपुर की १३८६ फसली में कोई जमाबन्दी जमा होनी शेष नहीं है तथा १३८९ फसली वर्ष चूंकि आरम्भ नहीं हुआ है इसलिए उसकी जमाबन्दी जमा होने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । इसी प्रकार कादीपुर चौकी की १३८७ फसली व १३८० फसली की कोई भी जमाबन्दियां जमा होनी शेष नहीं हैं । केवल चौकी खीरी की २५ ग्रामों की १३८६ फ० की जमाबन्दियां जमा होना शेष हैं, जिनमें निहित धनराशि सम्बन्धित मूल अभिलेखों के गायब हो जाने के कारण इस समय इंगित किया जाना संभव नहीं है । इसी कारण अभी तक उक्त जमाबन्दी जमा नहीं की जा सकी है ।

शारदा नहर के पेड़ों एवं घास की नीलामी

६६—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सिंचाई विभाग में नहरों के किनारे की घास व फलदार पेड़ों की नीलामी की जाती है और वहां की जमीन भी नीलाम की जाती है ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष में कितने रुपये की नीलामी की गयी और बचा रुपया सरकारी खजाने में जमा किया गया या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा नहर के घास एवं फलदार पेड़ों की निलामी की जाती है । मेढ़ की जमीन का तात्पर्य स्पष्ट नहीं है ।

पिछले तीन वर्षों में वर्षवार नीलामी की धनराशि निम्नवत है—

वर्ष	घास की नीलामी	फलदार पेड़ों की नीलामी
	रु०	रु०
१९७७-७८	८२,७७२,७७	३६,८८४.७५
१९७८-७९	९८,२९१.३३	३५,५६५.००
१९७९-८०	९०,६१३.३१	३७,०७१.१६

जी हां ।

नियारडीह पम्प कॅनाल एवं टण्डवा पम्प कॅनाल, जौनपुर की सिंचन क्षमता

६७—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टंडवा, भैंसा निपार डीह पम्प कॅनाल गोमती नदी जौनपुर में जो बनायी गयी थी उसमें कितने रकबे की सिंचाई करने की योजना थी ? क्या यह सही है कि टंडवा में एक बहुत बड़ी पाइप लाइन लोहे की अलग से करीब ७-८ वर्षों से बनायी गयी है जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया ? पाइपों को जंग खा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि वह पाइप १० लाख रु० के ऊपर की है, जो बेकार पड़ी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टण्डवा पम्प कॅनाल पर १४,५०० एकड़, भैंसा पम्प कॅनाल पर ५,००० एकड़ एवं नियारडीह पम्प कॅनाल पर ४,२५० एकड़ रकबे की सिंचाई करने की योजना थी ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० डी० सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ के खिलाड़ियों एवं परिक्षकों की आवास व्यवस्था

६८—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या खेलकूद मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० डी० सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और उनको शिक्षण देने वाले (कोच्स) के लिए आवासीय व्यवस्था है ? यदि हां, तो आवंटियों के नाम और पते क्या हैं ? तथा वे व्यक्ति कब से रह रहे हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने इस आवासीय भवनों पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो इन व्यक्तियों को हटाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार इन अनधिकृत रूप से रहने वाले व्यक्तियों को हटाने की अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री विद्याभूषण—

श्री के० डी० सिंह बाबू स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था नहीं है, परन्तु विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा छात्रावासों के ५६ अन्तेवासियों एवं संलग्न* तालिका में उल्लिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्टेडियम की सीढ़ियों के नीचे बने कमरों में रखा गया है । दिनांक १-७-६२ से एक व्यक्ति श्री जे० पी० मिश्रा स्टेडियम में सीढ़ियों के नीचे बने एक सूट में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं जिनको हटाने का मामला नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 532 पर)

ग्राम मुबारकपुर थाना मवाना जनपद मेरठ निवासी बृह्मसिंह के परिवार के सदस्यों को डकैतों द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना [१२ बजकर १५ मिनट]

*श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय सदन की जानकारी में एक अत्यन्त लोक महत्व की महत्वपूर्ण घटना के तथ्य लाना चाहता हूं।

मान्यवर, दिनांक १९-२० फरवरी की रात्रि में लगभग ३ बजे ग्राम मुबारकपुर थाना मवाना जनपद मेरठ में कुछ बदमाश श्री बृह्म सिंह के मकान के अन्दर घुसे। श्री बृह्म सिंह घर में मौजूद नहीं थे,और चीनी मिल में गन्ने की बोगी लेकर मवाना गये हुए थे, लेकिन उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी पुत्रियां, उनके पुत्र तथा उनकी बुआ आदि सोये हुए थे। रात्रि के इस अन्धकार में बदमाशों ने श्री बृह्म सिंह की पत्नी, उनकी विवाह योग्य दो पुत्रियों मुनीहा व सन्तोष तीनों पुत्रों, राजकुमार आयु १० वर्ष, शिव कुमार आयु ८ वर्ष, पप्पू आयु ६ वर्ष और श्री बृह्म सिंह की बुआ श्रीमती शशिकौर एक ही परिवार के सात व्यक्तियों की गंड़ासे से काट-काट कर निर्मम हत्या कर दी। श्री बृह्म सिंह की एक लड़की घायल अवस्था में प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में जिन्दगी व मौत से लड़ रही है। श्रीमती शशि कौर ने घटना से तीन दिन पहले ही एक पुत्र को जन्म दिया था, सौभाग्य से उसका बच्चा हत्यारों से बच गया।

मान्यवर, इस अत्यन्त क्रूर व भयावह सामूहिक कत्ल से आसपास के देहात में अत्यन्त भय व आतंक फैला हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि घटना के दोषी व्यक्तियों का पता लगाकर सजा दी जाय और उक्त क्षेत्र के जन जीवन की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय।

असामाजिक तत्वों द्वारा गोलियां चलाये जाने से साजन टाकीज वाराणसी के प्रबन्धक एवं दर्शक छात्रों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री कैलाश टण्डन—

मान्यवर, वाराणसी के एक चलचित्र गृह में जिसका नाम साजन टाकीज है, दिनांक २३-२-८१ को दोपहर में लगभग १२ बजे असामाजिक तत्वों ने धुंआधार गोलियां चलायीं जिसके फलस्वरूप छविगृह का प्रबन्धक तथा एक दर्शक छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया। इस काण्ड के विरोध में वाराणसी के सभी छविगृह दिनांक २४-२-८१ के दोपहर को अपना प्रदर्शन बन्द रखा। एक छात्र के घायल होने पर छात्रों में काफी उत्तेजना है, अनेकों बार वाराणसी छविगृह के संचालकों एवं मालिकों ने लिखित रूप से जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश टण्डन—]

एवं पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया कि उन्हें पूर्णरूप से पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाय। यह बड़े अफसोस की बात है कि छविगृह में जहां मनोरंजन कर के रूप में सरकारी कोष भी रहता है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था पर शासन ध्यान नहीं देता है। आपके माध्यम से यह अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देकर इस पर तत्काल कार्यवाही करने और सदन में वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

अजामतुल दारुल वलूम अशरफिया कालेज के प्रांगण में घुसकर श्री नन्दलाल गुप्त उर्फ मुन्नू निवासी मुबारकपुर (आजमगढ़) द्वारा धमकी एवं निर्माण कार्य बन्द करा देने के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद नवी खां—

मान्यवर, दिनांक १७ फरवरी, १९८१ को दिन दहाड़े श्री नन्दलाल गुप्त उर्फ मुन्नू निवासी कस्बा-मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ अपने दस-बारह असामाजिक एवं साम्प्रदायिक साथियों के साथ रिवाल्वर, कट्टा बन्दूक से लैस होकर अल्जामतुल दारुल वलूम के प्रांगण में अनधिकृत रूप से घुस कर समस्त अध्यापकों एवं छात्रों को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की धमकियां देकर दारुल वलूम के अधीन होते हुए निर्माण कार्य को बन्द करा दिया। उपरोक्त मुन्नू ने उपरोक्त हमला स्थानीय थाना मुबारकपुर की पुलिस की मौजूदगी में उनके सह व साजिश से किये। उपरोक्त घटना से भयभीत होकर अल्जामतुल अशरफिया के कुल १,२०० छात्र तथा ४२ अध्यापकों ने शिक्षा कार्य बन्द कर दिया है। लगभग २५० छात्रों ने दिनांक २३ फरवरी, १९८१ की होने वाली परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। शासन के स्थानीय अधिकारीगण न्याय करने में असफल हो गये। अल्जामतुल अशरफिया के प्रांगण में पी० ए० सी० एवं पुलिस का कैम्प लगाया गया। अल्जामतुल अशरफिया तथा निकटवर्ती कस्बों जबार में उपरोक्त घटना से भय, ह्रास अविश्वास तथा असन्तोष का वातावरण व्यापक रूप से उत्पन्न हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व एवं निश्चित निकाय की ओर माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड ५२ द्वारा नहर के निर्माण में फसल के क्षति के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र (सगड़ी) आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड ५२ द्वारा नहर का निर्माण कार्य इस समय प्रारम्भ किया गया है। यह कार्य पिछले तीन वर्षों से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्णतया रुका था । नहर बनाने के लिए किसानों की हरी फसल काटी जा रही है जिससे भारी हानि हो रही है । किसानों की मांग है कि नहर का निर्माण दो महीने बाद, जब फसल तैयार हो जाये तब कराया जाय । हरी फसल के काटने से जहां एक तरफ किसानों की हानि हो रही है वहीं दूसरी तरफ भारी राष्ट्रीय क्षति भी हो रही है । प्रतिदिन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनता में इस प्रश्न को लेकर संघर्ष हो रहा है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पचास गांव में स्थिति अशान्त बनी हुई है ।

नहर बनने से हजारों लघु जोत के किसान भूमिहीन होते जा रहे हैं उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन शेष नहीं रह जा रहा है । पिछली सरकारों ने इन गांवों की पुनः चकबन्दी कराकर नहर के लिए ली जाने वाली जमीन सामूहिक कटौती से लेने का आश्वासन जनता को दिया था और इसी कारण नहर का निर्माण भी पिछले तीन वर्षों से नहीं हो रहा है । पुनः चकबन्दी कराकर सामूहिक कटौती नहर के लिए जमीन लेने पर हजारों गरीब किसानों के जीविका का साधन बच जायेगा । हमारी राज्य सरकार से मांग है कि नहर की खुदाई का कार्य फसल के काटने के बाद प्रारम्भ किया जाय तथा इससे प्रभावित गांवों की पुनः चकबन्दी कराकर इससे ली गयी भूमि को सामूहिक कटौती और बचत में समायोजत करायी जाय ।

मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच स्थापना के प्रश्न पर अदालतों से वकीलों द्वारा बहिष्कार के सम्बन्ध में नियम २०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत वर्षों से इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेन्च की मांग हो रही है जिसको हर बार उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार के नाम से टाल-मटोल कर रही है । इस समय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से बेचैनी फैली हुई है और इसी के कारण मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद इत्यादि में वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया है जिसकी वजह से अदालतों का सारा काम ठप हो गया है । शासन ने अभी तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है । जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से असन्तोष, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लल्लू सिंह चौहान सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

[१२ बजकर २५ मिनट]

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट मैनपुरी ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक २३ फरवरी, १९८१ जो २४ फरवरी, १९८१ को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि एस० डी० एम०, शिकोहाबाद के आदेशानुसार श्री लल्लू सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा, मैनपुरी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का उल्लंघन करने के कारण थाना शिकोहाबाद पर २३ फरवरी, १९८१ को ४ बजे अपराह्न गिरफ्तार किये गये और जिला कारागार मैनपुरी में रखे गये ।

[१२ बजकर २६ मिनट]

उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं रुड़की विश्वविद्यालय सिनेट की सभा के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देश पत्रों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

इसके अतिरिक्त चुनाव के सम्बन्ध में सूचना है । उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें कम से कम एक महिला हो, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के लिए विधान सभा के ४ सदस्यों तथा रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट के लिए विधान सभा के ४ सदस्यों के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत समय के अन्दर उक्त निकायों के नाम के नीचे उल्लिखित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुये हैं जो वैध पाये गये हैं—

१—उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल

१—श्रीमती गौरी देवी (गोरखपुर)

२—श्रीमती प्रेमवती (बदायूं)

३—श्री बिहारी लाल (नैनीताल)

४—श्री ओम प्रकाश जिन्दल (आगरा)

५—कुमारी अल्मेलु अम्माल (बस्ती)

२—उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्

१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (गोरखपुर)

२—श्री शिव नारायण सिंह नेगी (नैनीताल)

३—श्री हरदेव (बलिया)

४—श्रीमती कमला साहनी (बस्ती)

५—श्री आजाद कुमार कर्दम (आगरा)

६—श्री सन्त बख्श रावत (लखनऊ)

७—श्री केदार नाथ सिंह (गोरखपुर)

८—श्री हरिद्वार पान्डेय (गोरखपुर)

९—श्री राम अवध प्रसाद (बस्ती)

१०—श्री महेश चन्द्र शर्मा (मेरठ)

११—श्री विद्यासागर नौटियाल (टिहरी गढ़वाल)

१२—श्री राम सिंह (सहारनपुर)

१३—श्री विशन लाल (बिजनौर)

१४—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र (देवरिया)

३—रुड़की विश्वविद्यालय की सिनेट

१—श्री रियासत हुसैन (मुरादाबाद)

२—श्री महेश चन्द्र शर्मा (मेरठ)

३—श्री केदार नाथ सिंह (गोरखपुर)

४—श्री नन्द किशोर सिंह (देवरिया)

५—डा० धर्मपाल सिंह (अलीगढ़)

६—श्री विद्यासागर नौटियाल (टिहरी गढ़वाल)

७—श्री सुरेन्द्र कपिल (सहारनपुर)

८—श्री दीपक कुमार (मुजफ्फरनगर)

९—श्री अनवर खां (अलीगढ़)

१०—श्री जटा शंकर सिंह (बहराइच)

११—श्री पी० के० शर्मा (बुलन्दशहर)

नामों की वापसी के लिए अन्तिम तिथि तथा समय दिनांक २७ फरवरी, १९८१ के ४ बजे अपराह्न तक नियत है, अतः यदि उक्त समय तक उक्त निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से जो अतिरिक्त नाम हैं, वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक ९ मार्च, १९८१ को १०.३० बजे पूर्वाह्न से ४ बजे अपराह्न तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

विधान सभा

नान सल्फिटेशन प्रासेस द्वारा उत्पादित खाण्डसारी पर लेवी के सम्बन्ध में वक्तव्य

[१२ बजकर ३० मिनट]

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, प्रदेश में ३१ जनवरी, १९८१ से समस्त सल्फिटेशन (गन्धक से परिष्कृत) इकाइयों द्वारा उत्पादित फर्स्ट प्रासेस खांडसारी . . . . . .

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस वक्तव्य की कापियां नहीं आयी हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई निर्धारित वक्तव्य नहीं है। उन्होंने वक्तव्य देने की आज्ञा मांगी थी इसलिए वे वक्तव्य दे रहे हैं। इसकी प्रतियां बंटवा दी जायं।

श्री वासुदेव सिंह—

प्रदेश में ३१, जनवरी, १९८१ से समस्त सल्फिटेशन (गंधक से परिष्कृत) इकाइयों द्वारा उत्पादित फर्स्ट प्रासेस खांडसारी पर ५० प्रतिशत लेवी लगायी गई है। इसी निर्णय के क्रम में शासन द्वारा यह भी आवश्यक समझा गया है कि नान-सल्फिटेशन प्रासेस द्वारा उत्पादित होने वाली खांडसारी पर भी ५० प्रतिशत लेवी लगाना आवश्यक है। इस प्रकार नान-सल्फिटेशन इकाइयों से प्राप्त होने वाली खांडसारी जन वितरण प्रणाली तथा बड़े उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। प्रदेश में इस प्रकार की नान सल्फिटेशन (गंधक से परिष्कृत) की करीब १,८०० इकाइयां हैं। इससे चीनी खांडसारी उद्योगों के बीच गन्ना उपलब्ध कराने में संतुलन बनाये रखना सुगम होगा। इसके साथ ही उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप खांडसारी एवं मुक्त चीनी के भावों पर नियन्त्रण भी रखा जा सकेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की सहमति प्राप्त की जा रही है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी खाद्य मंत्री जी ने बड़ी शांति के साथ नियमों में छूट देकर एक बयान दिया। उसकी कापी अभी तक हम लोगों को नहीं मिली। जो बयान उन्होंने पढ़ा है वह समाचार पत्रों में पहले ही खूब उजागर हो चुका है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दाखिल हो चुकी है। इस बयान को इस समय यहां पढ़कर कौन सी खाना-पूरी वे कर रहे हैं और कौन सी नई घोषणा वे कर रहे हैं। इस तरह से नियमों का फायदा उठाकर उन्होंने सदन का समय नष्ट किया है जबकि समाचार पत्रों में इसके बारे में पहले ही घोषणा हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मेरे द्वारा कोई घोषणा बाहर समाचार पत्रों में नहीं हुई है। यदि कोई ऐसी बात छपी हो, तो वह मेरे सामने नहीं आयी है। उसका उत्तरदायित्व दूसरे लोगों पर है, समाचार पत्र छापने वालों पर है जो अटकल और अनुमान लगाकर पहले ही किसी बात को छाप देते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं असत्य तो नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि तथ्यों को छिपाया गया है। माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दाखिल हुई है? कैसे यह बात बाहर चली गई है? मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या समाचार पत्रों के द्वारा और उनमें छपी खबरों के आधार पर रिट दाखिल हो सकती है? अगर मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं कि रिट हुई है और सरकार की ओर से एफीडेविट भी दाखिल हुआ है तो दुबारा यह जो बयान हुआ है क्या उसको आप स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि ३१ जनवरी, १९८१ से समस्त सल्फिटेशन इकाइयों द्वारा उत्पादित फर्स्ट प्रासेज खांडसारी पर ५० प्रतिशत लेवी लगाई गई थी और उसी निर्णय के फलस्वरूप यह दूसरी सूचना माननीय मंत्री जी ने दी है। पहली वाली जो सूचना है उसके सम्बन्ध में कोई रिट हो सकती है, पेन्डिंग हो सकती है। लेकिन उन्होंने दूसरी सूचना जो नीचे दी है और उसमें पहले वाली का सिर्फ हवाला दिया है।

कार्यस्थगन के प्रस्तावों की सूचनाएं तथा इटावा जनपद के अछल्दा थाने की पुलिस द्वारा श्री ऊदलसिंह को इनकाउन्टर में मारे जाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

[१२ बजकर २९ मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-स्थगन की ५ सूचनाएं आई थीं और वे सभी अस्वीकृत हुई हैं।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हम सब चार लोगों ने आपको एक कार्य-स्थगन की सूचना दी है। एक तार इटावा के नगला जगह से आया है कि १९ तारीख को ऊदल सिंह नामक व्यक्ति को वहां की पुलिस पकड़कर ले गई और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री की सांठ-गांठ से उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह—]

व्यक्ति की हत्या कर दी जायेगी । मान्यवर, यह बात सत्य निकली और उस व्यक्ति का टोटल मर्डर कर दिया गया । इसमें साफ-साफ आरोप लगाया गया है कि इसमें राज्य के कृषि मंत्री जी का हाथ है जब प्रदेश के कैबिनेट स्तर के व्यक्ति का खासतौर से कत्ल के मामले में हाथ दर्शाया जा रहा हो तो वह कार्य-स्थगन का विषय बनता है । यह घटना १९ फरवरी की है । इस सम्बन्ध में यह सूचना मिली है कि इससे सम्पूर्ण इटावा जनपद में दहशत हो गयी है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री इस तरह से निरपराध लोगों का पुलिस के सहयोग से कत्ल करा रहे हैं । वहां की शान्ति व्यवस्था की स्थिति विचित्र हो गयी है इसलिए इस पर चर्चा कराई जाय । यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है । मंत्री जी के इस कार्य से पूरे क्षेत्र में क्षोभ और असन्तोष पैदा हो गया है इसलिए यह कार्य-स्थगन का विषय बनता है ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने जो कहा उसके सम्बन्ध में मैं उस टेलीग्राम की फोटोस्टेट कापी पढ़ना चाहता हूं वह मेरे पास है । इस पर बहस होनी चाहिए इनकाउन्टर का इससे बड़ा सबूत मिल नहीं सकता है । आपकी इजाजत से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं । यह इंदल सिंह ने भेजा है इसमें लिखा है कि "मेरा भाई ऊदल पुत्र श्रीलाल निवासी नगला दरियाव को अच्छल्दा पुलिस आज ४ बजे शाम गांव से पकड़ ले गयी है । फर्जी मुठभेड़ दिखा कर हत्या किये जाने की संभावना है, तुरन्त हस्तक्षेप किया जाय ।

यह टेलीग्राम डी० एम० इटावा और एस० पी० को भी दिया है । ४ बजे उसे पकड़ कर पुलिस ले गयी और यह टेलीग्राम शाम ८ बजे किया गया और ११ बजे उसका मर्डर कर दिया गया है । तो इससे बड़ी कोई सूचना झूठे इनकाउन्टर की हो नहीं सकती । जैसे ही पुलिस पकड़कर ले गयी, पुलिस को पता नहीं चला कि टेलीग्राम दे दिया है वर्ना शायद इनकाउन्टर नहीं करती । इस प्रदेश में जो इनकाउन्टर किये गये हैं उसमें यह सौभाग्य था कि इस तरह की सूचना प्राप्त हो गयी । इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए इससे बड़ा दूसरा सबूत मिल नहीं सकता है (व्यवधान) ।

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना कार्य-स्थगन की दी थी गाजीपुर में २४ आदमी घायल हैं (व्यवधान) ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो अभी नेता विरोधी दल ने टेलीग्राम पढ़कर सुनाया है उससे दिल दहल गये । एक आदमी इनफारमेशन भी दे देता है और वह बात साबित हो जाती है इससे ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुलिस की ज्यादती की घटना नहीं हो सकती। इसलिए इस पर किसी न किसी रूप में नियम ५६ में न सही किसी तरह चर्चा होनी चाहिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है कि माननीय मोहन सिंह जी ने तथा नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव किया है यह बड़ा गम्भीर मामला है इसमें सभी सदस्य चिन्तित हैं और एक कैबिनेट मंत्री का इन्वाल्वमेन्ट है सूचना में दिया गया है कि उनकी साजिश से यह किया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी से, इसलिए भी यह गम्भीर मामला है। अगर ऐसे मामलों की चर्चा सदन में नहीं होगी तो इस शासन के बहरे कानों तक कोई बात नहीं पहुंचेगी और बिलकुल निरपराध लोगों को मार दिया जायेगा और अपराधी बख्श दिये जायेंगे।

*श्री मोतीलाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ज्यादा गम्भीर मामला है। प्रदेश भर में झूठे इनकाउन्टर इस प्रकार हो रहे हैं और सरकार उनको नकार रही है। मान्यवर, यह सबसे बड़ा सबूत है जो आपकी जानकारी में लाया गया है कि एक आदमी को घर से पकड़कर ले जाया जाता है और उसके भाई ने टेलीग्राम भी दे दिया और उसके ४ घंटे बाद मंत्री जी की साजिश से इनकाउन्टर हो जाता है . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो नेता विरोधी दल ने कह दिया।।

श्री मोती लाल देहलवी—

जब कैबिनेट स्तर के मन्त्री इस प्रकार मारने लगेंगे तो फिर प्रदेश की जनता की सुरक्षा कैसे होगी ? इसलिए मैं कहूंगा कि यह मसला बजट से कहीं ज्यादा जरूरी और गम्भीर है, इसलिए सदन का आज का काम रोक कर इस पर चर्चा होनी चाहिए।

*श्री भीखालाल—

इस सदन में बार-बार प्रश्नों के जरिये, भाषणों के जरिये और अन्य अवसरों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और किया जाता रहा है कि प्रदेश में इस समय पुलिस द्वारा तमाम फर्जी इनकाउन्टर दिखाये जा रहे हैं और उसमें निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। जब हम लोग कहते हैं तो शासन की तरफ से उसकी सफाई दी जाती है, विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि वास्तव में यह बात नहीं है, इनकाउन्टर में ही मारा गया है। लेकिन इस समय एक प्रमाण आपके पास आ गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल—]

है, यह फर्जी इनकाउन्टर है। यह ऐसा मसला है जिस पर सदन में बहस होनी चाहिए, जिससे प्रदेश में पुलिस आदि द्वारा जो कुछ हो रहा है, उसको रोका जा सके, आप कोई रास्ता निकालें।

श्री हुकम सिंह—

मैं टेलीग्राम के उस अंश को आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं—"कृषि मंत्री की साजिश से अछल्दा पुलिस १९ फरवरी को चार बजे सायं ऊदल सिंह, नगला दरियाय घर से बुला ले गयी थाने में रखा रात में मानिकपुर बगिया में गोली से मार दिया।

(व्यवधान)

*श्री मित्रसेन—

मैंने एक कार्य-स्थगन का दिया था, राजनैतिक कारणों से, जो जुलूस अहिंसात्मक ढंग से प्रदर्शन कर रहा था, अपने कृषि देयों की माफी की मांग कर रहा था, उस पर लाठीचार्ज किया गया है। जिसमें २४ आदमी घायल हुए हैं, ३ के प्राणघातक चोटें आई हैं। इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें और कोई भी इस पर निर्देश आप शासन को देने का कष्ट करें।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल यह एक फैशन हो गया है कि जब डकैत डकैती डालने जाते हैं . . . .

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई पेशबन्दी के लिए इस तरह के कागजात टेलीग्राम आदि भेज दे, नम्बर-२, जो लोग जरायम-पेशा लोग हैं, जुर्म करने वाले लोग हैं, उन लोगों के साथ अगर इनकाउन्टर हो जाता है, पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है, हर जगह अगर उनको संरक्षण दिया जाये. . . .

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

यह डकैतों को पाल रहे हैं . . . . .(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मुझे एक बात कहनी है, मान्यवर, सदन का समय बहुत कीमती है . . .(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विजय सिंह राना—

यह पूरे सदन का अपमान है . . . .(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

अगर विरोधी दल के सदस्य सिर्फ एक थोथी कहानी के ऊपर सदन का समय बेकार करते रहे । कहने का मतलब यह है कि आज जिन महोदय के बारे में बताया जाता है उनकी बैंक हिस्ट्री देख ली जाय कि वह क्या है । इसके बारे में मालूम नहीं है । ८ जनवरी . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

सिर्फ एक मिनट में और लूंगा, जितने कुख्यात, शातिर आदमी हैं, उन्होंने यह तरीका अपनाया है जितने शातिर आदमी हैं, उन्होंने यह तरीका अपनाया है । (व्यवधान) ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह घटना जिसकी तरफ इशारा किया गया है, इसकी अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है लेकिन प्राइमाफेसी जो तथ्य सामने लाये गये हैं, वे काफी गम्भीर मालूम होते हैं और ऐसी सूरत में जब किसी व्यक्ति का नाम भी उसमें सम्मिलित होता है तो मामले की गम्भीरता और भी बढ़ जाती है । हम पूरी जानकारी करके पूरे तथ्यों की जानकारी कराकर जो कुछ करना होगा करायेंगे और आपके माध्यम से माननीय सदस्य के पास सूचना भिजवा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अभी सभी की माननीय नेता विरोधी दल, अन्य माननीय नेताओं और उधर के भी माननीय सदस्यों की बात सुनी । मेरे समक्ष २ तार भी आये हैं । एक तार में यह लिखा हुआ है कि "मेरे भाई उदल पुत्र श्री लाल नगला दरमाय को अच्छल्दा पुलिस ४ बजे शाम गांव से पकड़ ले गई है । फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या किये जाने की संभावना है । तुरन्त हस्तक्षेप किया जाय ।" यह तार १९ तारीख का है जो इंदल सिंह द्वारा भेजा गया है । एक दूसरा तार है । यह उसके बाद का है जिसमें पूरी बातें लिखी गयी हैं । इसमें "कृषि मंत्री व मुलायम सिंह विक्रमपुर" का नाम लिखा हुआ है । फर्जी मुठभेड़ दिखाने की बात कही गयी है । यह दूसरा तार श्री महाराज सिंह यादव,

[श्री अध्यक्ष—]

अध्यक्ष लोक दल, इटावा की ओर से हैं। इसके सम्बन्ध में जब आप अपनी बातें कह रहे थे तो काफी उत्तेजना हुई और अगर आप शांति से सुनते तो अच्छा होता। इतनी गम्भीर बात है कि किसी नागरिक को पकड़कर गोली मार दी जाय। तो इसको गम्भीर मानकर सदन की कार्यवाही भी गंभीरता से चलनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस मामले पर जानकारी अत्यन्त शीघ्र प्राप्त करके सदन में एक वक्तव्य दें उसके बाद जो कार्यवाही होगी की जायेगी।

१९८१-८२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ३३—शिक्षा, अनुदान संख्या ३४—प्राविधिक शिक्षा, अनुदान संख्या ११०—शिक्षा विभाग—ऋण तथा अग्रिम तथा अनुदान संख्या १११—प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण एवं अग्रिम

[१२ बजकर ५० मिनट]

*शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,०९,६६,८२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,४४,०२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं की ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११०—प्राविधिक शिक्षा विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६२,२५,००० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं की ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १११—प्राविधिक शिक्षा विभाग ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,५९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 33—शिक्षा, अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा,
अनुदान संख्या 110—शिक्षा विभाग-ऋण तथा अग्रिम
तथा अनुदान संख्या 111—प्राविधिक शिक्षा
विभाग-ऋण एवं अग्रिम

मान्यवर, १९८१-८२ के आय-व्ययक में ३३७,६४,२१,००० रुपये का प्राविधान किया गया है, जिसमें २१,४०,१६,००० रुपये आयोजनागत पूंजी में हैं और ये पूरा शिक्षा विभाग का जो प्रतिशत है उसके खर्च का वह १९.४ प्रतिशत है। मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा विभाग है कि जिसमें सरकार पक्ष के भी बच्चे और विरोध पक्ष के भी बच्चे, हर माता-पिता के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं इस विषय के ऊपर प्रकाश डालने से पूर्व अपने विरोधी पक्ष के साथियों से, भाइयों से, मैं यह विनम्र निवेदन करूंगी आपके माध्यम से कि इस विभाग की तरक्की में उन्नति में, प्रगति जो पिछले साल काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और इसमें कदम उठाया गया, इसकी प्रगति में आप विरोध भाव को भुला कर एक रचनात्मक भावना से और देश से अंधकार दूर करने की भावना से हमें सहयोग दीजिए। मैं प्रदेश के हर व्यक्ति से जो किसी पार्टी का हो और हर माता-पिता से, हर अध्यापक से, प्रत्येक छात्र से, यह नम्र निवेदन करूंगी कि शिक्षा की प्रगति में भेदभाव भुला कर, जाति की भावना हो या पार्टी की भावना, इसकी प्रगति में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में व्याप्त निरक्षरता के अंधकार को दूर करने में आप हमारा सहयोग दें।

मान्यवर, हमारी लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे जनप्रिय नेता, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की भावना से मैं यह कोशिश पिछले साल से कर रही हूं कि अपने प्रदेश में निरक्षरता के अंधकार को हम दूर करें और इस प्रदेश के हर नगर में हर मोहल्ले में, हर गली में, हर गांव में, एक-एक झोपड़ी तक हम साक्षरता के दीप को जलाने में सफल हों। आज मान्यवर, मुझे पूरा-पूरा विश्वास है कि आपकी छत्रछाया और सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के सहयोग से हम अवश्य छठीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने तक अपने प्रदेश से निरक्षरता के अंधकार को दूर करने में सक्षम हो सकेंगी। मान्यवर, निरक्षरता को दूर करने के लिये हमने ३ प्रकार की, योजनायें बनायी हैं। उनमें एक तो औपचारिक शिक्षा, दूसरी है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी है प्रौढ़ शिक्षा इनके माध्यम से इसको करेंगे।

पहले मैं औपचारिक शिक्षा के बारे में प्रकाश डालूंगी कि हम इस संबंध में क्या-क्या योजनायें लागू करने जा रहे हैं और किस प्रकार से हम इसमें तरक्की करेंगे। हम पिछले साल में भी एक नजर डालेंगे कि हमने पिछले वर्ष में क्या किया। मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा के प्रसार में हमारा उद्देश्य है कि हम शिक्षा का सार्वभौमीकरण करें। उसको करने के लिये हमने यह योजना बनायी है कि हम हर गांव तक विद्यालय पहुंचायें। हमारा कर्तव्य है कि हर गांव तक स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा की व्यवस्था पहुंचायें। यह योजना है कि डेढ़ सौ किलोमीटर पर और ३०० की आबादी पर एक प्राइमरी स्कूल और ८०० की आबादी पर एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित कर सकें। यह हमारा महत्वाकांक्षी स्वप्न है जिसको पूरा करने में आप सभी का सहयोग लेना चाहेंगे और हमें आशा है आप लोग सहयोग देंगे, क्योंकि इसमें आपके बच्चे भी लाभ उठायेंगे, केवल हमारे बच्चे ही नहीं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह सोच रहे हैं कि १२,८३५ प्राइमरी और ५९६७ जूनियर हाई स्कूल खोलें।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

मान्यवर, इस संबंध में हम बहुत बड़ा ठोस और बहुत अहमियत वाला कदम उठाने जा रहे हैं। यह अक्सर कहा जाता रहा है कि प्राइमरी स्कूलों में भवन नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं हैं।

पिछले वर्ष में जो भी प्रगति हुयी, यानी ७७ से लेकर ७९ तक, उसमें जो परेशानियां हुयीं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अभी इतना ही कहना चाहती हूं कि अगर किसी विद्यालय में एक मास्टर है और ४० बच्चे हैं, भवन हो या न हो, टाट-पट्टी हो या न हो, वह मेरा स्कूल है क्योंकि हमारा बच्चा वहां पढ़ता है। मुख्य चीज है कि वहां गुरु होना चाहिए जहां गुरु है, वह चाहे पेड़ के नीचे पढ़ाता हो, चाहे ५ हजार वर्ष पहले का ऋषि हो, या आज का अध्यापक, वह हमारा शिक्षा का मन्दिर है क्योंकि वहां शिक्षा की दीपिका जल रही है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन स्कूलों में भवन और टाट-पट्टी की व्यवस्था करें। तो पिछले साल हमने प्लान बनाया कि जो भी नये स्कूल खोलेंगे चाहे प्राइमरी स्कूल या दूसरे, प्राइमरी स्कूल भवन समेत खोलेंगे और यह कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया। पिछले साल खोले और इस साल भी खोलेंगे।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी पिछले साल पर। ३५० ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले जिसमें १२० मैदानी क्षेत्रों में और १३५ पर्वतीय क्षेत्रों और नगरी क्षेत्रों में ३२ और मिडिल स्कूल १४४ खोले। इस साल हमने और महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ४४६ स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में ३३८ मैदानी क्षेत्र में, ११० पर्वतीय क्षेत्रों में, ३० नगर क्षेत्रों में १५८ मिडिल स्कूल, यह सारे भवन समेत, टाट पट्टी समेत हैं। हमारे इनरोलमेंट में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। मैं खुशी के साथ सूचित करना चाहती हूं कि हमारे छात्रों की संख्या ५३ लाख १७ हजार थी ७९-८० में और ८०-८१ में बढ़ाकर हमने ९४.४७ लाख ले आये हैं इस साल का लक्ष्य हमारा ९९ लाख का है और मैं समझती हूं कि इस लक्ष्य का पूरा करने में हम सफल होंगे। रही भवन के निर्माण की बात। पिछले साल २३२ मिडिल स्कूल और ६६ प्राइमरी स्कूलों को १६० लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई। ८० लाख रुपया अतिरिक्त क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत की गई। इस साल यह बढ़ा दी गई और १७१.२० लाख इस वर्ष हम पुराने स्कूलों के भवन के निर्माण में खर्च करेंगे। नये स्कूलों के भवनों की बात अलग है ८०-८१ में दिसम्बर तक ४९५ प्राइमरी स्कूलों का निर्माण हो चुका था और ८७३ अन्डर कान्सट्रक्शन थे। जूनियर हाई स्कूल ७१ बन चुके थे और २४० निर्माणाधीन थे।

अब रही मरम्मत की बात, पिछले साल २० लाख रुपया मरम्मत के लिए दिया था। जो बहुत कम था इसके अतिरिक्त अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त विद्यालयों के लिए ७५ लाख रुपया स्वीकृत किया था और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ६९.७० लाख जो कम थी। लेकिन मान्यवर, हमारे पास जितना पैसा है उससे भी अधिक हम कोशिश कर रहे हैं प्राइमरी स्कूलों के निकास करने के लिए। इस साल इसी बात को ध्यान में लेकर हमने मरम्मत के लिए इस बजट में १ करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। इसी सिलसिले में मैं आपको यह भी सूचित करना चाहती हूं यू० नी० सं० एफ० से ७९-८० में कुछ पैसा ९० लाख था और ६० लाख हमारे

गवर्नमेंट का जो २२२ स्कूलों की मरम्मत के लिए था उसकी काफी आलोचना हुई थी लेकिन मैं सूचित करना चाहती हूं कि ८०-८१ में यह काम पूरा हुआ और हमने डेढ़ करोड़ रुपये का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त गरीब बच्चों को पिछले साल ४० हजार फ्री पोशाक दिया गया इस साल हमने इसको बढ़ाकर १९८०-८१ में ६० हजार निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने का प्राविधान किया है। इसके अतिरिक्त ५० हजार छात्रों को हम पाठ्य पुस्तकें फ्री देंगे २७० मिडिल स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें बैंक की स्थापना करने की योजना की है। मान्यवर, प्राइमरी स्कूलों की और समस्यायें हैं।

मैं एक बात पर और विचार कर रही हूं कि जो प्राइवेट प्राइमरी स्कूल थे उनको सन् ७५ से मान्यता देना बन्द कर दिया था अगर माननीय विधायकगण का सहयोग तथा राय होगी तो मैं पुनर्विचार करूंगी मान्यता देने के संबंध में। तो मान्यवर, कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए हम उनको मान्यता दें या न दें, इस पर पुनर्विचार करने जा रहे हैं। विधायकों ने कई बार हम से कहा कि जिन ६-ठीं, ७-वीं, आठवीं कक्षाओं के स्कूलों का उच्चीकरण हो जाता है तो वे स्कूल, जिस अधिनियम के अन्तर्गत वेतन वितरण किया जाता था, उससे हट कर हाई स्कूल के अधिनियम में आ जाते हैं और इससे उन स्कूलों के अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता था जिससे अध्यापकों को बड़ा नुकसान होता था। इस पर भी हम पुनर्विचार करने जा रहे हैं कि जो हमारे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में उच्चीकृत हों, उनके अध्यापकों का वेतन बन्द न किया जाय। एक समस्या और है मान्यवर, कुछ मान्टेसरी स्कूल जो फीस ज्यादा लेते हैं लेकिन अध्यापकों को कम देते हैं इससे अध्यापकों का शोषण होता है तो हम ऐसी शिक्षण संस्थाओं को इसकी इजाजत न दें कि वे अध्यापकों का शोषण करें, इसके लिए हम सभी लोगों का सहयोग चाहेंगे।

प्राइमरी स्कूल की शिक्षा में सुधार के लिए हमने एक निदेशक की नियुक्ति की है जो प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करेगा और वहां की दशा में सुधार की चेष्टा करेगा। मंडलीय और जनपदीय स्तर पर हमने आफिसर्स की एक कान्फ्रेन्स की थी। हमने उसमें एक प्लान बनाया था कि किस प्रकार निरीक्षण किया जाये और एक प्रोफार्मा बनाया था कि इसमें यह आवश्यक होगा कि जिलों में और शिक्षा संस्थाओं के आस-पास के गांवों के प्रमुख लोगों तथा अभिभावकों से स्कूल के बारे में राय ली जाये। जो हमारे साथी, राज्य मंत्री जी और उप मंत्री जी हैं, हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि प्राइमरी स्कूलों में जाकर स्वयं निरीक्षण करेंगे ताकि वहां का अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चले।

हम समझते हैं इससे हम उनके स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। टाट-पट्टी की बात मान्यवर, यह बड़ी दर्दनाक है कि १९७७-७८, ७८-७९ और ७९-८० में यह हुआ कि जो टाट-पट्टियों के लिए पैसे का बजट में प्राविधान किया गया और जिलों से कहा गया कि आप इसका उपयोग करें तो कई जिलों ने आर्डर ही नहीं किया और ग्रान्ट लैप्स हो गयी।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

पिछले साल हमने यह निर्णय लिया है और कार्यान्वित भी किया है कि जितनी भी हमको आवश्यकता है, पूरे प्रदेश की वह केन्द्र से आर्डर दिया जाये पंचायत उद्योग विभाग को। और जिलों को सप्लाई करें। मुझे आपसे यह कहना है कि इसकी जो फिगर्स हैं तो ६० प्रति शत स्कूलों में हम टाट-पट्टी सप्लाई कर चुके हैं और मैं समझती हूं कि इस सत्र के अंत तक पूरी धनराशि हम प्रयोग कर सकेंगे और टाट-पट्टी का इन्तजाम इस सत्र के अन्त तक हो जायगा।

वर्ष १९८१-८२ में २४ लाख रु० का प्राविधान योजनागत में किया है। मैं समझती हूं कि टाट-पट्टी की व्यवस्था में भी बहुत सुधार कर सकेंगे यह तो मान्यवर, जो हमारी प्रमुख योजना है निरक्षरता को दूर करने की यह उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है अनौपचारिक शिक्षा का। बंगाल में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अनौपचारिक शिक्षा पर वे बहुत जोर दे रहे हैं, पिछले वर्ष हमने इस पर बहुत गौर किया कि निरक्षरता किस प्रकार दूर की जाय और जो बालक बालिकायें श्रम की वजह से या घर की जरूरत की वजह से "फुल टाइम" नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ७२०० केन्द्र वर्ष ८०-८१ में स्थापित कर दिये हैं, वह हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है इस समय हमने जो कन्डेन्स्ड कोर्स किया है कक्षा १ से ५ तक तीन साल में और मिडिल स्कूल दो साल में। समय भी वही निर्धारित किया है जो कि बच्चों की इच्छा हो और उनके अनुकूल हो ताकि जो इससे वंचित रह जाते हैं वे भी अपनी सुविधा के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा का फायदा उठा सकें।

यह एक हमारी स्कीम पिछले साल से चालू हुई। तीसरी हमारी प्रौढ़ शिक्षा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अनौपचारिक या औपचारिक शिक्षा में इन केन्द्रों में नहीं आ सकते हैं, घण्टे भर से ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं और वे इन केन्द्रों में जाते हैं, तो १५ से लेकर ३५ वर्ष तक की उम्र के लोगों का भी यहां इन्तजाम है कि हर केन्द्र में कम से कम ३०, ३२ या ३५ छात्र जरूर होते हैं जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा ले रहे हैं और प्रौढ़ शिक्षा के साथ-साथ कृषि के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर भी इनको शिक्षा दी जाती है। पिछले साल प्रौढ़ शिक्षा में जो हमारी फीगर्स हैं वे २१ दिसम्बर, तक २ लाख ४३ हजार ८८ थी। अब इस साल जो हमारा टार्गेट है, वह है ३ लाख ७५ हजार। मैं समझती हूं कि हम प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से इनको साक्षर बनाने में सक्षम होंगे। इसका अब एक और भी तरीका सोचा है—प्राइमरी स्कूल के इम्प्रूवमेन्ट्स का वह यह है—टीचर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

इसके लिये भी मैं पिछले साल से बराबर कोशिश कर रही हूं कि टीचर्स को, जो आलरेडी काम कर रहे हैं, वे प्राइमरी स्तर पर या मिडिल स्तर पर या हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर पर हों, उनके लिये हमने इस बात का प्रोग्राम बनाया है कि वे लोग प्रशिक्षण केन्द्रों में दो या तीन महीने या १५ दिन, जैसा भी जरूरी हो, उनका प्रशिक्षण ग्रहण कर सकें। पहाड़ी क्षेत्रों में मान्यवर, छात्रों की संख्या स्कूलों में कम है। ४० बच्चों के ऊपर हमने एक शिक्षक रखा है। लेकिन कभी-कभी यह समस्या आती है कि स्कूल में एक शिक्षक है और वह १५ दिन की छुट्टी पर चला जाता है तो १५ दिन बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो हमने प्राविधान किया है और इस साल निर्णय लिया है कि १५

सौ फीट से अधिक ऊंचाई पर जो स्कूल हैं वहां हमने एक सहायक अध्यापक देने का निर्णय लिया है। मान्यवर, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाती हूं वह यह है कि जनता पार्टी ने न मालूम किस भावना से इंगलिश की बेसिक रीडर—२ जो सातवीं जमात में पढ़ायी जाती है उसमें न मालूम किस ध्यान में इन्होंने उसमें एक इंदिरा प्रियदर्शनी नाम का चैप्टर था उसको इन्होंने बिलकुल निकाल दिया। मान्यवर, मैं खुशी से कहती हूं कि इंदिरा प्रियदर्शिनी नाम के उस चैप्टर को रिवाइज करके फिर से लिखाकर उसको उस बुक में इन्क्लूड करने का हमने निर्णय लिया है।

एक सदस्य—

यह आपने गलत काम किया है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी केवल प्रधान मंत्री ही नहीं हैं वह पूरे विश्व की नेता हैं। पूरे विश्व में जितने दलित शोषित, दीन दुखी, साम्राज्यवादियों के सताये हुए जो लोग हैं उनके लिए दीप शिखा हैं, रोशनी हैं, लाइफ हैं। वह केवल प्रधान मंत्री नहीं हैं। उनके महान विचार, उनके आदर्श गरीबों के लिए अनन्त ममता और प्रेम की प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए भी उस चैप्टर को इन्क्लूड करने का निर्णय लिया है कि हमारे देश की जो कन्यायें हैं वह उसको पढ़ सकें। जब वह इसको पढ़ेंगी तो वह सोचेंगी कि एक महिला जो हमारी तरह एक कन्या थी आज पूरे विश्व की नेता हैं और हम भी वहीं पहुंच सकती हैं, इस चैप्टर से उनमें हिम्मत का संचार होगा। इसलिए इस चैप्टर को फिर से लिखवा कर कि उनके आदर्शों को किस तरह सुंदरता से पेश कर सकते हैं, इसको इन्क्लूड करने का निर्णय लिया है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक अपना भी चैप्टर उसी में लिखवा दें ताकि उससे भी लोग प्रेरित हों।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जहां तक प्राइमरी स्कूल की शिक्षा का संबंध है यह हमारी बेसिक फाउन्डेशन है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप लोगों के सहयोग से शिक्षा को जन आन्दोलन के रूप में लेना है, मैं जनता का आह्वान करती हूं कि हम हाथ से हाथ मिलाकर इस काम में सहयोग दें और उत्तर प्रदेश से निरक्षरता के अंधकार को पूरी तरह से मिटा सकें और हर घर में शिक्षा का दीप जला सकें इसमें सहयोग दीजिए ताकि उत्तर प्रदेश से निरक्षरता के कलंक को हटाया जा सके।

यह उत्तर प्रदेश जितना हमारा है उतना आपका भी है। मान्यवर, आप कहेंगे कि काटकर एक रुपया कर दिया जाय, मैंने मांग की है २२७ करोड़ ४४ लाख २१ हजार की।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

यह रुपया नहीं है यह ३३७ करोड़ ६४ लाख ३१ हजार मोमबत्तियां हैं जो एक एक मोहल्ले में हम जलायें। मोमबत्ती जलाने में साथ दीजिए। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा की बात है। माध्यमिक शिक्षा में हमारे यहां ५२१० विद्यालय हैं। जिसमें १८.८४ लाख छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने ३३ नये राजकीय हाई स्कूल खोलें और २७ हाई स्कूलों का उच्चीकरण किया हमने ३९८ को मान्यता दी जिसका ब्रेकअप इस प्रकार है। इन्टर नवीन ८१, हाई स्कूल नवीन ६७, इण्टरमीडिएट अतिरिक्त वर्ग २१ हाई स्कूल २९ इण्टर मीडिएट अतिरिक्त विषय ११५, हाई स्कूल ५०१, अभी बहुत से प्रकरण हमारे विचाराधीन हैं। इस वर्ष हम राजकीय स्कूलों में ९ नये राजकीय हाई स्कूल खोलेंगे ६ मैदानी और ३ पर्वतीय और ११ हाई स्कूलों को इंटर तक प्रोन्नत करेंगे ६ मैदानी और ५ पर्वतीय।

अनुदान सूची में केवल २६ स्कूलों को लाये थे लेकिन इस साल ७० विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की योजना है मेधावी छात्रों की मदद के लिए हमने यह प्रयास किया है कि नवी दसवीं जमात के बालकों को जिसका दस रुपया मैरिट स्कालरशिप था उसे बढ़ाकर १५ रु० बढ़ा दिया है। दूसरे मेधावी छात्रों के लिए जो पिछले साल योजना थी कि मैदानी क्षेत्र में फैजाबाद में एक विद्यालय खोलें तो इस साल हम इस कार्यक्रम को लागू कर सकेंगे। कक्षा ६ से लेकर १२ तक आवासी इंतजाम के साथ एक स्कूल चालू कर देंगे। जो गरीब लड़के होंगे उनके खाने और रहने का सारा व्यय सरकार द्वारा किया जायगा। मान्यवर, बहुत से मेधावी छात्र गरीब होने की वजह से उच्च शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए यह व्यवस्था करने जा रहे हैं।

मान्यवर, आप कहेंगे कि शिक्षा के कार्यक्रम में कन्याओं के लिए क्या हो रहा है। उसके बारे में मैं सूचित करना चाहती हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में कन्याओं की संख्या बहुत कम है हमने यह सोचा है कि पिछड़े क्षेत्र में कन्याओं के जो मिडिल स्कूल हैं उनको शत प्रतिशत अनुदान दें। उसमें मैनेजमेंट शेयर की जरूरत न हो। शत प्रतिशत अनुदान दें जिससे भवन का निर्माण कर सकें, उपकरण दे सकें ताकि हाई स्कूल में उच्चीकरण करने में कोई दिक्कत न हो। इस तरह जब यहां भवन का निर्माण हो जायेगा हाई स्कूल में उच्चीकरण करने में कोई बाधा नहीं होगी। इसके अलावा जो लड़कियां माध्यमिक शिक्षा में लड़कों के साथ पढ़ती हैं उनके लिए अलग पेयजल और सेनीटरी व्यवस्था के लिए ४ हजार रुपया दिया करते थे उसको बढ़ाकर १५ हजार कर दिया है। मैं समझती हूं इससे हम कन्याओं की शिक्षा में काफी प्रगति कर सकेंगे। इसके अलावा हमने अपने आफिसर्स को यह निर्देश दे दिये हैं कि कन्याओं के एनरोलमेन्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावें और मैं समझती हूं अनौपचारिक शिक्षा के कारण हमारी कन्याओं का एनरोलमेन्ट आगे बढ़ेगा। मान्यवर, यह शिक्षा प्रणाली बहुत विस्तृत विषय है। मुझे इसके व्यवसायीकरण के बारे में कहना है कि चार जनपदों में इसके लिए सर्वेक्षण चल रहा है। पिछले साल से यह शुरू हुआ है और सर्वेक्षण के बाद ही हम कदम इस संबंध में उठा सकेंगे। इसके साथ ही दूसरा निर्णय यह हमने लिया है कि हम विज्ञान तथा गणित अनिवार्य कर दें। जिस शिक्षा में आज विज्ञान तथा गणित नहीं है वह शिक्षा अधूरी है। हमारे बच्चों को विज्ञान तथा गणित की शिक्षा दी जाय इसमें

समय लगेगा। हाई स्कूल तक हम विज्ञान तथा गणित अनिवार्य कर देंगे यह निर्णय ले लिया गया है। कन्याओं के लिए हमने यह रखा है कि गणित के स्थान पर अगर होम-साइंस ले सकें तो ले सकती हैं लेकिन भविष्य में कन्याओं के लिए भी विज्ञान तथा गणित दोनों कम्पलसरी करनी होंगी। लेकिन यह हमारा भविष्य का स्वप्न है। देखों कब पूरा होगा ?

परीक्षाफलों का स्तर ऊंचा करने के लिए परीक्षाओं को सही तरीके से चलाने के लिए हमने यह निर्णय लिया था कि प्राइवेट तथा रेगुलर की परीक्षायें अलग-अलग होंगी, तो इस साल उसे कार्यान्वित कर दिया जायगा। १९८१-८२ में प्राइवेट का अलग होगा और रेगुलर का अलग होगा। १९८३ में प्राइवेट बैठेंगे उनके लिए पत्राचार का विभाग भी खोल दिया जायेगा। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनको पढ़कर साम्प्रदायिकता की भावना जागृत होती है, जातिवाद की भावना जाग्रत होती है। इसके लिए हमने एक समिति बनाई है जो ऐसी किताबों पर फिर से पुनर्विचार करेगी कि जिन अध्यायों में ऐसी बातें हैं, जो राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के विपरीत हैं उन पर फिर से गौर करके दुबारा लीं जाय ताकि देश में राष्ट्रीय एकीकरण की बात व्याप्त हो। इस संबंध में मैं पूरे प्रदेश के छात्रों, अध्यापकों, वाइस चांसलरों को मुबारकबाद देती हूं कि बावजूद प्रदेश में साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों की कोशिश को हिन्दू मुसलमान रायट्स, जातिवाद के नाम पर रायट्स हों लेकिन वह न हो सके छात्रों के बीच।

हमारी शिक्षण संस्थाओं में यह साम्प्रदायिकता की भावना, जातिवाद की भावना पनपने नहीं पाई। इसके लिये मैं छात्रों को मुबारकबाद देती हूं कि एक भी इंसिडेंस ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में हिन्दू मुस्लिम की रायट्स की संभावना हुई हो। बड़ी शान्तिपूर्वक ढंग से परीक्षायें हुईं। तमाम छात्रों ने भाई-चारे का रिश्ता कायम रखा और साम्प्रदायिकता के नाम पर किसी भी कालेज या स्कूल में गाली-गलौज नहीं हुआ, डंडा नहीं चला। यह भी मुझे आपको सूचित करना है कि इंटरमिडिएट शिक्षा विधेयक पास हुआ था वह अधिनियम बन गया और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गयी है। मैं समझती हूं कि इस अधिनियम से हमारे प्रदेश के अध्यापकों को बहुत लाभ होगा। उनकी सेवा की जो सिक्योरिटी है वह मेनटेन होगी। इसमें प्रबन्धाधिकरण पर कुछ नियंत्रण रखा गया है। यदि अनियमित रूप से किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो छटनीशुदा अध्यापक थे उनको अन्य विद्यालयों में खपाया जा सके, इससे भी अध्यापकों का बहुत कल्याण होगा।

मान्यवर, हिल्स के बारे में मुझे यह कहना है कि हमेशा से बहुत परेशानी रही है कि हमारे अध्यापक जो राजकीय विद्यालयों में हैं वे पहाड़ों में जाना पसंद नहीं करते। अब उनको पहाड़ों में भेजा जाता है तो वे मेडिकल लीव ले लेते हैं। उसके लिए इस विभाग में सर्वप्रथम क्रान्तिकारी कदम हमने यह उठाया है कि हिल्स के लिए हम अध्यापक व निरीक्षक

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

वर्ग का एक अलग से कैडर बनायेंगे । मेरे ख्याल से हिल्स में रहने वाले जो विधायक हैं उनको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस कैडर के बनने के बाद हिल्स में टीचर्स की कोई कमी नहीं रहेगी । जहां तक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का सवाल है, हमने तो क्रान्तिकारी कदम पिछले साल ही उठाया था । जो यह अधिनियम हमने पेश किया और उसमें हमने जो प्रबन्धीकरण के ऊपर अंकुश लगाया है और उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रखने का जो हमने नियम बनाया है, उससे मैं समझती हूं कि विद्यालयों में बहुत सी परेशानियां दूर हो सकेंगी । मुझे कबीर की एक वाणी याद आती है :

धीरे-धीरे चल मना धीरे सब कुछ होय,

माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आये फल होय ।

माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हमने एक सेवा आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है । दूसरा कदम हमने यह उठाया है कि हर मैनेजिंग कमेटी में सरकार का एक प्रतिनिधि मेंबर रहेगा ताकि मैनेजिंग कमेटी कोई अनियमित कार्य न कर सके, किसी अध्यापक के खिलाफ कोई अन्याय न कर सके और डिमालकेशन आफ फ्रन्ड्स न कर सके । उच्च शिक्षा के ऊपर मैं ५ मिनट और लूंगी । हम और क्रान्तिकारी कदम उठाने जा रहे हैं और मैं पहले ही कह दूं कि हैं तो वह आपके मन की ही बात, ऊपर से आप चाहे नहीं कहते रहे लेकिन अन्दर से आप कहेंगे हां और बाहर से नहीं कहते रहेंगे, यह एक भावना होती है । तो मान्यवर, एक क्रान्तिकारी कदम मैं उठाने जा रही हूं कि हायर एजूकेशन में हम तीन वर्ष का डिग्री कोर्स करेंगे और आनर्स कोर्स करने का हमने निर्णय लिया है ।

(हंसी तथा शोर)

धीरे-धीरे चल मना । १९६४ और ६६ में कोठारी कमीशन ने कहा था कि तीन वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हर प्रदेश में यानी आंध्र प्रदेश में, जम्मू काशमीर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में हर जगह तीन वर्ष का डिग्री कोर्स हो गया है, एक हम ही पीछे रह गये हैं । एक बड़ी परेशानी की बात हो गयी है मान्यवर कि हमारे, उत्तर प्रदेश के बच्चे जो बी० ए० पास कर लेते हैं, एम० ए० पास कर लेते हैं, उनकी कदर उत्तर प्रदेश में तो है लेकिन बाहर उनकी कदर नहीं हो रही है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है और जो सर्विसेज की सुविधायें हैं उसमें हमारे बच्चे तो पिछड़ रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी लज्जा की बात है, बड़े खेद का विषय है । अगर हम शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय नहीं ले लेते हैं, हायर एजूकेशन को उच्चस्तरीय बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के नव-युवकों का भविष्य अन्धकार में है, लेकिन ऐसा होगा नहीं इसलिए हमने यह निर्णय लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीया यह टाइम भी हमारे लिए परेशानी का कारण बन रहा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, एक समिति बनायी गयी है जिसने निर्णय लिया है २६ जनवरी को शिक्षा के कोर्स में खेलकूद को भी सम्मिलित करेंगे। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बना रही हूं उसके अधिकारी अपने सुझाव देंगे, आप चाहें तो आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, हम उसका वेलकम करेंगे। सुझाव ऐसे आयें जिससे कि अधिक से अधिक अपने प्रदेश के बच्चों का फायदा हो और आगे चलकर प्रगति के पथ पर हम चल सकें।

इसके अतिरिक्त छात्रों के सुझाव के लिये, छात्रों के कल्याण के लिए ५ करोड़ रुपये की हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उन्होंने यह भी एक घोषणा की थी उस सम्मेलन में कि विद्यालयों में एक उपभोक्ता समिति भी बनायी जायेंगी जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि हमारे स्टूडेण्ट्स को हमारे छात्रों को हो सके।

और मान्यवर, खेलकूद का जहां तक प्रश्न है जिला स्कूल में, विद्यालय में एक मण्डलीय स्तर पर प्रतियोगितायें की गयी थीं, सभी जगह ये प्रतियोगितायें संपन्न हुई थीं जैसे गर्ल्स गाइड की, एन० सी० सी० की रैली भी हुई।

प्रसार अध्यापकों के लिए, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उनकी पदोन्नति के लिए ३६५ नये पदों का सृजन किया गया है और उनको ५० रिक्त पदों पर प्रोन्नत करने का प्राविधान किया गया है। एक योजना यह भी है कि चाहे प्रसार अध्यापक हो चाहे कृषि का अध्यापक हो वह सब इस योजना के अन्तर्गत बराबर का लाभ उठा सकेंगे, इसके लिये भी एक समिति का गठन किया गया है।

उर्दू के लिए मान्यवर, मैंने यह निर्णय लिया है कि ६ हजार अध्यापकों का स्थायीकरण करेंगे। २७ हजार उर्दू के पदों के स्थायीकरण की घोषणा कर दी गयी और बाकी की बराबर घोषणा हो रही है और मैं समझती हूं कि इस महीने के अन्त तक वह भी घोषित हो जायेंगे जैसे ४० छात्रों में से १० छात्र उर्दू को अपनी मातृभाषा घोषित करते हैं तो उन्हें उर्दू के माध्यम से ही शिक्षा देने का प्राविजन किया गया है, यह मुख्य मंत्री जी से परमिशन लेकर हमने निर्णय लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य लगता है कि अब आपके भाषण से काफी प्रेरित हो गये हैं, अब उन्हें समाप्त भी करने दीजिए, वह ५० मिनट से बराबर बोल रही हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पिछले साल आप लोगों के सहयोग से और पक्ष के सहयोग से और अपने वाइस चांसलर्स और अपने छात्रगण और अभिभावकों के सहयोग से हमारी परिक्षायें अत्यन्त शांतिपूर्ण और सुन्दर तरीके से संपन्न हुई जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूं और मैं चाहूंगी कि आप सबके सहयोग से हम समय से सभी परीक्षायें करा सकें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बी० ए० तथा एम० ए० की। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप सबका सहयोग रहे तो हम शिक्षा का नियमितीकरण भी कर सकेंगे। इसके लिए आपके माध्यम से सब एम० एल० ए० लोगों का सहयोग चाहूंगी और मुझे आशा है कि हम आपके आशीर्वाद और आपकी छत्रछाया में १९८२ तक अपने सत्र का और सभी फैकल्टीज का नियमतीकरण कर सकेंगी। जब तक सत्र का नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हमारी उच्च शिक्षा का भविष्य रूकावट में पड़ सकता है। हम अपनी शिक्षा को रूकावट में नहीं डालना चाहते हैं। हमें उच्च शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है। मान्यवर, यह हमारे लिए जन्म और मृत्यु का प्रश्न है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइफ एण्ड डेथ का प्रश्न है। हमारे उत्तर प्रदेश की जिन्दगी का प्रश्न है। जब तक हमारे शिक्षा का नियमतीकरण नहीं होगा तब तक हमारे मेधावी छात्रों की कहीं कदर नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के बाहर। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मेधावी छात्र हैं, आज डाक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, फिलास्फर के रूप में, रीडर्स के रूप में, पोलिटिशियन के रूप में पूरे देश में फैले हुए हैं और कितनी इज्जत हो रही है उनकी। एक दिन सारे हिन्दुस्तान में गगन मण्डल में तारों की तरह वे चमकेंगे। ये इन्हीं प्राइमरी स्कूलों के पढ़े हुए लड़के हैं।

मान्यवर, अन्त में मैं अपने शिक्षा विभाग के जितने हमारे शिक्षकगण हैं, अभिभावकगण हैं, हमारे छात्र हैं और हमारे एम० एल० ए० हैं चाहे वे पक्ष में हों या विपक्ष में हों उन्होंने शिक्षा की प्रगति में जो पिछले वर्ष सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूं और अन्त में जो हमारा शिक्षा विभाग है, हमारे शिक्षा सचिव हैं जो थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स को चालू करने के लिए पूरी तरह से संलग्न हैं तथा शिक्षा विभाग के जो कर्मचारीगण और अधिकारी-गण हैं जिन्होंने इस प्रगति में हमको सहायता दी है और अपने प्रदेश से निरक्षरता के अंधकार को दूर करने में प्रयत्नशील हैं उन सबको मैं बधाई देती हूं और इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री सूबेदार जी मुझे उम्मीद है कि आपने माननीया से काफी शिक्षा ले लिया होगा। माननीया ने ५५ मिनट लिया, आप ऐसा नहीं करेंगे।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा विभाग के अनुदान संख्या ३३ पर प्रस्ताव करने के लिए बड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, अनुदान संख्या ३३ में मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अनुदान संख्या ३४ में मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अनुदान संख्या ११० में मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अनुदान संख्या ११० में मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीया शिक्षा मंत्री ने जो विवरण और आंकड़े प्रस्तुत किये हैं मैं समझता हूं कि पूरी तरह से फर्जी तो हैं ही लेकिन दिशा भ्रम में भी डालने वाले हैं। मान्यवर, आप देखें तैंतीस वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान आजाद हुआ था। चौंतीसवें वर्ष में हिन्दुस्तान प्रवेश कर गया है और हालात में कोई सुधार नहीं है। जो योजना सौ वर्ष से अधिक पहले लार्ड मैकाले ने इस देश को देन स्वरूप दी थी वही देन आज हमारी शिक्षा मंत्री जी इस प्रदेश को देकर अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं और हम लोगों से भी चाहती हैं कि हम उसका अनुमोदन करें। मान्यवर, मैकाले की यह विशेष नीति थी कि चूंकि क्लर्क लोगों को इस देश में इंगलैण्ड से लाना पड़ता है, अधिक तनख्वाह देनी पड़ती है, अधिक व्यय होता है और परेशानी होती है, उस कमी को दूर करने के लिये लार्ड मैकाले ने वर्तमान शिक्षा पद्धति को इस देश में लागू किया था और उसने स्पष्ट घोषणा की थी कि इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम हिन्दुस्तान में ऐसी जनरेशन को जन्म देना चाहते हैं जो रंग रूप में हिन्दुस्तानी हो लेकिन फैशन में, स्वभाव में, कल्चर में, पूरी तौर से अंग्रेज बन जाय। श्रीमन अगर आप भी गौर करें तो सही मानों में लार्ड मैकाले की कामना पूरी हुई और आजादी के बाद भी पूरी हो रही है। यह खेद का विषय है।

श्रीमन आज हम आजादी के ३४ वें वर्ष में चल रहे हैं, उम्मीद यह थी कि इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू होगी जो समाज को एक दिशा दर्शन देगी, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी और हमारे नागरिक अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो सकेंगे। लेकिन आप श्रीमन देखें आज इस देश में जो शिक्षा पद्धति चल रही है वह पूरी तौर पर अंग्रेजी हुकूमत का अनुकरण है और अगर हम कहें कि यह बजट सही

[श्री सूबेदार सिंह—]

माने में लार्ड मैकाले के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के समान हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं हैं। मान्यवर, मैं अमरीका का आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर हाई स्कूल पास करने के बाद ८० प्रतिशत लोग औद्योगिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और औद्योगिक व्यवसाय में जाते हैं केवल बीस प्रतिशत लोग विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं। हिन्दुस्तान में आपने कोई नियोजन नहीं किया। कोई नियोजन आपके पास नहीं हैं। कितने लड़के किस तरह की नौकरी में जायेंगे, किस तरह के व्यवसाय में जायेंगे किस तरह के उद्योग में जायेंगे, इसकी कोई योजना नहीं हैं। श्रीमन बी० ए० पास हो, एम० ए० पास हो, एल० एल० बी० हो या टेक्निकल एजूकेशन पास किये हुये हो, किसी के लिए कोई योजना नहीं हैं। आप अपने टेक्निकल एजूकेशन की व्यवस्था देखें। श्रीमन हालत बहुत गम्भीर हैं। जिन लोगों को टेक्निकल एजूकेशन में जाना चाहिए था वे जनरल में जाते हैं और जिनको जनरल में जाना चाहिए था वे टेक्निकल में जाते हैं। स्थिति विपरीत हैं। मान्यवर, देश और प्रदेश की आवश्यकताओं को बिलकुल ध्यान में नहीं रखा गया हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि आज युवकों में आक्रोश हैं और फिर भी आपकी आंखे नहीं खुली हैं, शिक्षकों में आक्रोश हैं, समाज में आक्रोश हैं और फिर भी मंत्री जी की आंखें नहीं खुली हैं। आशा यह थी कि ऐसा बजट आयेगा जो देश को एक दिशा देगा लेकिन गायत्री के अलावा और कुछ नहीं मिला। अगर हम इसको इन शब्दों में कहें—

पक्षी कहते हैं कि चमन बदला हैं,
तारे कहते हैं कि गगन बदला हैं,
लेकिन श्मशान की खामोशी बता रही हैं,
कि लाश वही हैं केवल कफन बदला हैं।

मान्यवर, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री इवेन्ट इलिस ने इसके सम्बन्ध में जो अपनी भावनायें व्यक्त करते हुये कहा था कि अगर देश में शिक्षा सही माने में जागृति न ला सके और समाज को न बदल सके तो उस देश की शिक्षा संस्थाओं को बन्द कर देना चाहिए। आज देश की स्थिति कितनी भयंकर हो गई हैं। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश को सही माने में सही रूप से उचित दिशा मिले तो आप इस बजट को वापस लीजिये, नई शिक्षा का निर्माण कराइये, नई नीतियां लाइये और एक हाई पावर कमेटी नियुक्त कीजिये। उसमें युवकों का भी आप सहयोग लें। मान्यवर, मुझे ऐसा लगता हैं कि मंत्री जी ने इसको देखा नहीं हैं क्योंकि उन्होंने मात्र तारीफ के पुल बांध दिये हैं और कुछ नहीं कहा हैं।

इन्होंने ६ठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े भी नहीं देखे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज २.९४ लाख किलोमीटर क्षेत्र इस प्रदेश में हैं जो कि देश के चौथे नम्बर पर हैं जिसकी जनसंख्या १०२ मिलियन हैं, जो देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का १६ प्रतिशत हैं, ८५ प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं और ३१ प्रतिशत लोग हरिजन और

अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। मान्यवर, अगर आप आंकड़े देखें साक्षरता के तो उनसे पता चलेगा कि यहां पर टोटल में २१.७ प्रतिशत साक्षरता है। यह आपकी शिक्षा के आंकड़े हैं। आपने इस बारे में छठी योजना में भी कुछ नहीं किया है। पुरुषों का प्रतिशत ३१.५ है और महिलाओं का प्रतिशत केवल १०.६ है। इसके अलावा यहां की प्रति व्यक्ति आय ५०९ रुपया है जब कि भारत की प्रति व्यक्ति आय ७१२ रुपया है। साथ ही गरीबी की रेखा से नीचे जो प्रतिशत है वह इस प्रकार है कि ग्रामीण आंचल में ४७.८५ और शहरी क्षेत्र में ४७.७३ प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। मैं सरकार के आंकड़े दे रहा हूं। आप देखें कि इस बजट में प्री-प्राइमरी एजूकेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है केवल इतना कहा गया है कि नर्सरी स्कूल कुछ प्राईवेट संस्थाओं के द्वारा चलायेंगे। आप उठा कर देखें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बालबाड़ी के लिए कुछ बालबाड़ी संस्थायें स्थापित की गयी थी जो पूर्व प्राईमरी बच्चों को तैयार करेंगे मेंटली और फिजिकली लेकिन आपने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। संविधान को आप देखें आपका नैतिक कर्तव्य है कि १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। एक तो आपकी शिक्षा पद्धति अपंगु है, अधूरी है और लगड़ी है उसके बाद भी संविधान की धाराओं के मुताबिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।

आपका कर्तव्य था कि १४ साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करते लेकिन खेद है कि ३३ साल के बाद भी आज देश और प्रदेश के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। संविधान का वह अनुच्छेद आज भी अधूरा है। आपको चाहिये था कि सदन में घोषणा करते कि हाई स्कूल तक सबके लिए चाहे वह लड़के हों या लड़कियां हों अनिवार्य शिक्षा होगी और निःशुल्क होगी तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन ३३ साल के बाद भी कितनी बड़ी संख्या में लोग बिना स्कूल के और बिना साक्षर हुए पड़े हुए हैं। प्राइमरी विद्यालयों की हालत और भी गम्भीर है। १९७८ की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक तीन सौ अथवा तीन सौ से अधिक आबादी वाले १२९८२ गांव ऐसे हैं जिनके बच्चों के लिए डेढ़ किलोमीटर अथवा पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक कि०मी० में कोई भी विद्यालय मौजूद नहीं था उनकी व्यवस्था के लिए शासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया।

चतुर्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार १५ सौ जूनियर हाई स्कूलों की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों में है जिसमें से तीन सौ खुल गये हैं और ६७२५ अतिरिक्त सीनियर बेसिक स्कूलों की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में है। छठी पंचवर्षीय योजना में केवल यह कहा गया है कि ८१ बेसिक स्कूल खोले जायेंगे जिसमें से ८० प्रतिशत बालिकाओं के होंगे। मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि माननीया मंत्री जी ने शायद छठी पंचवर्षीय योजना का अध्ययन नहीं किया। आपके आंकड़ों के हिसाब से इसी गति से चले तो मेरा विश्वास है

[श्री सूबेदार सिंह]

कि ३३ साल तो बीत गये हैं पूरी शताब्दी में भी यह मंसूबे पूरे नहीं कर पायेंगे, और देश व प्रदेश पिछड़े का पिछड़ा गरीब का गरीब और अज्ञान का अज्ञान ही रह जायेगा। यहां पर लोकतंत्र रहेगा अथवा नहीं ऐसी स्थिति में यह चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, अब मैं विद्यालयों में दाखिल विद्यार्थियों के परसेन्टेज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, १९८० में ११ से १४ आयु वर्ग के बच्चे जिसमें लड़कों की संख्या ३९७३ लाख थी और लड़कियों की संख्या ३६०१ लाख थी जिसका कुल टोटल संख्या७५७४ लाख था। जो सन् ८५ में एस्टीमेटेड है कि ४१४२ लाख लड़के और ३९१६ लाख लड़कियां ही जाएंगी। इस प्रकार से ८ लाख ५८ हजार कुल टोटल हो जाएगा। इन्रोलमेन्ट का इस वक्त जो परसेन्टेज है वह देखें, लड़कों का परसेन्टेज ५३.६ है और लड़कियों का परसेन्टेज १८.६६ है। आप देखें कि यह आंकड़े कितने पुअर हैं। मैं चतुर्थ सर्वेक्षण रिपोर्ट का एक नमूना और मंत्री जी के सामने पेश करना चाहता हूं। आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना कह रही है कि आज १८ हजार से अधिक हाईस्कूल और ३४४८ मिडिल स्कूल बिना भवन के हैं। उस रिपोर्ट में आप आगे देखें ४८१२६ पक्के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनमें हैवी रिपेयर की आवश्यकता है। आप रिपेयर का काम भी पूरा नहीं कर पाये। आपने अगर उन्हें देखा हो तो आपकी समझ में आएगा कि स्थिति बहुत ही दयनीय है।

अब आप एडल्ट एजूकेशन को लें, इसमें इस समय १.८० करोड़ लोग ऐसे हैं आज देश में जो निरक्षर हैं। इतनी बड़ी संख्या के लोगों को आपने साक्षर बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की। आप सपना दिखा रहे हैं कि हम इस बजट के माध्यम से अंधकार दूर करेंगे। इसमें आपने मोमबत्ती जलाने की बात कही है, इसलिए खुशी हुई। राड जलाने की बात नहीं कही, वरना कहना पड़ता। अब इस मोमबत्ती से आग लगे या रोशनी हो। मैं प्राइमरी स्कूलों के बारे में बता रहा था। ये तीन तरह के स्कूल हैं। एक तो गवर्नमेन्ट चला रही है, जो बेसिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से चलते हैं और उसी के माध्यम से इनके मास्टर तनख्वाह पा रहे हैं।

दूसरे प्रकार में कुछ प्राइमरी स्कूलों को निजी संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है और तीसरे तरह के कुछ ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जो आपके मान्यताप्राप्त हायर सेकेन्डरी स्कूलों से अटैच्ड हैं। उनके बारे में कई बार आश्वासन दिया गया कि जो माध्यमिक स्कूलों से अटैच्ड हैं, उनके लड़कों से जो १५ रुपया फीस ली जाती है, उनके अध्यापकों का भुगतान का काम वह अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन अध्यापकों के पेमेन्ट का भार सरकार तुरन्त अपने ऊपर ले। उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, मैं दीदी जी की जानकारी के लिए इसे बता दूं। मान्यवर, जो मिडिल स्कूलों की हालत है वह भी बहुत खस्ता है, न भवन है और न सामग्री। आपने विज्ञान पढ़ाने की बात कही है, लेकिन यदि आप १०-१० इंस्ट्रूमेन्ट भी देंगे तो नहीं दे पायेंगे और बिना इंस्ट्रूमेन्ट के विज्ञान पढ़ेंगे तो यह एक अच्छा खासा मखौल होगा। इसी तरह से हायर सेकेन्डरी स्कूलों की हालत आप देखें। सरकार बधाई

की पात्र हैं कि उनके अध्यापकों के तन्ख्वाह का भुगतान कर रही हैं, लेकिन बाकी दशा बड़ी दयनीय हैं। वहां न भवन हैं और न फर्नीचर और न कोई अन्य सामग्री ही वहां हैं। भवनों की मरम्मत करने वाला कोई नहीं हैं, स्याही की कोई व्यवस्था नहीं हैं। और संस्थाओं के पास जो सामान हैं वह नगण्य हैं। इसलिए उनको यह इन्तजाम करना चाहिए कि जो विद्यालय हैं, उनकी मेन्टीनेन्स के लिए, उपकरणों के लिए और उसमें साज सज्जा के लिए उचित व्यवस्था हो जाय। हमें आशा था कि हमारी शिक्षा मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा करेंगे लेकिन आशा के विपरीत "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" वाली कहावत चरितार्थ हुयी। मुझे तो बहुत सन्तोष इसलिए हैं कि मैंने छठी पंचवर्षीय योजना में पढ़ा था और उसे भाई राजेन्द्र सिंह जी को भी दिखाया था कि उसमें लिखा हैं कि राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो राष्ट्रीयकरण करने की बात करना ही बेकार हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारी शिक्षा मंत्री, हमारे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य और इधर के बैठने वाले सदस्य इस प्रदेश का कल्याण चाहते हैं तो इस प्रदेश और देश की शिक्षा का औद्योगिकरण करना अनिवार्य हैं और उसके साथ अपनी शिक्षा को श्रम और उत्पादन से भी जोड़ना पड़ेगा।

आज अगर आप देखें तो पायेंगे कि हमारी शिक्षा एक्जामिनेशन ओरियन्टेड हैं। इससे अधिक से अधिक हम कम्पेटीशन में बैठ सकते हैं। इसको जाब ओरिएन्टेड बनाना हमारा और सबका नैतिक कर्तव्य हैं। यदि इसको ऐसा नहीं बनायेंगे तो हमारे डिग्री होल्डर्स सड़कों पर चले जायेंगे। आज आप देखते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा पाने वाले जिनके पास जेब खर्च भी नहीं हैं, बी० ए० एम० ए० पास लोग चौराहों पर क्राइम कर रहे हैं, डकैतियों और चोरियों में पकड़े जा रहे हैं। क्या यही हमारी शिक्षा हैं? मैं समझता हूं कि यह शिक्षा बिल्कुल ही निरर्थक और बेकार हैं। इसी छठी पंच वर्षीय योजना में जो आने वाली हैं, उसमें शासन की ओर से गवर्नमेन्ट हायर सेकेन्डरी शिक्षा के बारे में भारी असन्तोष व्यक्त किया गया हैं। उसमें कहा गया हैं कि जो गवर्नमेन्ट कालेजेज की परफोर्मेन्स हैं वह सन्तोषजनक नहीं हैं। यदि आपने छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को देख लिया होता तो आपको अपनी बात को कहने में बल मिलता।

इसके अलावा परीक्षाओं में जो नकल होती हैं उसके लिए शासन ने कोई कदम नहीं उठाया। कितनी भारी संख्या में विद्यार्थियों के माता पिता का पैसा बरबाद होता हैं। उसकी रोकथाम के लिए भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गया हैं।

अब मैं विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर आना चाहता हूं। मेरा सुझाव हैं कि विश्वविद्यालयों में हर विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। जो योग्य लड़के हों, उनको ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसके कारण आज बेरोजगारी बढ़ रही हैं, लोगों पर नाजायज खर्चा बढ़ रहा हैं। आपको हाई स्कूल के बाद सोचना होगा कि किस विद्यार्थी

[श्री सूबेदार सिंह—]

को साइन्स पढ़ायी जाय, किसको डिप्लोमा कराया जाय, किसको इंजीनियर बनाया जाय। आप देखें कि यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें ७८ प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं। आपके पूरे बजट में कृषकों के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे वे कृषि से सम्बन्धित शिक्षा पाकर अच्छी खेती कर सकें और अच्छा पेशा कर सकें।

आपने उद्योगों के विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपको व्यवस्था करनी चाहिए। जहां पर जो भी व्यक्ति मौजूद हैं, उसके प्रोडक्शन के अनुसार वहां की शिक्षा को आपको लिंक करना पड़ेगा। जैसे पहाड़ों में आप चूना और सीमेन्ट के उत्पादन को, आप भेंड़ और बकरी पालन को वहां की शिक्षा के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। तराई के इलाके को आपको इन्डस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। मैदानी इलाके को आपको कृषि, टेक्नालाजी, इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ जोड़ना पड़ेगा और श्रम और उत्पादन को उसका आधार बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो मान्यवर इस प्रदेश का भला नहीं होगा। बहुत दिनों तक यह प्रदेश आपके और हमारे बहकावे में नहीं रह सकता। यह प्रदेश क्रांति कर देगा। जब उसने अंग्रेज को बदल दिया, तो हम लोगों को बदलने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो मान्यवर, मैं एक डिग्री कालेज की बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जो कि गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज से सम्बन्धित है। मान्यवर, गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज के जो १९७७ तक एडहाक टीचर्स थे, उनको आपने नियमित कर दिया और १९७७ के बाद जो टीचर्स एडहाक बेसिस में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी एक अधिकार है, क्योंकि उनको भी नियमित किया जाय। उनकी योग्यतायें अगर आप देखें, तो साधारण अध्यापकों से अच्छी हैं और उनकी सेवायें भी अच्छी हैं। तो कौन सी ऐसी दशा है जो कि ५०० के करीब अध्यापक डिग्री कालेज में जो हैं, उनको नियमित करने का आपने संकेत नहीं किया। मैं चाहता हूं कि उनके मामले गम्भीरता से लिये जायं और जो १९७७ के पूर्व से अध्यापक जो एडहाक में थे, उनको जैसे आपने नियमित किया है, उसी प्रकार से इनको भी आप नियमित कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सूबेदार सिंह अभी आप और कितना समय लेंगे ?

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, बहुत थोड़े समय में मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, छठीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि टीचर्स ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है, वह संतोषजनक है। लेकिन मैं माननीया मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के प्रशिक्षण व्यवस्था से वह अपने कर्तव्यों का पूरा पालन नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता है इसको आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बनायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रूरल और गर्ल्स एजूकेशन की बात छठीं पंचवर्षीय योजना में कही गयी है कि हम इसका विकास करेंगे। लेकिन उसमें कोई आकर्षण की बात

नहीं कही गयी है। मैं मैनपुरी जनपद की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप जो कुछ भी कदम उठाती हैं, उससे पूर्व भी संरक्षण करें। पूरे प्रदेश में जहां पर जिस संस्था की आवश्यकता हो, वहां पर उसी प्रकार की संस्था खोलें वरना हमारा स्वप्न अधूरा रह जायेगा। मान्यवर, यह बजट जो है सम्पूर्ण, इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट्रेट के ऊपर भी इसमें असंतोष व्यक्त किया गया है। डायरेक्ट्रेट का जो फर्ज है, वह सुपरविजन और गाइडेंस, जो प्रजेन्ट स्ट्रक्चर है, जो इस वक्त का ढांचा है डायरेक्ट्रेट का वह इस प्रकार का है कि वह पूरी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। उसकी दो वजह हैं, एक तो यह है कि उसका वर्कलोड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा उनको इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गयी, इसलिए वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री पंचानन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा का बजट प्रस्तुत करते समय कुछ ऐसी बातें कहीं हैं, जिनका शिक्षक होने के नाते मैं स्वागत करता हूं। एक लम्बे अरसे से प्रदेश के शिक्षा जगत में इस बात की मांग रही है कि शिक्षा के क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबन्धीकरण की व्यवस्था समाप्त कर इसको राष्ट्रीयकृत किया जाय। यह 94 के आसपास से यह मांग रही है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में व्यक्तिगत प्रबन्धीकरण की व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहेगी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में ऐसा शासन आया कि जिसने शिक्षा की प्रगतिशील दिशा को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि जब पिछला सत्र आया तो एक विधेयक सदन में लाये जिसमें व्यक्तिगत प्रबन्धीकरण के अधिकारों को घटाया गया और आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की कि माध्यमिक शिक्षा में सेवा आयोग बनाया जायेगा।

इसी तरह से उन्होंने उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने का भी निर्णय लिया है। मान्यवर, ये ऐसे कदम हैं कि जिसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। व्यक्तिगत प्रबन्धीकरण की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। सरकार द्वारा इसको स्वीकार भी किया गया है। उनका एक प्रतिनिधि उसमें निरीक्षण के लिये अलग रहेगा जिससे कि वहां के अध्यापकों का शोषण न हो सके, विद्यार्थियों से नाजायज वसूली न कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि जब शिक्षा के हित में जरूरी है कि व्यक्तिगत प्रबन्धीकरण की व्यवस्था को समाप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन—]

किया जाय, तो इसमें देर किस बात के लिये की जा रही है। हम इस बात का एक्सपरीमेंट कब तक करते रहेंगे। आजादी के बाद ३२ साल पार कर गये और जो शिक्षा दी गयी, उससे हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को चोट पहुंची। साम्प्रदायिक सद्भाव से पूरे प्रदेश में परिचित ही हैं। जनतांत्रिक मूल्य घट रहे हैं और अराजकता बढ़ रही है। यह कैसे पैदा हुयी ? शिक्षा से ही पैदा हुयी। मान्यवर, गरीब के लिये दो तरह की शिक्षा का इंतजाम है। अगर एक समान शिक्षा सभी को नहीं दे सके, तो समाजवादी समाज बनाने की कल्पना है, उसको पूरी नहीं कर सकते हैं। तो जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है, उस क्रान्तिकारी रास्ते पर चलने के लिये अपनी रफ्तार को तेज करना चाहिये उसके लिये नींव डालनी चाहिये।

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ प्राइमरी शिक्षा के बारे में माननीया शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कुछ ऐसे प्राइमरी स्कूल जिनको मान्यता नहीं दी गयी है और वह प्रदेश में चल रहे हैं, सरकार उनको मान्यता देने पर विचार कर रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में एक तरफ गरीब आदमी है, जो अपने बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। प्रदेश में निरक्षरता को मिटाने का हमारा नारा है। तो आप देखें कि एक तरफ तो महंगी फीस वाले स्कूल, अधिक फीस वाले स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। अब जिस आदमी के पास दो वक्त खाने को नहीं है, वह अपने बच्चों को कैसे इन स्कूलों में भेज सकेगा। इसका परिणाम क्या होगा ? जो प्रतिभा सम्पन्न होते हुये भी गरीब का बालक है, वह कुंठा का शिकार होगा और देश के विकास में उसका योगदान नहीं हो पायेगा।

इसलिये एक तरफ जो १५ रुपये फीस के स्कूल हैं, एक तरफ जो ५०० रुपये फीस के स्कूल हों और दूसरी तरफ बिना फीस के स्कूल हैं—इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिये और प्राइमरी शिक्षा के लिये यूनीफार्म पैटर्न होना चाहिये। हमारे संविधान में लिखा है कि १४ वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो हमें उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिये जिससे कि १४ वर्ष तक के बच्चे को जो निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य है, उसको पूरा कर सकें। लेकिन फीस बढ़ रही है। पहले ३ रुपये स्कूलों में थी और आज १५ रुपये हो गयी है। अगर, मान्यवर, इसमें प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, तो गांवों में भी १००—२०० रुपये के स्कूल होंगे। जो गांवों में रहते हैं उसके साथ विश्वासघात करेंगे तो इस देश के संविधान के साथ विश्वासघात करेंगे। इसलिये मेरा अनुरोध है बेसिक शिक्षा स्तर पर सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित करना है शिक्षा का अंधकार मिटाना है आप देखें एक तरफ तो प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं दूसरी तरफ गरीब प्रदेश का सारा पैसा प्रौढ़ शिक्षा पर समूल बर्बाद किया जाता हो यह सही बात नहीं है। दूसरी बात माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालय दो तरह के हैं। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर दो मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राय साहब ऐसा है समय मैंने सीमित नहीं किया माननीया शिक्षा मंत्री ने काफी लम्बी शिक्षा दिया इसलिये समय घट गया।

श्री पंचानन—

एक वह विद्यालय हैं जिनको सरकार सहायता नहीं देती हैं और दूसरे वे जिनके वेतन का उत्तरदायित्व सरकार ने ले रखा हैं। जिनको सरकार सहायता नहीं देती हैं वहां पर २५ रुपये से १०० रुपये पर अध्यापकों को काम करना पड़ता हैं। हमारे प्रदेश में डेलीवेजेज के लिए तय हुआ हैं कि ६ रुपया। मान्यवर, हर साल एक सूची निकाली जाती हैं किन्तु पिछली सरकार ने तीन साल में केवल एक सूची निकाली मुझे आशा थी कि हमारी सरकार शायद उस कमी को पूरा करेगी किन्तु मान्यवर, पिछले साल २६ स्कूलों को और इस साल ७० स्कूलों का प्राविधान हैं। एक तरफ तीन सौ स्कूलों को मान्यता देंगे और ७० स्कूलों को सहायता देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जोरदार मांग करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध को तत्काल समाप्त किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री सूबेदार सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य ने बहुत सारे आंकड़ों के द्वारा यह साबित करने की चेष्टा की कि वर्तमान बजट केवल एक दिखावा हैं और जो घोषित लक्ष्य हैं उसको करने के लिए बिलकुल असमर्थ हैं मेरा भी यही मत हैं। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में इसके सम्बन्ध में जो राष्ट्रीय नीति होती उसकी तस्वीर उसका स्वरूप इस बजट में स्पष्ट दिखाई देना चाहिये। लेकिन सब मामले को देखा जाय तो जैसा सभी माननीय सदस्यों का कहना हैं यह राज्य सरकार का अनउत्तरदायित्व का सबूत हैं और इसमें कोई चीज दिखाई नहीं दी। मैं इस सम्बन्ध में २—३ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ी-२ राजनीतिक घोषणायें की जाती हैं और कहा जाता हैं शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा लेकिन इसका सही माने में अनुपालन नहीं किया जाता हैं। करीब-२ सभी माननीय सदस्य माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं लेकिन सरकार राजनीतिक घोषणायें करती हैं लेकिन वस्तुस्थिति भिन्न हैं। मैं कहता हूं कि माननीय राज्य शिक्षा मंत्री ने एक घोषणा विधान परिषद् में की कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को सरकार सिद्धान्तः मानती हैं और इसी बजट में विधिवत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

घोषणा कर दी जायेगी लेकिन शिक्षा मंत्री ने भिन्न बात कह दी और छठी पंचवर्षीय योजना में इसको और साफ कर दिया है। इसके पेज ४७१ के पैरा २७ में

Provincilization of private higher secondary schools will be generally stopped.

इसमें प्रान्तीयकरण के सिद्धान्त को बिल्कुल बन्द कर दिया गया है।

इससे साफ जाहिर है कि सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती है। आज आप इसका निर्णय करें और उसके बाद इस प्रभाव को देखिये। आज हर छात्र, अभिभावक और अध्यापक सभी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। मेरी साफ मांग है कि शिक्षा का विस्तार का इसमें प्राविधान किया जाय और राज्य सरकार जो बड़े साहस के साथ घोषणायें करती है उसका अनुपालन किया जाय। अभी मेरे पूर्व वक्ता सत्ता पक्ष के कह रहे थे, दो तरह के स्कूल होते हैं एक तो जहां अनुदान मिलता है और एक जहां अनुदान नहीं मिलता है। ६ठी पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ है—

Provincialization of private higher secondary schools will be generally stopped. To ensure that the minimum essential standards of efficiency are maintained it will be necessary to bring all the recognised institutions under private management on the grant-in-aid list because.

मान्यवर ६ठी पंचवर्षीय योजना में भी है। आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि विद्यालय को मान्यता देते ही उसको अनुदान की सूची में भी ले जायें।

हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स की चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित होता है। तो जब निर्धारित करें तो सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी शिक्षा का, साक्षरता का प्रसार कैसे हो। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, हमारी ३१ प्वाइन्ट कुछ साक्षरता है। पापुलेशन किस गति से बढ़ रही है उससे यह घटा होगा। डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो प्राविधान किया गया है कि हम १४ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देंगे, इसके लिए चाहे जिस बजट से कटौती करनी पड़े, ६ठी योजना में जो लक्ष्य है, अर्थात हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। प्राइमरी स्कूल खोलने की बात थी, वह ७०९३१ थी और यहां पर ७१ हजार हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल २ सौ कुछ खोलने की बात कही गयी।

उत्तर प्रदेश में ९० स्थानीय निकाय ऐसे हैं जहां प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य घोषित नहीं की गई इनमें से ४ ऐसे हैं जहां डिग्री कालेज चल रहे हैं। उन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। उनको निर्देशित किया जाये कि सब से पहले अनिवार्य शिक्षा घोषित करें। कुछ पब्लिक स्कूल भी हैं जिनका नाम तो पब्लिक स्कूल जरूर है लेकिन उनमें पब्लिक नहीं जा सकती। उनका स्टैण्डर्ड इतना ऊंचा है, फीस इतनी अधिक है कि वहां पब्लिक के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सभी शिक्षा एक तरह की होनी चाहिए। और जो स्कूलों में वेतन मिलता है आपके यहां, वह बहुत ही कारुणिक है। अतः मैं चाहता हूं कि आप बराबरी कीजिये और जो प्राइमरी

स्कूल हैं उनके स्तर को ऊंचा उठायें लेकिन जो दो तरह की शिक्षा है इसको पूरी तरह से बन्द किया जाये। यह भी घोषणा की गई है।

जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा प्रणाली बदल दी गयी है। मुझे एक जानकारी मिली है कि जो आपने व्यवस्था की है कि जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स थीं, उनका परीक्षा शुल्क तो आपने जमा करा दिया, कहीं डाकखानों में जमा है कहीं बैंक में जमा है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई घोषणा नहीं की है कि उन शिक्षकों का क्या होगा। मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि आपने उन परीक्षाओं को कराने के लिये, जो परीक्षायें हो रही थीं, कागज का कोटा भी दे दिया।

मान्यवर, तो मेरा कहना यह है कि इस अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त करने के लिये कोशिश की जाय। इसके साथ-साथ सेकेण्डरी स्कूल के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसे नियम बनाये हैं जिससे वहां पर जो अध्यापक काम करते हैं, उन विद्यालयों में जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है तो सरकार को उनकी दयनीय स्थिति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उनको फिर निकाल दिया है और स्थिति जहां की तहां है। प्रधानाचार्य अपने घरों पर काम कराते हैं। यह मेरी आपसे साफ मांग है कि जिस तरह से आपने जो प्राविधान किये हैं अध्यापकों के लिये, जो प्राविधान किये हैं बाबुओं के लिये, वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये भी होने चाहिये। यदि उनको सेवा से निकाला जाय तो उसके लिये जिला विद्यालय निरीक्षक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही उन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट और संस्थागत परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो घोषणा कर दी गयी है कि हिन्दी के ३ के बजाय २ पर्चे हो जायेंगे, तो यह निर्णय बोर्ड ने नहीं किया, इसी सरकार के निर्देशानुसार इसकी व्यवस्था कर दी गयी है। इसी तरह की व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर जहां पर ३ वर्षीय डिग्री कोर्स लागू होने जा रहा है, वहां पर भी आपने विषय को कम कर दिया है।

मैं जानना चाहता हूं कि भाषा में ३ के बजाय २ पर्चे करने का क्या कारण है। संस्कृत की अनिवार्यता को क्यों कम कर दिया गया है। मेरी मान्यता है कि हिन्दुस्तान में जब तक विद्यार्थी को संस्कृत का प्रारम्भिक ज्ञान नहीं होता, वह सच्चे हिन्दुस्तान की तस्वीर को नहीं समझ सकेंगे। पूर्व में व्यवस्था की गयी थी कि हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत रहेगी। मान्यवर, सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिये। भाषा की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा, संस्कृत का एक विशेष महत्व है। यहां की मूल भावना

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

को समझने के लिये उसका पढ़ना-पढ़ाना अनिवार्य है। इसलिये मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में सरकार पुनर्विचार करे। ३ वर्षीय डिग्री कोर्स की बात कही। बात अच्छी है। कोठारी आयोग की संस्तुतियों को हमारे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिये। यह भी समझने की बात है कि यह बात कितनी न्यायसंगत होगी कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह लागू हो और कुछ में न लागू हो। यह भेद न्यायसंगत, तर्कपूर्ण और सत्य पर आधारित नहीं होगा।

अगर यह शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है तो सम्पूर्ण प्रदेश में एक साथ लागू करनी होगी। इसके साथ-साथ मैं अपने जिले की कुछ समस्याओं की ओर भी मा० मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ विषयों की आवश्यकता अपनी-अपनी जगह पर, उस स्थान की आवश्यकता को देखते हुए, महत्वपूर्ण बन जाती है। जैसे मान्यवर, सीतापुर जिले में वाणिज्य में डिग्री देने का कोई विद्यालय नहीं है। आप जानते हैं कि आज छात्रों में कामर्स पढ़ने की रुचि हो रही है। लखनऊ, लखीमपुर और महमूदाबाद मंत्री जी के शहर में लड़के पढ़ने जाते हैं। कई बार यह मांग होती रही कि वहां पर बी० काम० की कक्षायें खोली जायं। मैंने स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा कि इसकी आवश्यकता है। मेरे पास आंकड़े हैं १५०—२०० लड़के लखीमपुर में पढ़ने जाते हैं, १२—१४ लड़के मंत्री जी के नगर में पढ़ने जाते हैं और लखनऊ में भी छात्र पढ़ने आते हैं। वहां पर जो डिग्री कालेज हैं उनके पास साधन नहीं हैं, जनता सरकार जब थी तो उसने अनुमति दी थी लेकिन कालेजों के पास वित्तीय साधनों की कमी है इसलिये वहां पर नहीं खुल सका।

सरकार को एक नीति बनानी चाहिये कि जहां पर जिस विषय की विशेष आवश्यकता है और वहां पर लोकल साधन नहीं हैं तो सरकार को राजकीय डिग्री कालेज खोलना चाहिये जैसे हरदोई में साइंस के लिये व्यवस्था की गयी है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सीतापुर में कामर्स पढ़ाने की व्यवस्था करें। मैं दूसरी बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी को इसकी जानकारी है। सीतापुर में आर० एम० पी० डिग्री कालेज है वहां पर सामूहिक नकल हुयी और शासन को इसकी शिकायत की गयी। उसकी जांच हुयी थी वह कालेज कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। अनेक कालेजों का परीक्षाफल रोक दिया गया था लेकिन सब जगहों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है परन्तु सीतापुर का परीक्षाफल अभी घोषित नहीं किया गया है।

लड़कों के भविष्य का सवाल है, लड़कों ने धरना भी दिया था और हमारे जिले के गौरव जो मंत्री जी हैं उनके यहां भी गये थे। लेकिन उनका परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया। जो जांच करने गये थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो केन्द्र के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं उन्होंने जानबूझकर नकल करायी मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहां के प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायतें हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि गलती अध्यापक ने

की है लेकिन दंडित विद्यार्थियों को किया जा रहा है। विद्यार्थियों का वर्ष बेकार हो रहा है। कानपुर विश्वविद्यालय ने फैसला कर लिया है कि सीतापुर में लड़कों के डिग्री कालेज का प्राइवेट केन्द्र समाप्त कर दिया जाय। लखीमपुर में जाकर लड़कों को प्राइवेट फार्म भरना पड़ता है उनसे वहां बिल्डिंग फीस ली जाती है।

आप निर्देश दें कि किसी भी तरह जो प्राइवेट फार्म छात्र भरने जा रहे हैं उनसे बिल्डिंग फीस नहीं ली जायगी। आप उनके जो रिकार्डस हैं उनको चेक करें अगर किसी लड़के से, यह पैसा लिया गया है तो वह वापस होना चाहिये। आप वहां की परीक्षा-फल घोषित करायें जो फेल होने वाले हैं वह फेल हों लेकिन जो पास होने वाले हैं उनका साल खराब न हो सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

उपाध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने सीतापुर के सम्बन्ध में जिस घटना की ओर इशारा किया, जो कुछ उन्होंने कहा, यह बात सत्य है इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। लेकिन वह स्वयं जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है वह आटोनामस बाडी है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। अगर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है तो शायद वह स्वयं एतराज करें कि उसमें दखलंदाजी क्यों की गयी। इसलिये इस मामले में विश्वविद्यालय स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, ३ परचों में से २ पर्चों में सरकार ने नियमों का लाभ उठाकर ऐसा कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कानपुर विश्वविद्यालय ने अनियमितता की तो क्या नियमानुकूल आपके पास अधिकार नहीं है। आप उनसे बात कर सकते थे, आप दबाव डाल सकते थे। क्या आपने कानपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से इस सम्बन्ध में कोई वार्ता की ? क्या जांच रिपोर्ट मंगाकर उसकी समीक्षा की गयी अगर नहीं की गयी तो स्वायत्तता के नाम पर शोषण होते रहने देना कहां तक उचित है ?

मान्यवर, मैं समझता हूं इसका कोई भी माननीय सदस्य समर्थन नहीं करेगा। एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं। कुछ घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनमें भ्रष्टाचार और लोभ लालच से काम करने की प्रवृत्ति है और उनकी इस प्रवृत्ति का अध्यापक और अध्यापकाएं शिकार हो रही हैं मैंने एक पत्र द्वारा माननीया शिक्षा मंत्री को लिख कर भी दिया था कि कु० करुणा नामक अध्यापिका की नियुक्ति हुई। उसको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। सलेक्शन कमेटी ने भी एप्रूव कर दिया लेकिन आर० आई० जी० एस० ने उसको ज्वाइन नहीं करने दिया। आर० आई० जी० एस० ने जो लिखकर दिया उसमें लिखा है कि आप पहले किसी एक विद्यालय में काम कर रही थीं जिसकी सहमति नहीं ली। मैंने उनसे कहा कि वह बच्चों का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। उनकी अनुमति लेने न लेने से इसका सम्बन्ध नहीं है। लेकिन वह कसी और में इंटरेस्टेड थी इस लिए वह उनको ज्वाइन नहीं करा रही हैं सेलेक्शन कमेटी की इजाजत के बाद भी ज्वाइन नहीं करा रही हैं।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

ऐसे अधिकारी चाहे वह जिस उच्च पद पर हों उनको सजा मिलनी चाहिए कि लोभ और लालच के कारण किसी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करें। मैंने एक पत्र लिखा था लेकिन एक वर्ष हो रहा है मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे—

सम्मानित उपाध्यक्ष जी आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मैं शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मैंने सम्मानित सदस्यों की बात सुनी तो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की बात कही गयी लेकिन मैं इस सदन में बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगी कि यदि हम भारत के इतिहास को उठाकर देखें तो कांग्रेस के नेता स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में जब शिक्षा का बजट पेश हुआ था उसमें इस समाज और हिन्दुस्तान को बनाने के लिए जहां मौलिक अधिकारों पर ध्यान दिया गया वहीं नीति निर्देशक तत्वों पर भी ध्यान रखा गया। कहा गया कि १२ वर्ष की आयु तक के बालकों की शिक्षा अनिवार्य है। लेकिन दुख इस बात का है कि चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों जब भी कोई बजट पेश होता है उसमें गरीब और अनुसूचित जाति के गुण गान पाये जाते हैं। लेकिन हमें गहराई से चिन्तन करना पड़ेगा कि हम सामाजिक और आर्थिक आकार पर न बंट जायें। शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को अन्धकार से दूर करती है।

शिक्षा जीविकोपार्जन का भी एक साधन है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा में भी राजनीति का श्रीगणेश कर दिया गया है। हमको प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। जहां हम गरीब और अनुसूचित जाति के लिए कहते हैं, क्या सच नहीं है कि प्राइवेट नर्सरी संस्थायें खोली गयीं। जहां तक नर्सरी शिक्षा का सवाल है वह केवल नगर और शहरों तक ही सीमित है, वह देहातों में बिलकुल नगण्य है। इसलिये हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हमारी ८० प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो यह छठी पंचवर्षीय योजना बन रही है, उन्होंने कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर गांवों के विकास के लिये उन्होंने विशेष जोर दिया है। अगर वास्तव में हमको गांवों का विकास करना है तो हमें गांवों में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं इसके सम्बन्ध में मैं अपना एक संशोधन रखना चाहती हूं। हमारे एक्ट के अन्दर यह है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स एक जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसका परिणाम यह है कि जो अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाता है वह केवल अपने बिजनेस की ओर ही ध्यान देता है, वह बच्चों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देता। श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश को आगे बढ़ाना चाहती हैं लेकिन जो लोग उनकी गरिमा को गिराने के लिये विद्यालय की कुर्सी पर अध्यापक के

नाम को कलंक लगाते हुए केवल अपने काम की ओर ही ध्यान देते हैं। आज शिक्षा का बहुत महत्व है और विशेषकर में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहती हूं।

आज होता यह है कि जहां महिलाओं की पोस्टें होती हैं वहां यह लोग पुरुषों की नियुक्ति कर देते हैं और महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। नारी योग्यता में पुरुष से पीछे नहीं है, इसका सबूत हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं। इसलिये यह जरूरी है कि जो पोस्टें महिलाओं के लिये हैं वहां महिलाओं का कोटा महिलाओं से ही पूरा किया जाय। उन पदों पर पुरुषों की नियुक्ति न की जाय।

इसके साथ ही मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आज उच्च शिक्षा के अन्दर यूनियन तो हमारे विद्यार्थी भाइयों की है, मैं यूनियन का विरोध नहीं करती। हमारे विद्यार्थियों का हक है, वह अपने हक के लिये मांग करें लेकिन वहां आज राजनीति को प्रवेश दिया जा रहा है। इससे हमें यह खतरा है कि आज जो मातायें अपने बच्चों को दूध पिलाकर और बड़ा करके अच्छा पाठ पढ़ाकर उच्च शिक्षा के लिये भेजती हैं लेकिन विद्यालयों में जाति-पांति के आधार पर और धर्म के आधार पर उनमें राजनीतिक विष पैदा किया जा रहा है। इस ओर हमें गहराई से ध्यान देना पड़ेगा।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जैसा कि हमारे शासन की नीति है कि वहां पर डिग्री कालेज खोले जायें जो पिछड़े हुए जिले हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र के लिये आपके पास फाइल भेज दी गई है और बिहारी लाल डिग्री कालेज के नाम से उसे खोला जाय यह चेष्टा की जा रही है पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिये। ५ एकड़ जमीन है, धन भी उनके पास है। लिहाजा उस पर विशेष ध्यान दिया जाय। मैं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये एक बात कहना चाहती हूं कि जितनी प्राइवेट संस्थायें हैं उनमें जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनको ऊपर उठाने के लिये सरकार जो छात्रवृत्ति देती है उनमें प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य जो हैं उन बच्चों को उस स्कालरशिप से वंचित कर देते हैं और वह उनको नहीं दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जायगा ताकि इंदिरा गांधी जो इस देश के गरीबों को ऊंचा उठाना चाहती हैं उनका वह स्वप्न साकार हो सके।

*श्री राम गोविन्द—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। शिक्षा मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोविन्द]—

ने ५५ मिनट के भाषण में शिक्षा को कितना आगे बढ़ाने का कार्य किया है उसका ब्यौरा सदन के सामने बतलाया गया। सन ७४ में जब सम्पूर्ण क्रान्ति का आन्दोलन हुआ था उस समय शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने का नारा दिया गया था लेकिन खेद की बात है कि हर पार्टी के नेता ने, हर सरकार ने इस बात को दोहराया कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये लेकिन आज तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं हुआ। न जाने इसके क्या कारण हैं हमारी समझ में नहीं आये। यह भी सही है कि जब तक परिपूर्ण रूप से इस देश में शिक्षा सभी लोगों को नहीं दी जायगी तब तक देश विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता और प्रारम्भ से देश शिक्षा के नाम पर दो खंड में बटा हुआ है।

१९७७ में हमने जो बात कही थी आज भी हम उसे दोहरा रहे हैं कि देहात का रहने वाला, देहात का बच्चा नंगे पांव, भूखे पेट, बिना छत, बिना बिल्डिंग के पेड़ की छाया में पढ़ने के लिये जाता है और दूसरी ओर शहर में रहने वाले लोगों के बच्चे, बड़े लोगों के बच्चे शुरू से टाई लगा कर, पेंट पहन कर स्कूटर तथा गाड़ी पर चढ़कर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। दूसरी ओर देहात में प्राइमरी पाठशालाओं में जाने वाले बच्चों को खाना नसीब नहीं है और पांव में जूतों तक का ठिकाना नहीं रहता और उनको अपने घर से बोरा या चौकी ले करके या पट्टी ले करके स्कूल पढ़ने के लिये जाते हैं। इसका नतीजा यह है कि जो लड़का टाई और सूट पहन करके और गाड़ी में स्कूल जाता है, वह बड़ा होकर के शिक्षा ग्रहण करने के बाद अधिकारी हो करके गाड़ी में चलने का काम करता है और जो लड़का बोरे की पट्टी ले करके स्कूल में शिक्षा लेने जाता है वह बड़ा होकर के समाज में जीवन भर गोदी में बोरे ढोने का काम करता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो या न हो लेकिन कम से कम इस देश में प्राइमरी स्कूल से ही पूरे देश में एक पैमाने पर शिक्षा देने का प्रबन्ध का काम कीजिये। मैं आपको बताऊं, अभी एक समारोह हुआ था क्यूबा में और वहां जाने का संयोग हम लोगों को भी मिला था। वहां पर हमने देखा कि लड़कों की इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा निःशुल्क है, ऐसी व्यवस्था वहां पर थी, उन लड़कों के रहने तथा खाना की निःशुल्क व्यवस्था थी। लड़कों को पूर्ण शिक्षा देने के बाद उनके ऊपर रखा जाता है कि वे इसके आगे और कौन सी शिक्षा लेना चाहते हैं और उसी के अनुसार उन्हें आगे शिक्षित करने का काम किया जाता है। आज पूरे हिन्दुस्तान के छात्रों का जीवन अंधकार में है। आज नकल के द्वारा छात्र परीक्षायें पास करते हैं क्योंकि छात्रों के आगे समस्या है कि आखिर हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी शिक्षा को लेने के बाद क्या काम करेंगे, कौन सी उनको रोजी मिलेगी, उनको कौन सी नौकरी मिलेगी, उनको कौन सा काम मिल सकेगा जिससे कि आगे उनका जीवन चल सके। इससे पहले जनता सरकार ने कहा था कि ग्रेजुएट लड़कों को छोटे-छोटे लघु उद्योग लगाने के लिये सरकार उनको सहायता देगी।

श्रीमन, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यार्थियों में अधिकांश विद्यार्थी के नाम से न तो कोई पूंजी होती है और न तो जमीन होती है उनके नाम से न तो मकान होता है और न ही खेत इत्यादि। सारी प्रापर्टी उनके गार्जियन के नाम से ही सब होती है। तो जब वह सरकार से सहायता लेने जाता है, जब लोन लेने जाता है तो उनके नाम से स्थायी पूंजी की श्योरिटी मांगी जाती है। तो इस प्रकार से लड़कों को न तो ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी मिलती है और न उद्योग शुरू करने के लिये लोन ही।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हिन्दुस्तान में छात्रों की कमाई उनकी डिग्रियां हैं। हिन्दुस्तान में हो या न हों परन्तु पूरे उत्तर प्रदेश के लिये मैं माननीया शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे इस बात की घोषणा करें कि लघु उद्योग व कृषि उद्योग लगाने के लिये छात्रों की डिग्रियों के ऊपर ही लोन देने की व्यवस्था की जायेगी।

मान्यवर, दो मिनट और समय लूंगा आपसे। शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षायें देने में बहुत बाधायें खड़ी हो रही हैं। लखनऊ यूनीवर्सिटी में १९७७ से डी० पी० ए० की कक्षायें चल रही हैं और आज तक उनकी परीक्षा नहीं हो पायी। छात्रों ने बराबर इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया, मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया परन्तु वे न जाने कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आज तक उनकी परीक्षायें नहीं हुई। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे डी० पी० ए० प्रथम वर्ष के छात्रों की तत्काल परीक्षायें कराने की व्यवस्था करें।

इसी तरह से माध्यमिक स्कूलों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया है, अब समय बहुत कम है, दूसरे लोगों को भी बोलने का मौका दें।

*श्री प्रभु नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं कि शिक्षा विभाग में लगे हुए लोगों को आपने बोलने का अवसर दिया। श्रीमन, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो मानव का निर्माण करता है लेकिन मान्यवर, एक विद्यार्थी की तुलना न तो अस्पताल से की जा सकती है, न मिल और फैक्ट्री से की जा सकती है। शिक्षक की तुलना न तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]—

डाक्टर से की जा सकती है और न इंजीनियर से की जा सकती है। शिक्षक को एक ऐसा मस्तिष्क मिलता है जो पहले अपना ज्ञानोपार्जन करता है उसी तरह की शिक्षा, उसी तरह का ज्ञान वह अपने विद्यार्थियों को देता है, संसार में खड़े होने का विश्वास वह मानव को देता है। जैसा कि हमारे बहुत से माननीय साथियों ने अभी कहा कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा या सरकारी करण करने की या राष्ट्रीयकरण करने की अनिवार्यता है। सरकारीकरण शिक्षा का कर दिया जाय या शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, यह कतई ठीक नहीं है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है श्रीमन।

[३ बजे अपरान्ह]

नेशनल पैटर्न आफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बन पाई। विभिन्न प्रकार की शिक्षा यहां दी जाती है लेकिन श्रीमन यह कहना कि कोई कार्य नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में यह सत्य को डकारना है। यह जरा सा देख लें कुछ आंकड़े हैं। कक्षा १ से ५ में अध्ययन कर रहे छात्र/छात्राओं की कुल संख्या ९४ लाख ४७ हजार है जिनमें से ३० लाख ४२ हजार २२७ बालिकायें हैं। वर्ष १९८०-८१ में २५० जूनियर बेसिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें १२० मैदानी क्षेत्रों में तथा १३० पर्वतीय क्षेत्र में खोले गए तथा ३२ जूनियर बेसिक स्कूल नगर क्षेत्र में खोले गए जिनमें २६ मैदानी तथा ६ पर्वतीय क्षेत्र में खोले गए। प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार हेतु ८१६६ विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया। पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान स्वीकार किये गए। मैदानी क्षेत्रों के २०५० जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री आदि हेतु अनुदान स्वीकार किये गए। ४० हजार निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशक वितरण हेतु अनुदान दिये गए। ६ से ११ वर्ष की आयु वाले बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था हेतु ५६०० अंशकालिक केन्द्र प्रारम्भ किये गए।

इस समय प्रदेश में १० हजार ५८ बालक तथा ३ हजार ३४९ बालिकाओं के कुल १३ हजार ४०३ सीनियर बेसिक स्कूल चल रहे हैं जिनमें ११ हजार ४५४ विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। इन विद्यालयों में १४ लाख १९ हजार ९२३ छात्र-छात्रायें अध्ययन कर रही हैं। इस स्तर पर कार्यरत अध्यापक और अध्यापिकाओं की संख्या ६८ हजार १७४ है। वर्ष ८०-८१ में मैदानी क्षेत्र में ९८ तथा पर्वतीय क्षेत्र में ४६ सीनियर बेसिक स्कूल खोले गए। श्रीमन यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि ३३ साल में कुछ हुआ ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में। इस समय प्रदेश में ४,४०४ बालक तथा ८०६ बालिकाओं के कुल ५,२१० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं जिनमें से ३,३८२ विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।

इन विद्यालयों में २६ लाख २७ हजार १८५ बालक तथा ७ लाख ३६ हजार ९१७ बालिकायें अध्ययन कर रही हैं। इनके अध्यापन हेतु ९२ हजार २९३ शिक्षक तथा २० हजार ५७ अध्यापिकायें कार्यरत हैं। प्रदेश में १९ विश्वविद्यालय चल रहे हैं। कुल ३४६ अशासकीय एवं ३८ राजकीय महाविद्यालय हैं। यह तो रही शिक्षा की प्रगति की

बात और श्रीमन, जो तथ्य सत्य हैं उनको कोई भी साथी, चाहे इधर के हों या उधर के इनकार नहीं कर सकता। श्रीमन् शिक्षा में यह प्रगति हुई है लेकिन जैसी गति वांछित थी और जैसा मा० मंत्री जी ने कहा कि हर घर में शिक्षा पहुंचानी है, घर-घर में रोशनी पहुंचानी है तो उसके लिए कुछ करना होगा। आजकल जो स्कूल खोले जा रहे हैं पब्लिक के लोगों द्वारा उनको तो यह कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल हैं और जो प्राइवेट लोगों द्वारा खोले जा रहे हैं उनको यह पब्लिक स्कूल कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कबीरदास की भाषा में बोलते हैं, चलती को गाड़ी कहते हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

कभी कहा जाता है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे और उससे भी आगे कहा गया कि क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जायेगा यह केवल भाषणों के द्वारा कहा जाता है लेकिन निश्चय ही इसको प्रभावी बनाना होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ। अब आसन ग्रहण करिए।

[श्री हरिवंश सहाय—]

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शिक्षा बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आज देश के अन्दर चारों तरफ अराजकता और अव्यवस्था है। उसके मूल में शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली है। राष्ट्रपति से लेकर सामान्य नागरिक तक कहते हैं कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि चाहे सत्तारूढ़ दल हो, इस तरफ के लोग हैं उस तरफ के लोग हैं, आमूल चूल परिवर्तन क्यों नहीं करता। मैं ऐसा समझता हूं कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह सम्पन्न लोगों के लिए है आम गरीब के लिए यह नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रथम वर्ष जितने लड़के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं लेकिन जब दूसरा वर्ष आता है तो उस प्राइमरी स्कूल में ५० प्रतिशत लड़के रह जाते हैं, बाकी लड़के पढ़ना छोड़ देते हैं। पांचवीं कक्षा तक केवल पच्चीस प्रतिशत लड़के रह जाते हैं। डिग्री स्तर तक एक प्रतिशत लड़के रह जाते हैं। सौ में से एक लड़का डिग्री स्तर पर पहुंचता है। ज्यादातर वही लड़के डिग्री स्तर तक पहुंचते हैं जो सम्पन्न घर के हैं, वे ही विश्वविद्यालय तक पढ़ने जाते हैं। इसका एक और कारण है। देश के अन्दर विश्वविद्यालयों के लिए

[श्री हरवंश सहाय—]

आयोग बना, कोठारी आयोग बना लेकिन प्राइमरी शिक्षा के लिए कोई आयोग नहीं बना।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि प्राइमरी शिक्षा के लिए भी आयोग गठित किया जाय। वह इसका अध्ययन करे और इसको ऊंचा उठाये। उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में जैसे कनाडा में उस देश का ६० प्रतिशत बजट प्राइमरी शिक्षा में खर्च होता है, अमेरिका में ७० प्रतिशत बजट इस शिक्षा में खर्च होता है, लंका में ६० प्रतिशत खर्च होता है लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर प्राइमरी शिक्षा पर केवल २३ प्रतिशत बजट का खर्च होता है। मैं चाहूंगा कि इस प्राथमिक शिक्षा का जो बजट है इसे बढ़ाया जाय। देश के बच्चों के लिए दो तरह की शिक्षा पद्धति है। सेठ, साहूकारों, बड़े अधिकारियों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं जब कि आम लोगों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी छत आकाश है, जहां अध्यापक नहीं जाता है, जहां पर उनके बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है और न समय से पढ़ाने वहां अध्यापक जाता है। जो इन्सपेक्टर हैं वे लोग भी ठीक से वहां की जांच पड़ताल नहीं करते हैं जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा का पठन-पाठन या उसका स्तर ठीक नहीं हो पाता है। मैं चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी योजना होनी चाहिए। जो पब्लिक स्कूल हैं, दोहरी शिक्षा की प्रणाली है, वह देश द्रोही नहीं समाजविरोधी तो अवश्य है। शिक्षा समान, होना चाहिए। हर बच्चे को एक ही तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर परीक्षाओं में नकल की बड़ी चर्चा चारों तरफ है। बिना नकल के कोई लड़का परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक ही उपाय है कि सेन्टर में इग्जामिनेशन ठीक से कराये जायं और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय। एग्जामिनेशन को मूल्यांकन सिस्टम में बदल दिया जाय। यह सही है कि जब मूल्यांकन का सिस्टम आरम्भ किया जायगा तो शुरू में काफी दिक्कतें आयेंगी, अभिभावक लोग परेशान होंगे, राजनीतिज्ञ परेशान होंगे लेकिन आगे चल कर सभी दिक्कतें समाप्त हो जायेंगी जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। अध्यापक बाहर चले जायेंगे और बाहर के अध्यापक आयेंगे। ठीक से पढ़ाई होगी। जो अध्यापकों और छात्रों में असंतोष है, दोनों में जो टकराव हो रहा है, यह टकराव आगे चल कर समाप्त होगा। और इसके समाप्त होने के साथ ही शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्राविधिक शिक्षा परिषद् में प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। इसका एक पैमफ्लेट बंट रहा है, अखबारों में भी छपा है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, कैसी परीक्षा होगी, प्रश्न पत्र किस प्रकार के होंगे, उनका माडल कैसे होगा। जो इन माडल पेपर्स को २५ फरवरी तक खरीदेगा उनके लिए २५ रुपया मूल्य होगा और जो इसके बाद खरीदेगा उनके अधिक दाम देने पड़ेंगे। (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष जी, दो मिनट और दे दीजिए मुझे आपसे कहना है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय और इस

तरह का क्यों प्रचार किया जा रहा है इंट्रेंस एक्जामिनेशन कैसे आउट हो गया कि इस तरह के परचे आयेंगे। मान्यवर, जहां एक ओर प्रदेश के अन्दर कई विश्वविद्यालयों में आन्दोलन हो रहे हैं वहां बनारस में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसमें पिछले ३ सालों में कोई आन्दोलन नहीं हुआ है। परीक्षायें भी नियत समय पर हो गई हैं। वहां के जो वाइस चांसलर हैं वह भी सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं हैं इसलिए उनको हटाने की साजिश की जा रही है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और ऐसे साजिश करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अगर उनका काम अन्य वाइस चांसलर की तुलना में अच्छा हो तो उनको रोकना चाहिए।

शिक्षा राज्यमंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज जो शिक्षा मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें न तो यह दावा किया गया है कि हमारी शिक्षा जगत में आमूल चूल परिवर्तन करने का इरादा है और न कोई क्रान्तकारी बात कही गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारे शिक्षा विभाग की नीति जो है वह क्रान्तिदर्शी नीति है जिसकी बहुत लम्बे अर्से से जनसमाज द्वारा मांग हो रही थी। यदि मान्यवर, आप माननीय शिक्षा मंत्री जी के पूरे वक्तव्य को देखेंगे तो पायेंगे कि जहां प्राइमरी शिक्षा के साथ-साथ गांवों के लड़के और लड़कियों को शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है वहां उसमें औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है।

जहां तक बेसिक शिक्षा के भवनों की बात है हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि आज प्रदेश में इस समय १५,४१८ प्राइमरी स्कूल इस प्रकार के हैं जिनके भवन नहीं हैं, ३,८४८ जूनियर विद्यालय हैं, जिनके भवन नहीं हैं और यही सोचकर शिक्षा विभाग ने एक नई स्कीम चलाई है कि वह माननीय सदस्यों से और जन समाज से अनुरोध करें कि वे इसमें योगदान और सहयोग करें कि अगर कोई समाज सेवी व्यक्ति गांव के किसी विद्यालय का एक कमरा बना देगा तो उस पर उसके नाम का पत्थर लगा दिया जायेगा और अगर कोई समाज सेवी पूरे भवन का निर्माण करा देगा तो उस विद्यालय को उसके नाम से करा दिया जायेगा। मान्यवर आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश के ९८ लोगों ने इस तरह का प्रस्ताव हमारे सामने रखा है।

मान्यवर, एक और शिकायत अनवरत रूप से चली आ रही है कि विद्यालयों में टाट पट्टियों का अभाव है। यह सही है कि हमारी प्राइमरी स्कूलों में टाट पट्टियों में इस तरह का प्रबन्ध नहीं है लेकिन उसका कारण पिछले तीन सालों से जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है ग्रांट का पैसा लैप्स हो जाना रहा है। १९८०-८१ और १९८१-८२ के वर्षों में इस तरह का प्रयत्न किया गया है कि टाट पट्टियों की व्यवस्था ठीक से हो। इस सम्बन्ध में पहले ही निर्देश और आदेश एस० डी० आई०ज० और जिला विद्यालय निरीक्षकों को दे दिये गये हैं कि वे स्पाट चैकिंग करें और ग्राम

[श्री सच्चिदानन्द—]

प्रधानों से इस बात की पुष्टि करायें कि वहां पर टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं, अध्यापक उपलब्ध है या नहीं । इसके अलावा बच्चों के पुस्तकीय बोझ को भी कम करने का प्रयास हमने किया है । हमने संकल्प लिया है कि ३ से ५ तक के विद्यार्थियों का पुस्तकीय बोझ कम किया जाय और उसके साथ ही साथ जो भाषा है उसके लिये भी कक्षा ४ और ५ के विद्यार्थियों के लिये इतिहास और भूगोल में उसको इस तरह की भाषा दी जाय जो कि ग्राह्य हो । यही नहीं, हाई स्कूल की पुस्तकों में भी जहां असंगतियां और विसंगतियां हैं, उसका भी निराकरण किया गया है ।

इस सम्बन्ध में हम चेष्टा कर रहे हैं । हमारा फैसला है कि १९८२ की जुलाई परीक्षा में जो पुस्तकें सामने आयें सब स्वीकार करें । हम यह समझते हैं कि शिक्षा केवल शासन नीतियों और आदेशों से नहीं सुधर सकती बल्कि उसमें जनसहयोग और विरोध पक्ष की सहायता और सहयोग आवश्यक है । यही कारण है कि राष्ट्रीयकरण के संबंध में कुछ भ्रम हमारे राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को हो गया । विधान परिषद् में मैंने कहा था शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के संबंध में नीति की घोषणा इसी सत्र में कर दी जायेगी । मान्यवर, आज शिक्षा मंत्री जी ने इस नीति की घोषणा भी की है । १९७४ में एक कमेटी बनी थी शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के संबंध में और उस कमेटी ने कहा था, उस समय दो हजार विद्यालय थे, और यह राय दी थी कि इसमें लगभग १२७.७५ करोड़ रुपया खर्च आयेगा । आज इस समय ४,५०० विद्यालय हैं अगर शिक्षा का राष्ट्रीकरण किया गया तो लगभग ३ अरब रु० के आसपास खर्च आयेगा । इस प्रकार पूरा बजट शासन का इसी में खर्च होगा । इसलिए हमने फैसला लिया है कि जो अध्यापकों के संघ हैं उनके नेताओं से राय ली गयी और सब की मौखिक सहमति थी शिक्षा आयोग की स्थापना की घोषणा शिक्षा मंत्री जी ने की है ।

इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा के प्रबन्ध के विकेन्द्रीयकरण का भी हमने फैसला किया है । हम यह समझते हैं कि बेसिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण से लाभ होगा । इसमें हम चाहें वह गांव प्रधान हो या हमारे माननीय सदस्य सबके सहयोग के हम आकांक्षी हैं जिससे क्रांतिदर्शी परिवर्तन जो हमने किया है उसे हम पूरा कर सकें और उसका लाभ शिक्षा में मिल सके ।

एक बात हमारे माननीय सदस्यों ने व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में कही । यही कारण है कि हम ४ जिलों में इस बात का सर्वेक्षण करा रहे हैं कि किस प्रकार व्यवसायीकृत शिक्षा हम दें । हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थी बी० ए० और एम० ए० पढ़ने के बाद बेकार रहें । शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर हमारा कदम बढ़ रहा है । हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे विधायक हैं चाहे वह पक्ष के हैं या विपक्ष के उसकी भावनाओं को पूरा करने के लिए हम सचेष्ट हैं । अभी हमारे माननीय विधायक श्री सूबेदार सिंह जी ने एक बात कही कि हम मैकाले की शिक्षा दे रहे हैं । हम उनसे सहमत हैं लेकिन मान्यवर, इस बजट को आप देखें तो हमने मैकाले की शिक्षा से हट कर एक नया क्रांतिदर्शी फैसला किया है जिसकी आप निश्चितरूप से सराहना करेंगे । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री सूबेदार सिंह—

गरीबी और बेकारी दूर करने के लिये आपने क्या कदम उठाया है ?

श्री सच्चिदानन्द—

अभी हमारे विरोध पक्ष के दो सदस्यों ने इस बजट की सराहना की, उन्होंने मुझसे कहा श्री मोहन सिंह जी और श्री हुकुम सिंह जी ने, उससे हमें प्रेरणा मिली है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिये उससे हमें प्रेरणा मिलती है . . .

एक सदस्य—

उन्होंने यहां पर तो नहीं कहा ।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

मुझसे कहा है ।

श्री जशवंत सिंह विष्ट—

हमारे यहां जो कोड है उसके बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री सच्चिदानन्द—

पहाड़ी क्षेत्र का कैडर हमने अलग कर दिया है । इस साल जुलाई से हम वह चालू करने जा रहे हैं, उसकी घोषणा करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, स्कूलों की मरम्मत के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया है। पहली बार १ करोड़ रुपये का प्राविधान इस कार्य के लिए किया गया है। प्रदेश के जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं, उनकी मरम्मत के लिए ८१-८२ में एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और पिछले बजट में ७५ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। लड़कियों के उन विद्यालयों में जहां पर लड़किया ही पढ़ती हैं। पहले ४ हजार रुपये दिये जाते थे, अब १५ हजार रुपया दिया जाने का निर्णय लिया गया है। यह आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी कि छात्र अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरे अच्छे कार्यों में रुचि लें और उसमें काम करें। इस हेतु पहली बार ढ़ाई लाख रुपया का निर्धारण इस बात के लिए किया गया है कि वह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद और वादविवाद प्रतियोगिता आदि में अपनी प्रतिभा बढ़ायें। इन अच्छे कामों के लिए इसी पद से अनुदान विद्यालयों को दिया जाएगा। इस तरह से हम शिक्षा के के साथ-साथ दूसरे अच्छे और संबंधित कामों के लिये प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा का चतुर्मुखी विकास हो सके ।

माध्यमिक स्कूलों पर नियंत्रण की बात की घोषणा भी मंत्री जी ने की है। इसके अलावा उर्दू के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो लोग उर्दू के माध्यम

[श्री सच्चिदानन्द—]

से पढ़ना चाहेंगे, उनको इस तरह की सुविधा दी जायेगी यदि वहां १० विद्यार्थी भी उर्दू के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकेंगे। अभ्यास पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में भी हम पूरी तरह से जागरूक हैं कि वह समय पर सभी छात्रों को मिलें। इसके अतिरिक्त माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं कुछ शब्द तकनीकी शिक्षा के बारे में भी कहना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में हमारी दृष्टि उधर गयी है। यह अनुभव किया जाता था कि तकनीकी शिक्षा का सर्टीफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त छात्र में वह वांछित योग्यता नहीं आ पाती है। इस दिशा में हम जागरूक और प्रयत्नशील हैं कि हम कौन सी योजना चलावें कि उनको अधिक से अधिक लाभ हो। तो २५ लाख रुपये से एक बोर्ड बनाने का हमने निर्णय लिया है। अब आगे से पालीटेक्निक और इन्जीनियरिंग कालेज में प्रवेश इसलिए नहीं होगा कि उसके नम्बर कितने हैं, बल्कि उसमें प्रवेश के लिए पी० एम० टी० की तरह की एक परीक्षा ली जायेगी और उन लड़कों को ही हम भर्ती करेंगे जो वास्तव में योग्य और प्रतिभावान होंगे, जो हमारी कसौटी पर खरे उतरें। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गाजियाबाद, जगदीशपुर (सुल्तानपुर) और शाहजहांपुर में हमने एक-एक पालीटेक्निक स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। डोरा हाट के बारे में हमने निर्णय लिया है वहां पर सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चलाने का। जालौन और ललितपुर में एक-एक डिग्री कालेज खोलने का भी हमने फैसला लिया है। इसको विस्तार से देखने के बाद कोई सदस्य यह नहीं कहेगा कि नई दिशा में नये प्रयास हमारे नहीं हैं। माननीय सदस्य निश्चित रूप से न हमारी सराहना करेंगे . . . .

श्री रामहर्ष राय—

आपने जो नाम स्थानों के गिनाये हैं, ये पश्चिमी जिले हैं, आपने पूर्वी जिलों का नाम नहीं लिया ?

श्री सच्चिदानन्द—

जालौन और ललितपुर बुन्देलखण्ड के जिले हैं जहां हमने डिग्री कालेज खोलने का फैसला लिया है . . . .

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

२० रुपया माहवार स्कूल-माताओं के लिए आज के समय में भी आपने रखा है, उनके बारे में मंत्री जी ने क्या सोचा है। हमारे क्षेत्र में तो यही स्थिति है, मैदानी क्षेत्र की बात नहीं मालूम।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना आज्ञा के बोल रहे थे, यह बात मुनासिब नहीं है।

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, नारे बाजी से शिक्षा विभाग नहीं बन सकता है। शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी अच्छे सुझाव होंगे, उन पर हम अवश्य ही गौर करेंगे। हम नये समाज में आपके

साथ ही बढ़ना चाहते हैं। अब मैं माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो २-३ बातें उठायी हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इनके बारे में जब उत्तर का समय आयेगा तब आप कहियेगा।

श्री सच्चिदानन्द—

उर्दू के सम्बन्ध में भी हमारी स्पष्ट नीति है। हिन्दी और संस्कृत के बारे में भी जो हमारी मातृ भाषायें हैं, उन सब को हम बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।

अन्त में मान्यवर, आपने जो मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है उसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री राम हर्ष राय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस जोश खरोश के साथ अपना भाषण दिया उसने तो हमारी आशाओं पर पानी ही फेर दिया और उनके इस बजट से सदन को निराशा ही हाथ लगी। संभवतः माननीय मंत्री जी ने बड़े आंकड़े दिये कि इतने स्कूल खुले, इतने अध्यापक लगे, इतने-इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अगर इन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाय तो सम्भवतः केरल की आबादी से भी अधिक हो जायेगी, विदेशों की तो बात ही छोड़ दी जाय। विदेशों की शिक्षा के बजट और आपके प्रदेश की शिक्षा के बजट या देश की शिक्षा के बजट में कितना फर्क है, इसको दर किनार रख दिया जाय और केवल केरल के शिक्षा बजट को ही देखा जाय तो यह मालूम हो सकता है कि वहां पर ६८ रुपया प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च होता है जबकि उत्तर प्रदेश में केवल २५ रुपया प्रति व्यक्ति ही खर्च होता है। आपके यहां पर १७००० लाख रुपया एक वर्ष में खर्च होता है जबकि केरल में यह खर्च २५,००० लाख रुपया व्यय होता है। अगर आप आबादी के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि आपके प्रदेश की आबादी ११ करोड़ है और आपके ४-५ जिलों के बराबर केरल की आबादी है। तो केरल और आपके प्रदेश में भी समानता न हो यह बात समझ में नहीं आती है।

आपने जो पुस्तिका हमें वितरित की है उसको देखने से भी पता चलता है कि आपके प्रदेश में केवल २१ प्रतिशत लोग ही शिक्षित हुए हैं और आप बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम शत प्रतिशत लोगों को शिक्षित कर देंगे। लेकिन ३० वर्षों के शासन काल में भी जब आप जनता को कुछ शिक्षित नहीं कर सके तो उनको शत प्रतिशत शिक्षित करने में आपको सम्भवतः १०० वर्ष से ऊपर लग जायेंगे।

[श्री रामहर्ष राय—]

इस पुस्तिका को देखने से यह भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में १५ जिले आते हैं और उनकी आबादी प्रदेश की तिहाई है। उसमें आपने माना है कि जो गरीबी की सीमा रेखा है उससे भी नीचे जीवन व्यतीत करने वाले हैं वे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में रहते हैं लेकिन इस इलाके में एक भी डिग्री कालेज खोलने का नाम आपने नहीं लिया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि जहां आप प्रदेश के लिए स्कूलों की संख्या बढ़ा रहे हैं वहां यह भी ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में कौन सा गरीब और पिछड़ा इलाका है। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर ये ऐसे इलाके हैं पूर्वी जिलों में यहां पर शिक्षा नाम की कोई चीज है ही नहीं। मान्यवर, गाजीपुर सबसे बैकवर्ड इलाका है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। नियमों के बारे में जहां तक मुझको जानकारी हुई कि आप डिग्री कालेज के विषय की भी मान्यता देती हैं। तो दो लाख या ढाई लाख इनडाऊमेन्ट आप चाहती हैं, तो आप उन इलाकों को देखें और देखकर आप वहां की आवश्यकताओं को समझें कि वहां इतना पैसा कहां है। हमारे जिले के दो-तीन स्कूलों से विषयों की मान्यता के लिए प्रार्थना-पत्र आया हुआ है। मैं सदन के अन्दर आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनको मान्यता देने की कृपा करें। वहां पर गर्ल्स डिग्री कालेज में बच्चों को बैठने के लिए इमारत नहीं है। कृपया उस स्कूल की इमारत बनवाने के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर दें। मेरी यह आपसे प्रार्थना है। अन्त में मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खुदादीन अंसारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, वह पूर्वांचल का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह वह बीहड़ क्षेत्र है जो नेपाल की सरहद से लेकर बिहार की सीमाओं को छूता हुआ खनुवा नदी को पार करता है जिसका नाम फाजिल नगर है। हमारे पूर्वज जंगल काटकर बसे थे और आज भी वहां के बसे जंगल लाला छपरा जंगल, पिपरासी आदि गांव जंगल के नामों से ही सम्बोधित किये जाते हैं। वहां पर हमारे देहातों में आज भी जंगल देखने को मिलता है। जहां पर शिक्षा का इस कदर अभाव है कि मीलोंमील तक, दो-दो मील और ३-३ किलोमीटर की दूरी तक एक भी प्राइमरी जूनियर पाठशाला का नाम नहीं है। वहां पर ऐसे बहुत सों लोग बसते हैं जिनकी बड़ी दर्दनाक और हृदयस्पर्शी कहानी है जिन्हें वहां पर कोलभील मुसहर, हरिजन सियरमख के नाम से सम्बोधित करते हैं, वहां

पर बसते हैं। उस संबंध में आपके माध्यम से मैं अपनी माननीया शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस जगह से मैं चुनकर आया हूं जहां पर एक कौम है जिसे लोग कोल भील कहते हैं, वे कीड़ा, चूहा आदि भूनकर खाते हैं। ऐसी जगह पर शिक्षा की नितांत आवश्यकता है, और उसे तिरस्कृत किया गया है। हमारी प्रगतिशील सरकार जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है, पता नहीं कि वह उस क्षेत्र से मुंह मोड़े हुए है। मैंने स्वयं दो-चार स्कूलों का निरीक्षण किया। जो हमारे क्षेत्र में एकाध स्कूल हैं भी, उसमें किसी की छत टूटी हुई है, किसी में टीचर का पता नहीं है, बच्चे कहीं खेल रहे हैं, कहीं पर बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। मैं आप से क्या कहूं, इस संदर्भ में आपसे निवेदन करूंगा कि सैंजिलनगर बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। आपसे निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में कम से कम जितना अधिक से अधिक कोटा स्कूल खोलने का हो प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल खोलने का हो, इनको खोला जाय ताकि यहां के कोल भील और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के बच्चे तालीम पा सकें। आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में जहां पर बैकवार्ड, कोल-भील और हरिजन रह रहे हैं, जिनके खाने का भी ठिकाना नहीं है, वहां पर अधिक से अधिक खोले। मान्यवर, वह कितना पिछड़ा क्षेत्र है। इसका उदाहरण देना चाहता हूं जिसको सुनकर, मान्यवर, आप आश्चर्य करेंगे कि जिस औरत को आज बच्चा पैदा हुआ, वह उसी दिन अपने बच्चे को कंधे पर रखकर, उस मांस के लोथड़े को कंधे पर लादकर खेतों में पहुंच जाती है और वहां पर चूहों की बिलों से दाने खोदकर उनको लाती है और उसको पीसती है और फिर रोटी बनाकर खाती है। यह स्थिति है आजादी के ३३ साल के बाद भी उस पूर्वान्चल की। यह वहां देखने को मिलता है सैंजलनगर क्षेत्र में।

श्री उपाध्यक्ष—

यह वही क्षेत्र है न जहां से रामायण राय जी चुन कर आये थे ?

श्री खुदादीन अंसारी—

जी हां।

३३ साल की आजादी के बाद भी वहां के लोगों ने आजादी की शक्ल नहीं देखी है। वे नहीं जानते कि आजादी क्या चीज है। मामूली कान्स्टेबिल से डर जाते हैं। इसलिए वहां शिक्षा का प्रसार नितांत आवश्यक है। सरकार शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके योजनाएं बना रही है। तो प्राइमरी पाठशाला से लेकर, जूनियर हाई स्कूल, और जूनियर हाई से लेकर हाई स्कूल, और हाई स्कूल से लेकर इण्टर कालेज और इण्टर कालेज से लेकर डिग्री कालेज की स्थापना सरकार को कम से कम उस क्षेत्र में, जो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, करनी चाहिए ताकि वहां शिक्षा का विकास हो सके और वहां के पिछड़े लोग अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी उस क्षेत्र की गरीबी से वाकिफ हैं कि किस तरह से वह पिछड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिए मैंने पूछा कि आप वहां से आये हैं ?

श्री खुदादीन अंसारी—

तो मान्यवर, आप भी उस क्षेत्र से भलीभांति वाकिफ हैं और आप भी वहां की जनता का कल्याण चाहते हैं। इसलिए, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं विशेष रूप से अपने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर अधिक से अधिक स्कूल खोलने की योजना अवश्य की जाय।

इसी तरह से मान्यवर, एक वहां सेखवा पट्टी जगह है, और जंगल पिपरासी जगह है जहां पर गरीब अपने बच्चों के लिए किताब और फीस तक नहीं दे सकता, वहां भी फ्री एजुकेशन का इन्तजाम किया जाय। खासतौर से मैं निवेदन और मांग करता हूं कि खंड़वार में, जो बहुत अच्छी जगह है और जहां पर देवी का मंदिर है, और जहां पर चारों तरफ से लोग आते हैं और उस स्थान से श्रद्धा रखते हैं, वहां पर भी एक जूनियर हाई स्कूल और सेखवा पट्टी में भी स्कूल खोलवाकर वहां राहत पहुंचायी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, हमारा नम्बर ज्यादा है और अपोजीशन में कम है। इस तरह से २ और १ का रोशियो माना गया था और कार्य-मंत्रणा में भी माना गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, परम्परा रही है और स्वस्थ रही है। लेकिन आप शासक दल के हैं। आपकी बात बजट में आती ही है। जो विरोध में हैं, उनकी भी बात सुनें ताकि उसका लाभ मिल सके।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं इस वर्तमान शिक्षा नीति का घोर विरोधी हूं और जो शिक्षा का मूल सिद्धांत इस पुस्तिका में लिखा है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। "शिक्षा की मूल नीति का उद्देश्य १४ वर्ष की आयु तक समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना तथा प्रौढ़ शिक्षा पर बल देना है।"

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी आपसे एक निवेदन है कि आप कृपालु होंगे ५ मिनट से ज्यादा समय न लेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं सिर्फ दो आंकड़े देना चाहता हूं। कितना खोखला है यह बजट, १९७५-७६ में पूरे शिक्षा का बजट का ५८.९ सैकड़ा प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हुआ था। इस साल के

बजट में ५२ सैंकड़ा किया गया। प्राथमिक शिक्षा को तरक्की दी जा रही है या तनज्जुली की जा रही है यह इस बजट से स्पष्ट है। दूसरा यह है कि यह कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति व जन-जातियों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। सन ७९-८० में ९ प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिये कल्याण कोष में था। ८०-८१ में ८ प्रतिशत रह गया। मेरे इस कथन का प्रमाण यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त की एक रिपोर्ट आयी है। उसके पृष्ठ ३ पर लिखा है—आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे अनेक इलाके हैं, जहां शिक्षा संबंधी सुविधाएं नगण्य हैं और कुछ समुदायों में तो साक्षरता-दर वस्तुतः गिर गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की बहुत जनसंख्या वाले ऐसे राज्य भी हैं, जो भारत सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाये। इसका प्रमुख कारण यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा में आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिये गये।

इनमें से अधिकतर बच्चे मिडिल और सेकेण्डरी शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं और मैट्रिकोत्तर स्तर तक कभी पहुंचते ही नहीं। यह है आयोग की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग अपने चेहरे को देखे कि अनुसूचित जातियों और जन जातियों की स्थिति क्या है। इसके साथ मान्यवर, एक निवेदन और कर दूं शिक्षा का उद्देश्य अभी तय नहीं हो पाया है। नहीं तो शिक्षा विभाग बतायें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मान्यवर, एक बार श्री गिरजा शंकर बाजपेई इंग्लैण्ड गये तो वहां पर उन्होंने सदन के एक प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय के विद्यार्थियों से पूछा—चिलड्रेन हवाई डू यू रीड, सभी लड़कों ने हाथ उठा दिया उन्होंने एक लड़की से पूछा उसने बताया हाऊ टू बिल्ड नेशन एण्ड गर्वन नेटिव। यानी राष्ट्र निर्माण करना और आदिवासी पर शासन करना।

किन्तु हिन्दुस्तान में तो शिक्षा का उद्देश्य तय ही नहीं है। हमारे शोषित समाज दल ने तो शिक्षा का उद्देश्य लिखा है राष्ट्र का निर्माण और एकता कायम करना। शिक्षा का उद्देश्य तय हो और उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाये जायं। शिक्षा से ज्ञान मिलना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा नमूना प्रश्नोत्तरकाल में आज मिला नहीं कल की बात है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी खंडेश्वरी बाबा के यहां गये और उनको गढ्ढे में दफन करते देखते रहे वह इस चमत्कार की आशा में रहे कि बिना आक्सीजन के वह जीवित रहेंगे।

अब यह शिक्षा चमत्कारपूर्ण है या नहीं। जिस शिक्षा से अज्ञान बढ़े वह शिक्षा मत दें। वे तो पूर्ण शिक्षा सम्पन्न हैं और स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है फिर भी इतना अज्ञान भरा है। तो मेरा कहना है कि शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए, पहले शिक्षा का उद्देश्य बदलें, फिर राष्ट्रीयकरण करें, फिर समान शिक्षा लागू करें। और मान्यवर,

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

८वीं तक की शिक्षा अनिवार्य और सारी शिक्षा मुफ्त करें। १४ साल का बच्चा कठिन काम नहीं करता और ६ से १४ साल तक मान्यवर, ८ दर्जे होते हैं।

इसलिए ८वीं तक अनिवार्य शिक्षा दी जायें। इस तरह से शिक्षा की प्रणाली बदल ही जाय और पांच विषय पढ़ाये जायें एक राष्ट्रीयता, नागरिकता, भूगोल, अर्थमेटिक और वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियां। सम्पूर्ण शिक्षा में परिवर्तन किया जाय और उसके अन्तर्गत मानववादी शिक्षा लायी जाये। अंधविश्वास, पुनर्जन्म, जात-पांत, ऊंच-नीच का भेद-भाव और चमत्कार के जो विषय हैं, कतई न पढ़ाये जायें। अन्त में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा पर बोलने का मौका दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय सदस्य भाई सूबेदार सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। क्यों विरोध करता हूं कि माननीय सूबेदार सिंह जी, आज अगर एक रुपया कटौती का लेकर पास कर दिया जाये और जब आप घर जायेंगे तो आपके बच्चे किस तरह से आपका स्वागत करेंगे, यह हम नहीं चाहते। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं शिक्षा का

(हंसी (व्यवधान)

बजट क्रान्तिकारी है या नहीं, ३ वर्षों में आपने कितनी क्रान्तिकारिता दिखाई इसको आप बता दें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय मंत्री जी तथा राज्य मंत्री जी ने जो कुछ चीजें विवेचनापूर्वक बतायीं उसके बाद भी अगर कोई चीज बकाया हो तो हम इसके लिये आप लोगों की सहायता चाहेंगे और आपका सुझाव व समर्थन चाहेंगे कि आगे चल कर वह और अधिक क्रान्तिकारी हो सकेगा। इसकी अपेक्षा मंत्री और राज्य मंत्री को भी है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय कम है इसलिए जल्दी बोलें।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

आज प्रदेश के अन्दर हमारे यहां लगभग ७१ हजार प्राइमरी स्कूल हैं। प्रदेश की आबादी आज तक लगभग १० करोड़ की चल रही है मगर जो दूसरा दौर आ रहा है उससे ५४ करोड़ के लगभग हो जायेगी। ऐसी स्थिति में जहां ६४ लाख २७ हजार ३७९ छात्र हों और २० लाख २९ हजार १३८ छात्रायें हों . . . श्रीमन, इससे स्पष्ट होता है कि हमारे करीब ६६ प्रतिशत बालक पढ़ रहे हैं और ३३-३४ प्रतिशत बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आज की शिक्षा की बुनियाद हमारे प्राइमरी स्कूल हैं। उन विद्यालयों पर सख्ती के साथ निगाह रखी जानी चाहिए। इन ७१,००० प्राइमरी स्कूलों में से ६ हजार नगरों में

हैं और ६४-६५ हजार के बीच देहातों में हैं। इसका यह तात्पर्य होगा कि अधिकांश लोग देहाती क्षेत्र से शिक्षा लेकर आते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस बुनियाद में अध्यापक आज तेजी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और घर की खेती-बाड़ी में लगे रहते हैं। श्रीमन्, आज व्यावहारिक शिक्षा पर मा० मंत्री जी ने जोर दिया, हम उनके आभारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, अभी तो मैंने असली विषय पर बोलना शुरू किया है। अभी ५ मिनट पूरे नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष—

समय तो आपका पूरा हो गया। आपने प्रस्तावना में ही इतना समय ले लिया कि उपसंहार आया ही नहीं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मान्यवर, शिक्षा की व्यावहारिकता पर जो अधिक जोर दिया गया है, उसके अनुसार एक तरह के स्कूल्स पूरे प्रदेश में होने चाहिए। इसके साथ ही मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री खैरूल बशर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं इसलिए कि यह शिक्षा का बजट नहीं है, यह शिक्षा विरोधी बजट है और यह शिक्षा विरोधी इसलिए है कि शिक्षा नीति पूरी सर के बल उलटी खड़ी है। शिक्षा की हालत बहुत खराब है। टीचर्स की कन्डीशन खराब है लो पेड आदि और यही है कि इतने दिनों पुरानी आजादी के बाद भी हमारा उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका कारण यही है कि एजूकेशन में भी हम पीछे हैं और राजनीति में भी हम बैकवर्ड हैं। क्योंकि यह शिक्षा लेने के लिये दिल्ली बार-बार जाते हैं। हमारे मुख्य मंत्री भी बैकवर्ड हैं इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि यह बैकवर्डनेस है। मैं इतना कह सकता हूं कि शिक्षा नीति आप देखिये—केरल, बंगाल और त्रिपुरा, जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है वहां औसत ६० प्रतिशत एजुकेशन है, आपके आंकड़े २१ प्रतिशत हैं। वास्तविकता यह है कि शिक्षा के आंकड़े वास्तव में २७ प्रतिशत हैं इस हिसाब से इस सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।

[श्री खैरूल बशर—]

मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आज ट्रेजरी बेन्चों पर बैठे हुए जो शोभा बढ़ा रहे हैं, इसका आपका कोई हक नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा नीति बुनियादी तौर पर हिन्दुस्तान की जनता की विरोधी है। यह जनता के हित की नीति नहीं है। इसलिए यह शिक्षा की कोई नीति ही नहीं है। बड़े लोगों के अलग स्कूल, गरीबों को बैठने के लिये टाट भी नहीं। ये प्राइमरी स्कूल के अध्यापक आपके चपरासी से भी कम तनख्वाह पाते हैं। इस तनख्वाह में आपको बैल चराने के लिए, भैंस चराने के लिये भी आदमी नहीं मिलेगा। लेकिन आपने मास्टर के लिये १७० रुपया निर्धारित किया है। आपकी जो मौलिक नीति है वह गलत है और जन विरोधी है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों और अपर मिडिल क्लास के लोगों को शिक्षा देने की आपकी पालिसी है। आपकी पालिसी छोटे और गरीब लोगों को शिक्षा देने की नहीं है इसलिए आपने ८वीं दर्जे की शिक्षा का इम्तहान अपने हाथ में ले लिया है। अंग्रेजों की पालिसी थी कि १० वें दर्जे तक तालीम दी जाय और आपकी पालिसी है कि ८वें दर्जे तक तालीम दी जाय। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और शिक्षा मंत्री के प्रस्तावों का विरोध करता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी,

(श्री त्रिवेनी के खड़े होने पर)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, त्रिवेनी राय जी को कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको आपकी वकालत की आवश्यकता नहीं है, विराजें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

इसी सूची में मैं भी लगा हुआ हूं मेरा भी नम्बर आ जाय।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, ४५ वर्ष से मुझे भी एक शिक्षा जगत की थोड़ी सी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उन्हें इस बात की शुभकामना देना चाहता हूं कि वह अपने काम में पूर्ण सफल हों। मेरे कुछ सुझाव हैं आप लोग ठीक से सुन लें तो अच्छा हो। एक चीज हमने देखी है कि शिक्षा में आये दिन यह बड़ा सवाल उठकर खड़ा होता है कि व्यक्तिगत प्रबंधकीय प्रबंध पर बड़ी टीका टिप्पणी हो जाती है। मैं नहीं समझता

कि व्यक्तिगत प्रबंधकारिणी समिति कहीं होती है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और शिक्षा मंत्री और उनके विभाग से निवेदन करना चाहता हूं कि

सहसाविदधीत न क्रियाम्

अविवेकः परमां पदां पदम् ।

जल्दबाजी में कोई काम ऐसा न कर दे कि जो गाड़ी चल रही है वह भी पटरी से उतर जाय । मैं शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी रुपया दिया जा रहा है शिक्षा में, इसको और अधिक देना चाहिए लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अनुशासन कहां जा रहा है । जब तक हमारा अनुशासन उत्तम नहीं होगा यह हमारा सारा रुपया पैसा लगाना व्यर्थ है । इसलिये सारी चीजों को छोड़कर शिक्षा मंत्री जी को और उनके विभाग को चाहिए कि वह हमारे स्कूल कालेजों के अनुशासन पर विशेष ध्यान दें । आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि जहां आप जायें देखेंगे कि पढ़ाई-लिखाई बन्द है लड़के सड़कों पर घूम रहे हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है । इसका कारण आप कहते हैं कि प्रबंधक लोग झगड़ा कराते हैं । प्रबंधकों ने ऐसा किया कि सभी लोगों के लिये पढ़ाई का अवसर दिया ।

मैं बताऊं कि अगर यह प्रबंधक लोग स्कूल न खोले होते तो आज आपके प्रदेश में शिक्षा संस्थान इतनी बड़ी संख्या में न मिलते । मैं यह चाहता हूं कि पहले अध्यापक लोग इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें कि लड़कों की पढ़ाई और अनुशासन का काम उनका है । जब कोई बात होती है तो अध्यापक कोई भी योग देने के लिए तैयार नहीं हैं । शिक्षा विभाग के लोग अपने यहां से कागज भेजने लगते हैं । अगर अनुशासन नहीं बनाया गया तो चाहे जो भी आप करें कोई काम ठीक से नही हो पायेगा ।

[4 बजे]

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय और दे दें । मैं वह बात कह रहा हूं जो किसी ने नहीं कही । जहां तक सरकारीकरण का सवाल है तो इससे सब चौपट हो रहा है । हम सब देने को तैयार हैं लेकिन आप यह भी तो देखें कि सरकारी मशीनरी कहां तक काम कर पाती है । ऐसी दशा में शिक्षा विभाग ऐसी भूल नहीं करेगा कि जो बना हुआ काम है वह भी चौपट हो जाय । जब सरकार ने कुछ नहीं किया था तब प्रबंध समितियों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया । जब से सरकार ने पैसा देना शुरू किया तब से यह सारी अव्यवस्था फैली है । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी काम करें वह सोच समझकर करें । पहले तो शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा के डायरेक्टर यह संकल्प करें कि हम अनुशासन लायेंगे ।

[श्री चन्द्रावली ब्रह्मचारी—]

अगर अनुशासन नहीं लाते तो जितना रुपया व्यय कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि विद्यार्थियों में बेरोजगारी है। आपकी खेलकूद की योजना है। बाजपेयी ने कहा कि इससे हम बेकारी दूर कर रहे हैं। यह कैसे दूर होगी मेरी समझ में नहीं आया। जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठायेंगे यह समस्या बनी रहेगी और आप कोई इन्तजाम नहीं कर पायेंगे और छात्रों में असन्तोष बढ़ता जायगा।

श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, मुझे आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि आज जो शिक्षा का बजट पेश किया गया वह मैकाले शिक्षा नीति के अनुरूप है और इसमें कोई नई दिशा नहीं दी गयी है। अब तक जितने विचार सत्ता पक्ष की ओर से आये हैं वह बजट का समर्थन करते हैं। लेकिन शिक्षा में जो मूल परिवर्तन लाने की बात है वह है परीक्षा प्रणाली। शिक्षा मंत्री जी ने प्राइवेट और रेगुलर छात्रों की अलग-अलग परीक्षाओं की तो व्यवस्था की है लेकिन इसके लिये कुछ नहीं किया कि नकल को कैसे रोका जाय। नकल करने का वही पुराना तरीका छात्र अपनायेंगे। मेज पर चाकू और रिवाल्वर रखकर वह नकल करते हैं। इसके लिये मैं सुझाव रखना चाहता हूं और वह यह कि परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करें तो शिक्षा में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार होगा। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। मेरा यह सुझाव है कि सभी छात्रों के लिए परीक्षा के समय पुस्तकें एलाऊ की जायं। लेकिन जो प्रश्न-पत्र हों वह आब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हों और मार्किंग गुणात्मक हो। इससे छात्र पढ़ेंगे। आज छात्रों में यह प्रवृत्ति है कि वह गेस पेपर्स खरीद लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं और फिर परीक्षा में नकल करके अच्छे नम्बरों से पास हो जाते हैं। इससे शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है।

दूसरी बात यह कि आजकल विद्यालयों में पेपर वर्क बहुत बढ़ गया है। बहुत से प्रपत्र तैयार कराये जाते हैं। इंसपेक्टर आफिस में जब से वेतन वितरण प्रणाली शिक्षा विभाग द्वारा प्राइवेट संस्थाओं में की गयी है अलग से एकाउन्टेन्ट रख दिये गये हैं और क्लर्क्स बढ़ा दिये गये हैं। लेकिन इण्टर कालेजेज में विद्यालयों में वही पुराने क्लर्क सारा काम करते हैं चाहे वह वेतन का हो, एडमीशन का हो या कैशबुक का हो। मैं चाहूंगा कि जिस तरह इन्सपेक्टर आफिस में एकाउन्टेन्ट और क्लर्कों को बढ़ाया गया है उसी तरह विद्यालयों में भी एक अलग से एकाउन्टेन्ट रखा जाय जो वेतन सम्बन्धी लेखाजोखा रखे। मैं चाहूंगा कि प्राइमरी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। पिछले वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम उठा रहे हैं। पिछले वर्ष इन्होंने केवल एक जिले में एक जूनियर और तीन प्राइमरी स्कूल रखा है। इस साल भी अधिक से अधिक १० प्राइमरी और तीन या चार जूनियर हाई स्कूल खोले जा सकेंगे। क्या इसी तरह से शिक्षा का प्रसार हो सकेगा ? प्राइवेट मैनेजमेंट, जो प्राइमरी स्कूल खोलता है, मैं इस संबंध में सुझाव दूंगा कि उनको मान्यता अवश्य दी जाय जिससे शिक्षा का प्रसार होगा।

जिन इण्टर कालेजों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के साथ प्राइमरी स्कूल सम्बद्ध हैं वहां के टीचर्स को भी सरकार की ओर से जैसा कि हाई स्कूल और इण्टर कालेज के अध्यापकों को वेतन मिलता है, वैसे ही उनको भी सरकार की ओर से वेतन दिया जाय। इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि कक्षा ६ से १० तक हरिजन छात्रों और पिछड़े वर्ग के छात्रों को सीमित मात्रा में छात्रवृत्ति दी जाती है, तो छात्रवृत्ति की मात्रा बढ़ाई जाय जिससे हरिजन और पिछड़े वर्ग के छात्र शिक्षित हो सकें। प्राइमरी शिक्षा में जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसको बन्द कर दिया गया, उसको पुनः चालू किया जाय। इससे भी लोगों में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन बढ़ेगा। अन्त में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष जो यह बहुत बड़ी डींग हांकता है कि हमने शिक्षा का प्रसार किया है लेकिन ऐसी बात नहीं है।

आजादी के बाद हम देखते हैं कि जहां अंग्रेजी जमाने में १४ परसेन्ट शिक्षा थी, आज २१-२२ परसेन्ट से ज्यादा नहीं हो पायी है। हमारे इटावा जनपद में, जहां कि कहा जाता है कि बहुत अधिक शिक्षा है, वहां भी केवल २८ परसेन्ट लोग शिक्षित हैं। जहां तक शिक्षा के सरकारीकरण का प्रश्न है, शिक्षा का सरकारीकरण नहीं होना चाहिए जैसा कि यह सरकार कर रही है। यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा का प्रसार हो तो आप १४ साल तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा कर दीजिए और जो गरीब छात्र हैं, उनके लिये दोपहर में भोजन की व्यवस्था आप करें तभी शिक्षा का प्रसार हो सकता है और निर्बल वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, शिक्षा मानव जीवन के लिये एक महत्त्वपूर्ण विषय है और गरीब के लिये यह रोटी व रोजी है। शिक्षा के आधार पर ही हम इस सम्मानित सदन में आये हैं और इसी पर पूरा सदन निर्भर है। मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मेकेनीकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अन्य शिक्षा जैसे औद्योगिक शिक्षा जो हमारे प्रदेश में हैं उसके लिये जो बजट माननीय शिक्षा मंत्री ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। हमारे प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा जिस स्तर पर है सबसे अधिक गिरी हुई है। यहां जो बैठे हुए निदेशक हैं चाहे माध्यमिक शिक्षा के हों, चाहे प्राइमरी शिक्षा के हों या तकनीकी शिक्षा के हों कभी भी जिलों में जाकर यह नहीं देखते कि उन विद्यालयों की क्या हालत है, उन छात्रों की क्या दशा है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा हमारी सरकार ने इस बार उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा भी समय पर कराई उसके लिये मैं शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। तीसरे प्राइमरी पाठशालाओं को मैंने अपने क्षेत्र में घूम कर देखा तो यह पाया कि जो ९० प्रतिशत प्राइमरी पाठशालायें बनी हैं वे चू रही हैं, बच्चे

[श्री माधव प्रसाद—]

उनमें पढ़ नहीं सकते । मेरा सुझाव है कि प्राइमरी शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिए । वहां पर प्राइमरी पाठशाला का बालक अपने घर से टाट पट्टी लेकर जाता है लेकिन टाट पर बैठ नहीं सकता चूंकि पानी पड़ा होता है ।

प्राइमरी शिक्षा के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में ८५.९२ करोड़ रुपया रखा गया है वह ज्यादा तो है लेकिन उसका प्रयोग सक्रिय रूप से हो सके इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । मैकाले के थ्योरी के हिसाब से शिक्षा दी जानी चाहिए जिसके अनुसार विद्यार्थी की अभिरुचि के अनुसार ही बालक को उस विषय में प्रवेश कराया जाता है । यहां शिक्षा उसी तरह दी जानी चाहिए जिस तरह जापान में होता है कि प्राइमरी का भी बच्चा कम से कम १०० अथवा ५० रु० के खिलौने बना लेता है । उनको तकनीकी शिक्षा दी जाती है । प्राइमरी स्तर पर बच्चों के वैज्ञानिक विकास के लिये किट बाक्स की भी व्यवस्था की जाय जिसे आगे चलकर वे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें । मेरे जनपद में दो माध्यमिक विद्यालय हैं । एक कृषि विश्वविद्यालय तथा दूसरा अवध विश्वविद्यालय । कृषि विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा तो है और बाहर के विद्यार्थी भी वहां पढ़ते हैं । मेरा शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि माध्यमिक विद्यालयों में कृषि का विषय कम्पलसरी हो । ७ वर्षों से बी० टी० सी० ट्रेन्ड टीचर्स अपने घर पर बैठे हैं उनकी नियुक्ति की जाय । जिन माध्यमिक विद्यालयों में हरिजनों का १८ प्रतिशत कोटा पूरा नहीं है जब तक वह कोटा पूरा न हो जाय तब तक उस विश्वविद्यालय को सरकार से मिलने वाली देय धनराशि को रोक दी जाय । बच्चों के विकास के लिये खेलकूद में बढ़ावा दिया जाय ।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक जिला स्तर पर उर्दू के हायर सेकेन्डरी स्कूल अवश्य खोले जायं । मैं शिक्षा मंत्री को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम ६ हजार हमारे उर्दू के अध्यापकों का स्थायीकरण किया । इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

खून पसीना किया बाप ने, एक जुटाई फीस
आंख निकल आई पढ़-पढ़ कर, नम्बर पाये तीस ।
शिक्षा मंत्री ने सिनेट से, कहा अजी शाबास
सोना हो जाता हराम, जो ज्यादा होते पास
फेल पुत्र के पिता दुखी हैं सर धुनती है माता
जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता ॥

मान्यवर, हमारी शिक्षा में अराजकता है । अभी यह तो मैंने मंगलाचरण पढ़ा है मिश्रा जी । आजादी के बाद से हमारे शिक्षाविद आज तक यह तय नहीं कर पाये हैं कि जो नये उद्योग धन्धे लगने वाले हैं दो-तीन चार सालों के बाद, उसके लिये हमारे विद्यार्थियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को वे किस तरह की शिक्षा दें। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता अगर इन्होंने हमारे जिले में एक भी बेसिक स्कूल खुलवाया होता। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे जिले टेहरी गढ़वाल के अन्दर पिछले वर्ष के बजट के अनुदान के अन्तर्गत एक भी नया बेसिक स्कूल इन्होंने क्यों नहीं खुलवाया ? हमारे जिले के स्कूल के अध्यापकों ने दारू की भठ्ठियों को तोड़ा, हमारे जिले की जनता ने दारू की भठ्ठियों को तोड़ा, यह कांग्रेस सरकार आज भी राज्य कर रही है देश के अन्दर, इसमें हमारे जिले के कम से कम हजारों लोगों ने सैकड़ों अध्यापकों ने इनका साथ दिया परन्तु माननीया मंत्री जी ने उनके लिये एक मात्र कार्य यह किया मान्यवर, कि हमारे यहां से बी० टी० सी० के स्कूल को समाप्त कर दिया। आज हमारे जिले के अन्दर १२० स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी एजूकेशन नहीं है, आपने स्कूल को समाप्त कर आइन्दा भी प्राइमरी एजूकेशन न हो सके, इस प्रथा की मुकम्मल व्यवस्था कर दी है।

मैं अपने जिले का प्रतिनिधि हूं साथ ही साथ साक्षरता समिति का भी प्रतिनिधि हूं। हमारे जिले में साक्षरता २३ प्रतिशत ही है, जिस इलाके में मैं जाता हूं हम विधायक के रूप में जाते हैं, वहां आप खुद नहीं जा पायेंगे। आप हमारी आंखों को अपनी आंखें क्यों नहीं मान लेते। जिन स्कूलों के लिये हम सिफारिश करते हैं, जिन स्कूलों के लिये हम रिकमैन्डेशन करते हैं, जिन स्कूलों के नाम हम भेजते हैं, आप उसको न मानकर दूसरे इलाकों में स्कूल खुलवाते हैं।

आप हमारी सूचना को सही मान करके, हमारी रिकमन्डेशन को सही मान कर के क्यों नहीं काम करते हैं ? कहां समाज आगे बढ़ा है। हमारे यहां जो शासन द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है, एक चीज जो होती है जिसे कहते हैं सरसरी तौर, हमारे यहां शिक्षा को सरसरी तौर पर चलाया जा रहा है।

हमारे जिले में एक भी बेसिक स्कूल नहीं खुलवाये। पिछले शासन काल में डाक्टर शिवानन्द नौटियाल ने हमारे यहां एक डिग्री कालेज चम्बा के अन्दर दिया था। देव प्रयाग के अन्दर। लेकिन आप हमको डिग्री कालेज से लेकर बेसिक स्कूल तक कुछ नहीं दे रहे हैं।

हमारे यहां कुछ इलाके ऐसे हैं जो दूरस्थ इलाके हैं जैसे कीर्तिनगर, डोंगी, कठूर इत्यादि यहां से तीस-तीस मील तक लोगों को चल कर जाना पड़ता है स्कूल में पढ़ने के लिये। अगर आप मुझको ५५ बेसिक स्कूलों की सुविधा दें तब कहीं जा कर ३ किलोमीटर की दूरी को पाटा जा सकता है।

माननीय मंत्री जी ने जो गर्वोक्ति की है कि एक किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जरा चलकर देखिये मेरे साथ, वहां

[श्री विद्यासागर नौटियाल—]

८-८ किलोमीटर तक विद्यार्थी जाता है बेसिक शिक्षा के लिए और आप वहां ध्यान नहीं देते हैं इसलिए कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हूं । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की मीटिंग करके क्यों नहीं विचार करते हैं ? आपने कभी हमको पूछा ? जब तक आप सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भेजे गये आंकड़ों के जाल में उलझे रहेंगे, तब तक आप जंगल में फंसे रहेंगे । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों में परीक्षायें समय से हुईं । गढ़वाल विश्वविद्यालय में सितम्बर में परीक्षा हुई, अक्टूबर में परीक्षा हुई और दिसम्बर में रिजल्ट निकला तथा जनवरी में विद्यार्थी भर्ती हुए । यह कौन सा समय है भर्ती करने का ? जब हम पढ़ते थे तो जून में बल्कि अप्रैल, मई में परीक्षायें होती थीं और जून में रिजल्ट निकलता था तथा जुलाई में भर्ती होती थी । अब हमारे बच्चों की जनवरी और फरवरी में भर्ती होती है और जुलाई ८० से उनसे फीस ली जा रही है । यह लोक कल्याणकारी राज्य है । मेरे जिले के अन्दर शिक्षा की, स्कूलों की इतनी दुर्दशा है, इतनी खस्ता हालत है कि उसके ऊपर मुझे एक कविता याद आ रही है, वह मैं सुना देता हूं :—

"घुन खाये शहतीरों पर की
बारखड़ी विधाता बांचे
भीत फटी है, छत चूती है,
आले में बिस्टुइया नाचे ।

बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट-मिनट
दुखरन मास्टर ये पांच तमाचे,
गढ़ता जाता किसी तरह आदम के सांचे ।"

रामचन्द्र शुक्ला को आपने भी पढ़ा होगा । मैं राम चन्द्र शुक्ला जी की एक शब्दावली के साथ आपके बजट का विरोध करता हूं । उन्होंने कहा था कि तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर बोलने का अवसर दिया है । मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, शिक्षा जगत में परिवर्तन आना चाहिए सब बात करते हैं । शिक्षा जगत में बड़ी ही गड़बड़ी आई है, इसको भी लोग महसूस करते हैं । हमारे शिक्षा मंत्री ने जब बजट पेश किया था तो ऐसा लगा था कि कुछ कमियां हैं उसमें सुधार आना चाहिए । मान्यवर, एक सूड़ जी हैं वह पहले कविता कहते थे, वह कहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता विद्यार्थियों के झोले से बम बरामद । जैसे पहले कहते थे जापान में सौंदर्य प्रतियोगिता । बाबू जगजीवन राम विदेश रवाना । मान्यवर, आज बड़ी गम्भीर बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में और

सबसे गम्भीर समस्या है प्राइमरी, हायर सेकेन्डरी, इन्टरमीडिएट की शिक्षा के क्षेत्र में। इन तीनों में सबसे गम्भीर अगर मामला है तो प्राइमरी स्कूलों का है क्योंकि यह नींव है विश्वविद्यालयों तक अगर उनको जाने का अवसर मिलेगा तो वह सिर्फ सनद ही हासिल कर पायेंगे, तालीम नहीं हासिल कर पायेंगे। सनद पाने की तरकीब तो सबको आ सकती है।

मान्यवर, जिला परिषद् के हाथ में अगर प्राइमरी स्कूल रहेगा तो कांग्रेस के लोग उसके अध्यक्ष रहेंगे और उसके गीत गाते रहेंगे। पिछली संयुक्त सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन करके प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की जो स्थिति बनाई गई थी वही स्थिति अभी तक चली आ रही है और आज जो शिक्षा परिषद् का हाल है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज कहा जाता है कि टाट नहीं है, पट्टी नहीं है या बिल्डिंग नही बनी और दरवाजे तथा किवाड़ नहीं लगे। जैसे हमारा मण्डल फैजाबाद है। वहां के डी० डी० आर० हैं जब भी आप उन के दफ्तर में जायेंगे वह वहां नहीं मिलेंगे। किसी स्कूल के दौरे पर पता लगायेंगे तो दौरे पर नहीं मिलेंगे। मालूम हुआ कि एकान्तवास कर रहे हैं। मुआइना घर पर बुलाकर कर दिया जाता है, वैसे ही डी० आई० और एस० डी० आई० लोग अपने घर पर शहरों में रहते हैं और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, जूनियर हाई स्कूल के हेड मास्टर को बुला कर अपने घरों में मुआइना लिख देते हैं। प्राइमरी स्कूल के, जूनियर हाईस्कूल के हेडमास्टर समझते हैं कि चलो हमको नाश्ता कराने से छुट्टी मिली, रजिस्टर लेकर मुआइना करा लाओ इसी कारण जब अधिकारीगण कुछ देखते नहीं हैं, नियंत्रण नहीं रखते हैं तो मालूम हुआ कि बच्चे बेसहारा हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों की स्थिति यह है कि अगर किसी प्राइमरी स्कूल में चार अध्यापक हैं तो उनकी तालिका बनती है। दो अध्यापक स्कूल में जायेंगे और दो नहीं जायेंगे। अगले दिन बाद के दो अध्यापक जायेंगे और पहले वाले दो नहीं जायेंगे। अध्यापकों की स्थिति जिलों में ऐसी है। कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो अध्यापकों के संघ के नेता बन गये हैं। वे तीसों दिन स्कूल नहीं जाते। कहां जाते हैं तो मालूम हुआ कि बेसिक अधिकारी के दफ्तर में डी० आई० के दफ्तर में [xxx] हुल्लड़बाजी करने जाते हैं। इस तरह की स्थिति प्राइमरी स्कूल के टीचरों की है। मेरा सुझाव है अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से है कि प्राइमरी स्कूल के टीचरों को, जूनियर हाई-स्कूल के टीचरों को उन के अपनी तहसील में न रहने दिया जाय, उन्हें तहसील से बाहर किया जाय . . .

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, टीचर्स को गुण्डा कहा गया, यह शब्द वापस लिया जाय। यूनियन के नेता को गुण्डा कहा गया यह शब्द वापस लिया जाय, गुण्डा नहीं कहना चाहिए।

नोट :—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री खैरूल बशर—]

अपमान है शिक्षक का . . .

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर यह कहने पर कि इस शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय)

श्री अध्यक्ष—

कुछ कहा होगा तभी तो निकाल दिया जायगा। अगर कार्यवाही में आया तो कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। मैंने तो सुना नहीं गुण्डा कहा और न मैं ऐसी आशा करता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य अध्यापक के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं कार्यवाही देखूंगा। अगर यह शब्द आया होगा तो निकाल दिया जायगा।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आपके माध्यम से एक सुझाव और देना चाहता हूं। बहुत से जिलों में प्राइवेट मैनेजमेन्ट के लोग स्कूल चला रहे हैं। बजाय नये स्कूल खोलने के उन स्कूलों को ले लिया जाय। बहुत सी प्राइवेट कमेटियां स्कूल देने के लिए तैयार हैं। उनसे स्कूल लेकर के और सुचारु रूप से उनकी मदद की जाय जिससे कि पढ़ाई का संचालन हो सके।

एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान है अलीगंज, जो लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय पड़ेगा। वहां बहुत बड़ी मारकेट है, अनेक राजकीय दफ्तर हैं। वहां एक जूनियर हाईस्कूल है, उस का भवन है, ८-१० बीघा जमीन है। वहां पर कोई हाई स्कूल ४-५ मील तक नहीं है। उस विद्यालय को हाई स्कूल में परिणित किया जाय यदि नया हाई स्कूल सरकार वहां पर नहीं खोलना चाहती।

दूसरी चीज टेक्निकल एजूकेशन की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज एक परम्परा बनी हुई है। लोग हाई स्कूल करके, बी० ए० करके, एम० ए० करके भटक रहे हैं और उसके बाद जब वह हाई स्कूल कर लें तो टेक्निकल एजूकेशन की तरफ विद्यार्थियों के झुकाव को देखकर के उन्हें उस तरफ जाने का प्राविधान होना चाहिए। इसलिए टेक्निकल एजूकेशन को ज्यादा महत्व दिया जाय। इन शब्दों के साथ अन्त में मैं पुनः शिक्षा का जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष—

इसके पहले कि मैं किसी को बुलाऊं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अब समय हो गया है इसलिए मैं अब केवल एक आदमी को ही बुलाऊंगा।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के विपक्ष में बोलने का आपने मुझे मौका दिया है उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं । साथ ही साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं हमारे एक माननीय मित्र ने कहा है और सचमुच में ठीक ही कहा है कि हमारे प्रदेश का जो यह शिक्षा का बजट है वह केरल, त्रिपुरा और बंगाल को देखते हुए बहुत कम है । मान्यवर, हमने कई विश्वविद्यालयों के कमीशनों राधा कृष्णन एवं कोठारी कमीशन और खोसला कमीशन को देखा है और उन्होंने शिक्षा नीति में सुधार करने के बारे में कहा है । मान्यवर, तीन चीजें होती हैं । सबसे पहले मारल होना चाहिए । विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए चाहे उसका संचालक प्रदेश की सरकार हो या कोई हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, यह तो आपके द्वारा संचालित हैं ।

मैं सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में नहीं कहता लेकिन यह अवश्य कहता हूं कि हर विश्वविद्यालय में इन्फीरियारिटी कम्प्लेक्स और सुपीरियारिटी कम्प्लेक्स में हर विद्यार्थी पढ़ता है और उसके साथ एक्जामिनेशन देता है एक तरफ वे विद्यार्थी हैं और मैं समझता हूं कि ९० प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान नहीं है तो दूसरी तरफ वह फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स और इंजीनियरिंग कैसे पढ़ सकता है । वह इतना गरीब है कि वह आगे इस विषय में सोच भी नहीं सकता है । अभी हमारे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री पोलीटेक्निक में विद्यार्थियों के दाखिले के बारे में कह रहे थे । मान्यवर, आप जानते हैं कि पर्वतीय अंचल के लोग और प्रदेश के कई पिछड़े क्षेत्रों के लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं । तो किस तरह से ऐसे लोगों के बच्चे टेक्निकल एजूकेशन में मेरिट में आ सकते हैं । मान्यवर, हमारे देश में महान विभूतियां पैदा हैं—एच० जी० भाभा, राजेन्द्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेदकर, महात्मा गांधी—जो एजूकेशन के बदले हुए रूप में थे और हमारे राज्य शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम एजूकेशन के पैटर्न को बदलने जा रहे हैं । आप मैकाले के शिक्षा पैटर्न को बदल नहीं रहे हैं बल्कि शिक्षा के बुनियादी आधार को समाप्त कर रहे हैं ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि पब्लिक स्कूल जो हैं, दून स्कूल हैं और जो इस तरह के स्कूल हैं उनसे केवल २९७ फैमलीज ऐसी हैं या चार सौ फैमिलीज समझ लीजिए जो कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० होती हैं । उसमें गरीबी की रेखा से नीचे के विद्यार्थी नहीं आ पाते हैं । जैसा कि हमारे दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब तक शिक्षा जगत में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता है, इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाता है तब तक प्रदेश का और विद्यार्थियों का भला नहीं हो सकता है । जे० पी० ने चार मुद्दे रखे थे—शिक्षा नीति में बुनियादी

[श्री यदुनाथ सिंह—]

परिवर्तन, मंहगाई और भ्रष्टाचार को खतम करना, बेरोजगारी खतम करना । इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस विद्यार्थी को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, वह मैरिटोरियस होते हुए भी कैसे आगे बढ़ सकेगा और उसका कैसे अडमीशन हो सकेगा । रिट स्वीकार हो गयी जिसमें शुक्ला जी और दयाल साहब बैठे । रिट इसलिए थी कि पुराने सिस्टम से परीक्षा ली जाय या नये सिस्टम से परीक्षा ली जाय । तो आपकी शिक्षा नीति बदलती रहती है ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप समझती हैं कि हम ५ साल के लिए सरकार में हैं तो कम से कम ५ साल के लिए तो शिक्षा नीति रखें । ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेबस बार-बार बदलता रहे । जैसा माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि शिक्षा का बोझ बहुत कम होना चाहिए जूनियर हाई स्कूल का बच्चा जो ९ साल की उम्र का होता है वह ९ किलो का बोझ ढोता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोरैलिटी और नेशनैलिटी के नाते एजूकेशन के इस बोझ को कम करें । मान्यवर, समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्राइमरी से लेकर हायर एजूकेशन तक यह जो खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है इसे कम करें यह तब हो सकता है जब नियमों के आधार पर प्रिंसपल के आधार पर इसे ठीक करें । इसके लिए एक गोलमेज परिषद् शिक्षाविदों को बुलायें और इसे भी जुडिसियरी की तरह से स्वतंत्र करें । तभी हम मोरली और नेशनली छोटे और ऊंचे वर्ग के कंम्प्लेक्स को कम कर सकते हैं । और पब्लिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के कम्प्लेक्स को खातमा कर सकते हैं ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैंने अपने भाषण में शिक्षा पद्धति की बुराइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया था । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भाई राज्य शिक्षा मंत्री श्री वाजपेयी जी ने कुछ बातों को कबूल किया । वह सारी बातों को स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन उसमें वह अपने दल में घुटन महसूस कर रहे हैं इसलिए कटौती के प्रस्ताव की सारी बातों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं । जहां तक शिक्षा जगत में शिक्षक की बात है उसके बारे में हमारे माननीय सदस्य ने शिक्षक के लिए [xxx] शब्द का प्रयोग किया है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप अभी ऐसा मत कहें उन्होंने इनकार किया है ।

श्री सूबेदार सिंह—

किस तरह की शिक्षा आप देते हैं वह सदन के सामने मौजूद है । मान्यवर, कुछ अन्य बातों की ओर मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह प्राइमरी,

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माध्यमिक और डिग्री कालेज के टीचर्स की भविष्य निधि के बारे में है। पहले ऐसा होता था कि अध्यापक, प्रबंध कमेटी और सरकार तीनों का अंशदान जमा होता था और टीचर को पेंशन भी मिलती थी अब आपने भविष्यनिधि योजना लागू कर दी है। तो उसके हिसाब से अब अध्यापक का ही हिस्सा मिलेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी। इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके अलावा कुछ बातें पहले छूट गयी थी उनकी ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अध्यापक और प्रधानाचार्य हों उन्होंने मांग की है कि २५० रु० उनको आवास भत्ता दिया जाय वह स्वीकार होना चाहिए। और जो नया वेतनक्रम १५ सौ से २२ सौ अध्यापकों का और १५ सौ से २५ सौ प्राचार्यों का, वह भी स्वीकार होना चाहिए।

यह जो तीन वर्ष का कोर्स किया गया है इसके लिए कुछ सलेक्टेड जिले लिये गये हैं यह अन्याय है। शिक्षा जगत में दोहरी नीति का अनुसरण करना उचित नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो दोहरी नीति है इसे न कर पूरे प्रदेश में तीन साल का कोर्स लागू करें। अगली बात, जिसकी ओर मैं विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि शासन का सरकार का मेन मुद्दा ट्रांसफर पर टिका हुआ है। इसमें इतना करप्शन है कि प्राइमरी से डिग्री कालेजों के टीचर्स तक का काम बिना रिश्वत दिये हुए नहीं हो पाता है। यह एक प्रकार से व्यवसाय बन गया है, इसको अविलम्ब समाप्त करना चाहिए। इन्टरमीडिएट बोर्ड के विकेन्द्रीकरण की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि मेरठ और बनारस में इसकी इकाई कायम हो गई है, लेकिन आपको पूरी तरह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। इतने से काम चलने वाला नहीं है, ताकि जो हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। परीक्षा में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं तो डर गया कि डिप्लोमा में भी एक कम्प्टीटिव परीक्षा होगी।

जब से बच्चा पैदा होता है, उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है और बार-बार जीवन भर उसे तमाम परीक्षाओं के बीच से ही गुजरना पड़ता है। स्कूल की परीक्षा, प्रवेश के लिए परीक्षा और नौकरी के लिए परीक्षा, उसे जाने कितनी बार इससे निकलना पड़ता है। तो इसको मैं समाप्त करने की मांग करता हूं। पाठ्यक्रम को कम करने की बात वास्तव में सराहनीय है जो मंत्री जी ने कहा है। मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति देने का जो निर्णय रामनरेश यादव जी ने लिया था, वह एक अच्छा कदम था। लेकिन उसको आपने बिना सोचे समझे खत्म कर दिया है। आप पिछड़े वर्ग के और पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रोत्साहन अवश्य प्रदान करें।

[श्री सूबेदार सिंह—]

मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के छात्रों के साथ पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देने की बात आप सोचें । छठवीं पंचवर्षीय योजना में गवर्नमेन्ट कालेजेज की दशा का जो बखान किया गया है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाने के लिए उसके पृष्ठ ४६७ के (१४) से पढ़ना चाहता हूं, इसमें है:—

"General conditions of the Government institutions in terms of buildings, furnitures, laboratories and equipment are far from satisfactory. These institutions are expected to be pace-selters in the field of secondary education, but in their present state have been unable to achieve the objectives."

श्री अध्यक्ष—

इसका आप हिन्दी कर दें ।

श्री सूबेदार सिंह—

ठीक है किये देता हूं । कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी कालेज हैं, उनकी लेबोरेटरी, इक्विपमेन्ट और भवन की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह असंतोषजनक है । सरकारी कालेजों के लिए यह माना जाता है कि वह अपने क्षेत्र में दिशा निर्देशन देने वाले हैं । लेकिन आज उसकी दशा बिलकुल विपरीत है । इसको पढ़ने के बाद सरकार की जो स्वप्निल जगत में विचरण करने की आदत है, इससे उसको बचना चाहिए । आज की शिक्षा देश और प्रदेश के लिए एक चुनौती है और उनको इस चुनौती को बहादुरी से फेस करना चाहिए और सबको मिलकर एक मंच पर आकर सड़ी-गली शिक्षा प्रणाली को, लार्ड मैकाले द्वारा प्रदत्त शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए । आप इस बजट को भले ही एक बार फेल कर दें, लेकिन छात्रों का शीघ्र से शीघ्र उद्धार होना चाहिए आज आवश्यकता सुधारों की नहीं, आपरेशन करने की और क्रान्तिकारी कदम उठाने की है । अब आने वाली पीढ़ी के साथ ज्यादा अन्याय न किया जाय ।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को सरकार स्वीकार करे और शिक्षा प्रणाली में जो बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है, उनको वह इसमें समावेश करे ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पक्ष एवं विरोध पक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इतने सुन्दर और अच्छे-अच्छे सुझाव प्रस्तुत किए हैं । मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उनके सुझावों से फायदा उठाकर हम शिक्षा की प्रगति को मेनटेन कर सकें ।

मान्यवर, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण को सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी नीतियों के प्रति उनकी प्रतिरोध की कोई भावना नहीं है । केवल उन्होंने इतना कहने की कोशिश की है कि हम किस प्रकार से उन नीतियों का प्रयोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करें और कार्यान्वयन करें। सैद्धान्तिक रूप से उन्होंने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि वे हमारी नीतियों के विरोधी हैं इस बात में हम सब एक हैं। हम सबका एक ही विचार है कि प्राइमरी शिक्षा को सुधारने के लिये हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इसको हम इतना महत्व देते हैं कि हमने अपने बजट का ५३ प्रतिशत प्राइमरी शिक्षा के लिए निश्चित किया है। जहां तक टीचर्स के इन स्कूलों में समय से आने का प्रश्न है और ठीक से न पढ़ाने का सम्बन्ध है उनके लिए मैंने निवेदन किया था कि हमने नवम्बर माह में ही एक कान्फ्रेन्स की थी जिसमें अपने आफिसर्स और मंडलीय स्तर के लोगों को बुलाया था कि किस प्रकार हमें अपने प्राइमरी स्कूलों की निरीक्षण व्यवस्था के द्वारा सुधार कर सकें और उस निरीक्षण करने के लिए एक प्रोफार्मा भी तैयार किया गया है और उसमें यह आदेश दिए गए हैं कि जो निरीक्षण करने वाला अधिकारी है वह वहां के लोकल लीडर्स और बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करे क्योंकि लोकल पापुलेशन को हम उसमें इन्वाल्व करना चाहते हैं। उनकी मदद से हम शिक्षा जगत में सुधार करना चाहते हैं।

भवनों के निर्माण का जहां तक सम्बन्ध है अभी हमारे राज्य मंत्री ने आवाहन किया है और यह निवेदन किया है कि जहां पर हम स्कूल खोलना चाहते हैं, वहां ग्रामीण जनता हमको स्कूल खोलने में या भवनों के निर्माण करने में हमें सहयोग प्रदान करें तो हम एक जन आन्दोलन के रूप में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के कार्य को लेना चाहते हैं। अभी श्री सूबेदार सिंह जी ने लार्ड मैंकाले की शिक्षा प्रणाली के बारे में कहा। इसके सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मैंकाले की बात बहुत पुरानी हो गई है और उन्होंने जिस प्रणाली की शुरुआत की थी उसके बाद जब-जब कांग्रेस की सरकारें आयीं, उन्होंने शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसमें बहुत नयी नयी बातें इन्ट्रोड्यूज की। सबसे पहले हमारे देश और प्रदेश में पोलिटेक्निक्स और इन्जीनियरिंग कालेजेज स्थापित हुए। टेक्निकल शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया। अंग्रेजी को कम्पलसरी न करके ऑप्शनल बनाया गया और प्रदेशीय भाषाओं की प्रगति की पूरी कोशिश की। तो यह कहना उचित नहीं है कि हम आज भी मैंकाले की शिक्षा पद्धति पर ही काम कर रहे हैं। अगर उस जमाने में रेल गाड़ियां चली थीं तो उसका मतलब यह नहीं है कि हम उनमें कुछ सुधार न करें। जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति होती है, वैसे-वैसे रेल गाड़ियों में भी प्रगति होती है। इसी प्रकार से शिक्षा पद्धति में भी नये-नये सुधार हुए हैं और इसके कारण ही हमारे देश और प्रदेश में जो विकास हुआ है, वह आपके सामने है। आप स्वाभिमान की बात करते हैं। जब हमारे देश पर वाह्य आक्रमण हुआ था, विदेशियों द्वारा आक्रमण हुआ था, उस समय हमारी जनता ने विदेशियों के आक्रमण का सामना किया

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

हैं। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि हमारे देश में, किसी प्रकार भी, अन्य देशों से कम राष्ट्रप्रेमी नहीं हैं ? कुछ माननीय विधायकों को जो एक-दो गलत फहमियां हुई हैं, उनको मैं साफ कर देना चाहती हूं अभी टेहरी के बारे में एक विधायक महोदय ने कहा, मैं उनको यह सूचित करना चाहती हूं कि टेहरी जनपद में २६ स्कूल स्थापित करने की स्वीकृति हो चुकी है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, यह पिछले साल के बजट का आप जिक्र कर रही हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जूनियर हाई स्कूल के शुल्क के सम्बन्ध में कहा तो जो प्राइवेट जूनियर हाई स्कूलों में शुल्क लिया गया है, उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि वह अवश्य वापस कर दिया जायगा और फिर राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कुछ शंका व्यक्त की कि हिन्दी के दो पेपर्स हो गये हैं, उसमें ऐसा है कि उसमें संस्कृत को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं उनको बता देती हूं कि उनकी शंका निराधार है। दो पेपर करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी हिन्दी भाषा की जो संस्कृत आधारशिला है, उसको सभी जानते हैं कि मिनिमम संस्कृत की नालेज के बिना हिन्दी की नालेज नहीं होगी। इसलिए जैसा कि और भी प्रदेशों में दो पेपर्स हैं, यहां पर भी दो पेपर्स हो गये। मैं शिक्षक के नाते यह बता देना चाहती हूं कि चावल का एक दाना देखना कि चावल पका है या कच्चा है, काफी होता है। जानने के लिए मैं किसी भी अध्यापक को बता सकती हूं कि इसको संस्कृत की नालेज है या नहीं। विद्यासागर जी ने यह कहा कि सत्र का नियमितीकरण हो गया ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं उनको यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैंने यह नहीं कहा, बल्कि यह कहा कि सत्र का नियमितीकरण वगैरह आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन-मरण का प्रश्न है।

मुझे खुशी है यह एनाउंस करते हुए कि कुछ विद्यालयों से यह लिखित आ गया है कि अप्रैल में उनकी परीक्षा प्रारम्भ हो जायगी। अगर अप्रैल में परीक्षा शुरू हो जाती है उन २, ४, ५, विश्वविद्यालयों में, तो वहां तो नियमितीकरण की शुरुआत तो हो जायगी। १९८२ तक हर हालत में अपने सत्र का नियमितीकरण कर देना बहुत आवश्यक है, नहीं तो मैं बहुत पिछड़ जाऊंगी। यह बहुत सुझाव दिया गया कि कुछ मैनेजमेन्ट स्कूलों को सरकार को देना चाहते हैं तो अगर कुछ स्कूलों का मैनेजमेन्ट कुछ स्कूल देना चाहते हैं और वे स्वयं मैनेजमेन्ट नहीं कर सकते हैं और वे चाहते हैं कि सरकार को दे दिया जाय, तो वे हमारे पास प्रोपोजल भेजें, मैं उस पर गौर करूंगी और उस पर अवश्य उचित कार्यवाही करने का मैं वादा करती हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र अग्निहोत्री जी आपस में बातचीत न करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

एक माननीय सदस्य ने कहा कि डिप्लोमा की जो संयुक्त परीक्षा है, उसके शुल्क की २५-२ ८१ अंतिम तिथि है, तब तक २५ रुपया जमा नहीं होता है, तो उसके बाद फाइन लगेगा। उसके लिये समय निर्धारित करना ही पड़ेगा नहीं बिना कुछ दण्ड लगाये टाइम से प्रार्थना पत्र नहीं आते। लेकिन उसमें कोई अन्तर नहीं है।

फिर एक और सुझाव आया कि समान शिक्षा पद्धति हो। मान्यवर, समान शिक्षा पद्धति हम भी चाहेंगे लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि प्राइमरी स्कूल के बारे में आप लोग इतना हतोत्साहित क्यों हैं? हम तो चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल ऊंचे उठें। लेकिन, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इसे माननीय सदन में कहना चाहती हूं कि ये वही प्राइमरी स्कूल हैं, कि जिसकी मिट्टी पर बैठकर फटे हुए टाट-पट्टी और टूटे हुए भवनों में पढ़कर बड़े बड़े नेता हुए। इन्हीं प्राइमरी स्कूलों ने हमको बड़े-बड़े वैज्ञानिक और बड़े-बड़े नेता दिये हैं। इन्हीं स्कूलों ने लाल बहादुर जैसे लाल दिये हैं और इन्हीं स्कूलों ने हमें रफी अहमद किदवई जैसे नेता दिये हैं। इन्हीं स्कूलों ने वे तमाम बहुत से सिपाही दिये हैं, जिन्होंने अपनी जान हथेली में रखकर हिमालय की गोद में जाकर देश की लाज की रक्षा के लिये कुरबानियां दी हैं। मान्यवर, यह भारतवर्ष के इतिहास में पहला मौका है जब कि कोई विदेशी हमारी भारत माता के आंचल को छू नहीं सका। हमारी पैदावार को धक्का नहीं पहुंचा सका वरना, मान्यवर, जब आक्रमणकारी आते रहे हैं, तो हमारी महिलाओं की बेइज्जती करते रहे हैं और हमारी पैदावार को रौंदते हैं। अभी हाल ही में कई आदमियों का कत्लेआम हुआ लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि यह प्राइमरी स्कूल के ही पढ़े हुये सिपाही हैं कि जब वे जमकर खड़े हो गये, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, तो दुश्मन की फौज ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिया। ये वही हमारे सिपाही हैं प्राइमरी स्कूल की टाट-पट्टी के कि जब खड़े हो गये तो अमरीका का ७ वां बेड़ा मुंह फेरकर लौट गया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

श्रीमती इंदिरा गांधी किस स्कूल में पढ़ी हैं?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में . . .

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं चैलेंज करती हूं कि बतायें . . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, काफी समय इस पर हो चुका है। कृपया अपने भाषण को संक्षिप्त कर दें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूंछना चाहती हूं . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय सूबेदार सिंह जी, आप क्या अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री सूबेदार सिंह—

नहीं, मान्यवर।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं . . . .

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण हो रहा है। मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूं कि इस अमृत वाणी में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूंछना चाहती हूं अपने उधर के माननीय सदस्यों से कितने परसेन्ट लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पायी है ? कृपया खड़े हो जायं। मान्यवर, मैं भी उसी टाटपट्टी के स्कूल की पढ़ी हूं। मैं कहना चाहती हूं कि बतायें कि कतने परसेन्ट लोग अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हैं ?

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं और अपने विपक्ष के भाइयों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जो सुझाव दिये और माननीय सूबेदार सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें। ताकि पूरे प्रदेश के कोने-कोने में शिक्षा की एक-एक मोमबत्ती जला सकें।

श्री अध्यक्ष—

श्री सूबेदार सिंह आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, एक मिनट।

श्री त्रिवेणी राय—

आप वापस ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

श्री त्रिवेणी राय यदि मैं ठीक ढंग से कार्य नहीं समापादित कर रहा हूं तो आप यहां आ जायं। एक मिनट टाइम देने में आपत्ति नहीं है किन्तु कल फिर प्रस्ताव आयेगा कि मंत्री के बोलने के बाद एक मिनट समय दें। तो मैं इस पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूं।

श्री सूबेदार सिंह—

वापस नहीं लेता।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या३३—शिक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३३—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,०९,६६,८२,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३४—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,४४,०२,००० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११०-शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २१०—शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १११—प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १११ प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,५९,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत ११ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें एक सूचना श्री शंकर सिंह की जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक का दिनांक १९ फरवरी, १९८१ को डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिये जाने एवं तीन दिन तक उनको बन्दी बनाये रखने के बाद छोड़ने से जनता में असुरक्षा एवं आतंक के संबंध में है, वक्तव्य के लिए स्वीकार की गई और सभी अस्वीकृत हुई । यह वक्तव्य ७ मार्च को होगा ।

मुजफ्फरनगर के कांधला थाने में कतिपय लोगों की गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से दो लोगों की कथित मृत्यु तथा श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री बहुगुणा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १३/१४ फरवरी, १९८१ के रात्रि में श्रीमती गोमी देवी की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मृत्यु, जो कि शव परीक्षण से दम घुटने के कारण होना पाई गयी, के संबंध में थानाध्यक्ष कांधला द्वारा मृतका के पुत्र श्री रणजीत सिंह तथा उनकी पत्नी श्रीमती मिश्री देवी को पूछतांछ तथा अग्रेतर छानबीन हेतु थाने लाया गया, क्योंकि उन पर संदेह उत्पन्न हुआ था।

२—उपरोक्त घटना के तारतम्य में १५-२-८१ को लगभग साढ़े ६ बजे श्री वीरेन्द्र सिंह, विधायक, के नेतृत्व में लगभग ५०० व्यक्तियों ने थाना कांधला पर आकर श्रीमती मिश्री देवी तथा उनके पति के साथ उक्त पूंछतांछ के दौरान पुलिस द्वारा किये गये कथित दुर्व्यवहार के संबंध में थानाध्यक्ष को गंभीर परिणाम की धमकी दी। उक्त विधायक महोदय कुछ समय के लिये थाने से चले गये और फिर श्रीमती मिश्री देवी, जो कि चारपाई पर लेटी थी, के साथ थाने से लगभग आठ बजे लौटे। थाने पर उपस्थित भीड़ ने इस गलत सूचना के आधार पर, कि श्रीमती मिश्री देवी की मृत्यु हो गयी है, क्रुद्ध होकर थाने पर भारी पथराव प्रारम्भ कर दिया, जिससे थाने की इमारत आदि को भारी क्षति हुई तथा कुछ थाना अभिलेख भी नष्ट हो गये। पुलिस कर्मचारियों के परिवारजनों, जो थाना परिसर में रह रहे थे, पर हमला करने का भी प्रयास किया गया।

३—स्थिति बिगड़ती देखकर थानाध्यक्ष ने चेतावनी देकर लाठी चार्ज के आदेश दिये। इस पर भी भारी पथराव भीड़ द्वारा होता रहा, थाने के कई कर्मचारी बुरी तरह घायल हुए तथा निकटवर्ती पुलिस चौकी पर आक्रमण, आगजनी तथा सम्पत्ति की लूट की गयी। इस पर जब भीड़ तितर-बितर नहीं हुई और भीड़ की ओर से पुलिस पर गोलियां भी चलने लगीं तो पर्याप्त चेतावनी के उपरान्त थानाध्यक्ष के आदेश से पुलिस ने गोली चलाई। पहले अधिकांश गोलियां भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में चलाई गयीं फिर नीचे की तरफ चलाई गयीं। जनता के ५ व्यक्तियों को इससे पैरों तथा जांघों में चोटें आयीं तथा एक व्यक्ति की भीड़ में गिर जाने के कारण हाथ की हड्डी भी टूट गयी। पुलिस की गोली से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना नहीं है। इस घटना में दो पुलिस उप निरीक्षक तथा ८ हेड कांस्टेबिल/कांस्टेबिलों को भी पथराव से चोटें आयीं। श्री वीरेन्द्र सिंह, विधायक तथा हिंसक भीड़ में सम्मिलित २३ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

४—सूचना प्राप्त होने पर जिला मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक तुरन्त घटना-स्थल पर गये। घायल व्यक्तियों का उपचार हो रहा है और उनकी प्रगति संतोषजनक है।

[श्री बृहमदत्त]

५—प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह, विधायक व १६ अन्य व्यक्ति जेल से जमानत पर रिहा कर दिये गये हैं। श्री वीरेन्द्र सिंह को जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा दी गयी थी।

६—थानाध्यक्ष कांधला को निलम्बित करके पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है। इस घटना की मेजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं तथा अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ही कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। प्रारम्भ में माननीय मंत्री जी लिखते हैं कि श्री रणजीत सिंह तथा उनकी पत्नी श्रीमती मिश्री देवी को पूंछताछ तथा अग्रेतर छानबीन हेतु थाने लाया गया था। इसके बाद माननीय मंत्री जी लिखते हैं कि श्री वीरेन्द्र सिंह और उनके साथी आये और फिर वे चले गये और उसके कुछ समय बाद श्रीमती मिश्री देवी को चारपायी पर लाये। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीमती मिश्री देवी और उनके पति कितने बजे थाने पर लाये गये थे और कितने बजे विदा कर दिये गये थे ?

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, थानाध्यक्ष द्वारा पति-पत्नी दोनों को लाया गया था और थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी को वापस कर दिया गया, पति को थाने पर रोके रक्खा गया। इसका समय उपलब्ध नहीं है।

श्री हुकूम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे जनपद का मामला है और संयोग से इस घटना के थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर मुझको भी जाने का मौका मिल गया। इस घटना के तो पक्ष हैं। पहले में माननीय मंत्री जी कातिल पुलिस अधीक्षक को जस्टीफाई करने का प्रयास किया है और दूसरी तरफ आपने कहा है कि उसको निलम्बित कर दिया गया है। समय तो आपको याद नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमती मिश्रा देवी का कोई डाक्टरी मुआयना हुआ ? क्या यह सही है कि उसके ७ चोटें पायी गयीं, जिनमें से दो चोटें स्तनों के ऊपर थीं?

श्री बृहमदत्त—

मान्यवर, यह सही है कि श्रीमती मिश्री देवी को ७ चोटें आयीं और इन ७ चोटों में एक सूजन है "राइट एल्बो" के नीचे। दूसरी बाये हाथ के ऊपरी हिस्से में है। तीसरी दाहिने हाथ के नीचे के हिस्से में है। चौथी, दाहिने जांघ के नीचे और घुटने के ऊपर है। पांचवीं, दाहिने पैर के ऊपरी भाग पर घुटने के नीचे है। छठी, बायें घुटने के ऊपरी भाग है। सातवीं, बायें घुटने के थोड़ा नीचे है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मेरे पास डाक्टरी मुआयने की फोटोस्टेट कापी है। अशंका है कि या तो मा० मन्त्री जी को सही सूचना नहीं दी गयी या वे मामले को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। डाक्टरी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि—

"होल एरिया ओवर बोथ चेस्ट्स कन्ट्यूज्ड रेड"

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है। दो डाक्टरी मुआयने हुए। एक १६ को हुआ, दूसरा १५ को हुआ। मैं १६ वाली डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट पढ़ रहा था। आपने जो सूचना दी है, वह किस तारीख की है।

श्री हुकम सिंह—

१५-२-८१ को ६.३० बजे की यह घटना है। ७ बजे सरकारी अस्पताल में मुआयना हुआ, उस समय मैं वहां मौजूद था और उसी समय की यह रिपोर्ट है जो मैंने पढ़ी और बताया कि उसमें लिखा हुआ है—

"होल एरिया ओवर बोथ चेस्ट्स कन्कन्ट्यूज्ड रेड"

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, माननीय विधायक १५ तारीख की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं भी उसी पर आ रहा था। मान्यवर, मैं कोई चीज छिपाने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इनका कुछ छिपता नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, १५ फरवरी की जो रिपोर्ट है, उसमें वह इस प्रकार है।

1. Contusion on outer part of forearm.
2. Contusion on back of Rt. forearm.
3. Multiple contusion on left arm and forearm.
4. Contusion on Rt. leg below knee.
5. दो कन्ट्यूजन हैं two contusion on left knee.
6. Whole ozee over both brests contused and red.

ब्रेस्ट के ऊपर कन्ट्यूजन है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, यह स्टेटमेंट बिलकुल ब्लाइंड है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १३/१४ की रात को गोमी देवी की मौत हुयी। इस संदेह में कि उसके लड़के और बहू ने मारा है पुलिस मिश्री देवी और उसके शौहर को पकड़ कर ले गयी? तो १३/१४ को वारदात हुयी और १४ को किस वक्त किसने एफ० आई० आर० लाज करायी और उसकी बहू मुलजिम हो गयी? १४ तारीख को किस वक्त पोस्टमार्टम किया गया जिससे पता चला

[श्री रियासत हुसैन—]

कि गला घोंट कर मारा गया है। १४ को ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जिसको छुड़ाने के लिए साढ़े ६ बजे विधायक साहब थाने में पहुँचे, इसकी तफसील हो जाय।

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, १४ फरवरी को रंजीत सिंह जो मृतक का पुत्र था उसने रिपोर्ट लिखाई और केस दर्ज हुआ और १५ तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ।

श्री रियासत हुसैन—

स्टेटमेंट में है कि १५ तारीख को एम० एल० ए० साहब थाने पर आये, तो पोस्टमार्टम किस वक्त हुआ था। किसने रिपोर्ट लिखाई, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि किसने रिपोर्ट लिखाई ? यह जो स्टेटमेंट है इससे संदेह होता है, यह ब्लाइंड स्टेटमेंट है।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, अगर इस वर्जन से सरकार संतुष्ट होती तो थानाध्यक्ष को निलंबित करके लाइन हाजिर न किया जाता। थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया और लाइन हाजिर किया गया। हेड कांस्टेबिल को भी लाइन हाजिर किया गया है। सारा मामला सी० आई० डी० को दे दिया गया है। मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं। अगर हम संतुष्ट होते तो कार्यवाही करने की जरूरत नहीं थी। जो तथ्य प्रकाश में आये वह दिये गये और सारे मामले की जांच अपराध अनुसंधान को दी गयी है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि दो बार डाक्टरी हुयी है तो दो बार डाक्टरी की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, पहले डाक्टरी हुयी और फिर उसके बाद मुजफ्फर नगर में हुयी ताकि ठीक पता चले और उपचार किया जा सके। उपचार भी मुजफ्फर नगर में किया गया है।

श्री सोमांश प्रकाश—

मान्यवर, इस मामले को बड़े तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है। इसमें असलियत यह है कि हमारे जो लोकदल के साथी हैं यह सारा केस उल्टे सीधे तरीके से उन्होंने बनवाया है।

(शोर)

श्री हुकम सिंह—

मेरी आपत्ति है इस पर।

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है। इस वक्तव्य के संबंध में स्पष्टीकरण पूछने की यहां रीति है। कृपया इस वक्तव्य के संबंध में जो आप प्रश्नों के द्वारा जानना चाहते हैं वह प्रश्नों के रूप में पूछें। स्वतः कुछ सूचना न दें।

श्री सोमांश प्रकाश—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि विधायक थाने पर मौजूद थे और विधायक जी की मौजूदगी में जनता के ऊपर गोली चलायी जा रही थी थाने की ओर से और क्या यह भी

जानकारी है कि जनता यह नारे लगा रही थी कि वीरेन्द्र सिंह मुर्दाबाद, जनरल सेक्रेटरी चमन सिंह जिन्दाबाद ?

श्री वीरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जब घटना घटी तो शाम को साढ़े सात बजे मैंने टेलीफोन पर बातचीत की। स्थित स्पष्ट न होने पर उन्होंने मुझे स्वयं थाने पर पहुंचने का आग्रह किया और साढ़े आठ बजे मैंने पुलिस अधीक्षक से बातचीत की।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पूछिये—

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह थाने में पुलिस के कहने पर गये ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक ने जो सूचना दी है उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस वक्तव्य में आखिर में यह बात लिखकर कि मैजिस्टीरियल जांच हो रही है तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। शासन ने दोषियों को बचाने की कोशिश की है। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब यह स्पष्ट आदेश है कि कभी भी पुलिस कर्मी पर अगर इंक्वायरी करने की जरूरत है तो किसी महिला को थाने पर नहीं लायेंगे उसके घर जाएंगे और महिला पुलिस द्वारा इंटेरोगेशन किया जायगा। यह नियम विरुद्ध आचरण क्यों किया गया ? दूसरी बात यह कि इसमें केशवादी की गयी है कि भीड़ आयी और थाने के अभिलेख नष्ट हो गये। जहां थाना है कांधले का वहां बाउन्डरी बनी हुई है। अगर ईंट चलने की बात मान भी ली जाय तो अभिलेखों का नष्ट होना इससे कैसे सिद्ध होता है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जैसा मैंने कहा समस्त जांच के लिए मैजिस्टीरियल इंक्वायरी बैठायी गयी है। पुलिस का जो वर्जन है उससे शासन संतुष्ट नहीं है इसीलिए थानाध्यक्ष को निलम्बित करके जांच करायी जा रही है।

श्री भीखा लाल—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह पुलिस के वर्जन से संतुष्ट नहीं हैं। मान्यवर, वक्तव्य में यह कहा गया है कि वीरेन्द्र सिंह ने जाकर थानाध्यक्ष को धमकी दी, वहां पर भीड़ भी थी, थानाध्यक्ष ने चतावनी दी, इसके बाद लाठी चार्ज कराया गया। इसमें थानाध्यक्ष की कोई गलती नहीं दिखाई देती। तो फिर कौन से ऐसे तथ्य हैं जो प्रकाश में आये और जिनको यहां नहीं दे रहे हैं कि थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त—

रणजीत सिंह ने एक एप्लीकेशन दी जिसकी सूचना अभी मिली है। उसकी बुनियाद पर एक्शन लिया गया और थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया।

श्री किरन पाल सिंह—

पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके नं० ६ पर जो चोटें हैं उनको देखते हुए मंत्री जी यह नहीं समझते कि जो दरोगा है वह पुलिस सेवा के काबिल नहीं है और उसको पुलिस विभाग से सदा-सदा के लिए छुट्टी दे दी जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जो इंक्वायरी रिपोर्ट आयेगी उसी के आधार पर एक्शन लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रणजीत सिंह ने भी एक एफ० आई० आर० लिखाई है। उसकी विवेचना के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी अभी तक हुई या नहीं ? दूसरा यह कि गोलियों से जो लोग आहत हुए हैं उनको कोई कम्पेनसेशन देने के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

रणजीत सिंह की जो एप्लीकेशन एस० पी० को मिली है, उसकी भी सी० आई० डी० द्वारा जांच की जाएगी। जहां तक कम्पेनसेशन देने की बात है, हमारे दो सहयोगी वहां गये श्री अजीत सिंह सेठी और श्री विद्याभूषण। वे सब लोगों से मिले जो अस्पताल में थे और उन्होंने उनको ५०० रुपये मुआवजे के रूप में देने की घोषणा की है। जब हमारे सहयोगी ने घोषणा की है तो वह दिया जाएगा।

श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि श्रीमती मिश्री देवी को थाने में पूछताछ के दौरान उसके हाथ बांधकर पेड़ पर लटका दिया गया, वह रोती चिल्लाती रही और जिससे हजारों आदमी वहां इकट्ठा हो गये। दूसरे आपने कहा कि पुलिस को दोषी पाया गया तो किन-किन धाराओं के अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जो पेड़ पर लटकाने की बात है, यह उसके पति ने आरोप लगाया है, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है रणजीत सिंह के जो एप्लीकेशन है जिसके आधार पर मुकदमा दायर किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं—

'श्री रणजीत सिंह पुत्र गिरधारी सैनी निवासी कांधला की लिखित रिपोर्ट के आधार पर थानाध्यक्ष द्वारा मारपीट आदि किये जाने के संबंध में दिनांक २०-२-८१ को थाना कांधला

में अपराध संख्या ४२ ए धारा १४७, १४८, १४९, २०७, २५४, २२०, २४२, १६१ तथा २०४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत एवं ५(२) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत श्री एस० एन० अग्रवाल, थानाध्यक्ष कांधला व अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कायम किया गया है और इस अपराध की विवेचना भी सी० आई० डी०, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

श्री रणजीत सिंह द्वारा जो एफ० आई० आर० लिखाई गई उसका मुख्य सार क्या है ? वह दरखास्त किस तारीख को दी गई थी जिसकी रिपोर्ट २० तारीख को दर्ज की गई।

श्री ब्रह्मदत्त—

उसी दिन की दरखास्त है जो उसी दिन दर्ज की गई।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय मंत्री जी, रणजीत सिंह का कोई डाक्टरी मुआयना है ? क्या डाक्टर ने यह रिपोर्ट दी कि रणजीत सिंह के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं और ऐसा पेड़ पर लटकाने से ही हो सकता है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

रणजीत सिंह की डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। मिश्री देवी की डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास है।

श्री शंकर सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वक्तव्य में है कि पुलिस पर गोलियां चलने लगीं। तो जब भीड़ ने पुलिस पर गोलियां चलायीं तो क्या पुलिस को एक दो गोलियां लगी या नहीं लगी। दूसरे, जो लोग वहां पर पकड़े गये जो गोलियां चलाने वाले थे उनके पास से कुछ फायर आर्म पकड़ा गया ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मैंने कहा है कि पुलिस को गोली से कोई चोट नहीं आई है, पथराव से चोट आई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज सदन में मुजफ्फरनगर के एक सदस्य दरोगा जी के पक्ष में दिखाई देते हैं, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब मुजफ्फरनगर जिला कांग्रेस (आई) कमेटी के अध्यक्ष चमन सिंह जी को भी दरोगा ने मारा था और बाद में मुजफ्फरनगर कांग्रेस आई के अध्यक्ष ने भी कहा कि यह दरोगा अत्याचार किया करता था और यहां राजेन्द्र त्रिपाठी से भी शिकायत की गयी तो फिर आज क्या कारण है कि उनके पक्ष में माननीय मंत्री बोलते दिखाई दे रहे हैं ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया ।)

श्री रियासत हुसैन—

जब ३०२ में मर्डर की रिपोर्ट होती है तो उसका मोटिव भी होता है । इसमें लड़का रंजीत सिंह तथा उसकी बीबी मिश्री जिनको पुलिस पकड़ कर ले गयी तो पुलिस किस शक के अन्तर्गत उनको पकड़ कर थाने पर ले गयी जब कि लड़के ने ही थाने में रिपोर्ट लिखाई थी । अगर नैचुरल डेथ थी तो रिपोर्ट क्यों लिखाता और अगर अननैचुरल डेथ थी तो उसने क्या रिपोर्ट लिखाई ?

श्री ब्रह्मदत्त—

रणजीत सिंह ने रिपोर्ट लिखाई है कि मैं और मेरी पत्नी अन्दर सोते थे और बाहर मां सोई हुई थीं । जब सुबह उठ कर देखा तो मां मरी पड़ी पाई गयी । मुझे शक है कि मेरी मां की मृत्यु अप्राकृतिक है । इस संबंध में कानूनी कार्यवाही की जाय ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

जब गोलियां चली तो क्या कोई लाइसेन्सड अथवा अनलाइसेन्सड आर्म्स पकड़े गये ?

श्री ब्रह्मदत्त—

कोई लाइसेन्सड अथवा अन-लाइसेन्सड आर्म्स पकड़े जाने की सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

किस मोटिव से पुलिस रणजीत सिंह तथा उसकी बीबी को पकड़ कर थाने ले गयी थीं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

पत्नी और पति दोनों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनके बयान में अन्तर था इसलिए पुलिस उनको और पूछताछ के लिये थाने पर ले गयी ।

श्री किरन पाल सिंह—

जब यह जांच चल रही है जब मुजफ्फरनगर में वही जिलाधिकारी हैं जिससे जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती तो क्या सरकार निष्पक्ष जांच कराने के लिए उन जिलाधिकारियों का तबादला कर देगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । जब जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को रणजीत सिंह की रिपोर्ट मिली तो दरोगा को निलम्बित कर दिया गया, हेड कांस्टेबिल का स्थानान्तरण हो चुका है । इस के अलावा और कोई जरूरत नहीं रह गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे मिलेंगे ।

इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।

लखनऊ :

२५ फरवरी, १९८१

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

श्री रियायत हुसैन—

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विधान सभा
मध्य प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 417 पर)

तालिका

विभिन्न बंधें एवं नाले पर रेगुलेटरों का विवरण

क्रमांक	नाम बंधा /नाला	रेगुलेटर प्रस्तावित संख्या	बंधे/नालों पर स्थित कि0मी0	पूर्ण रेगुलेटर्स	निर्माण धीन रेगुलेटर्स	वर्षाकाल तक बनने वाले रगुलटर्स
1	2	3	4	5	6	7
1	मझौली चन्दौली बंध	8	0–60, 1–80 3–20, 6–25 7,–10, 8–80 7–70, 8–55,	7	..	1
2	नवलपुर अमीना बंध	6	0–30, 1–70 2–85, 3–60 4–08, 6–10	6	..	..
3	गढ़वा परासी चकलाल	1	1–65	1	..	..
4	गढ़वा परासी चकलाल बढोत्तरी बांध	1	0–28	..	..	1
5	परासी चकलाल चुनकी	2	1–40, 4–25	2	..	..
6	जिरासी बड़का गांव	1	6–50	1	..	..
7	बड़का गांव मोतीउर भवाल।	2	0–035, 2–30	1	1	..
8	मोतीपुर भुवाल बनकटा तिवारी।	1	2–08	..	1	..
9	चौथिया दानौर बांध	2	1–13, 2–50	..	1	1
10	चौथिया दनौर बढोत्तरी बांध।	1	0–90	..	..	1
11	नदावर प्यासी बांध	3	0–30, 1–50 2–50	3	..	..
12	वरसीपार प्यासी बांध	1	0–80	..	1	..
13	कोईलार नाला ..	1	0–175	..	..	1
14	भर हंचौरा ड्रेन ..	1	..	..	..	1
15	संवरेजी ड्रेन ..	1	..	..	..	1
16	तालदोंना ड्रेन ..	1	0–10	..	1	..
		33		21	5	

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 423 पर)

तालिका

स्वीकृति वर्ष। जनपद का नाम	मार्ग का नाम तथा लम्बाई (कि0 मी0)	दिसम्बर 1980 तक प्रगति			यातायात योग्य बनने की संभावित तिथि
		वित्तीय लाख रु0	भौतिक (कि0मी0) यातायात योग्य	कटान	
1	2	3	4	5	6
1978-79/ जनपद चमोली					
	1-घाटरामणी के 3 कि0मी0तक (भाग)।	3.10	..	2.50	3/83
	2-गोविन्दघाट-गुरुद्वारा लिंक मार्ग के 1.00 कि0 मी0तक।	1.86	..	0.50	3/82
	3-गोचर सिघोली-मोटर मार्ग के 3 कि मी0।	6.69	..	3.00	5/81
	4-कर्ण प्रयाग-कनखल-ननीसेण मोटर मार्ग के तीन कि0 मी0	3.92	..	2.25	12/81
	5-ताला दवरिया ताल मोटरमार्ग के 4 कि0 मी0 तक।	8.77	1.00	3.00	3/81
	6-काकाडागाड-परकन्णी कुन्डारा मोटर मार्ग के 4 कि0 मी0 तक।	0.29	..	..	3/82
1978-79/ जनपद पौड़ी गढ़वाल					
	1-पथराडा-गेठीछेड़ा मोटर मार्ग के 3 कि0 मी0 तक (भाग)	4.76	2.00	2.50	3 82
	2-ना हसैण-बहेडाखाल मोटरमार्ग के 4 कि0 मी0 तक (भाग)।	8.86	4.00	4.00	3/81
	3-पावोदमदेवल मोटर मार्ग के 3 कि0 मी0 तक।	4.78	..	2.75	3/81
	4-उफल्डा देहलचौरी-मोटर मार्ग के 2.50 कि0मी0तक (भाग)।	3.96	1.50	2.00	3/83

1	2	3	4	5	6
	5–छातोखाल–खेडाखाल मोटर मार्ग के 9 कि0मी तक।	12.01	..	6.00	3/82
	6–पोखालमवासी मार्ग के 3 कि0 मी0 तक।	2.26	..	3.00	6/82
	7–रिखनीखाल–छानीखालअन्द-रोली मार्ग के 4 कि0मी0।	8.25	3.00	4.00	6/62
	8–विजोरापाली–कन्जखाल मार्ग के 2 कि0 मी0।	4.14	1.75	2.00	6/81
1979–80/ जनपद चमोली					
	1–रुद्रप्रयाग–कोटोवर–उमरा नारायण चोपड़ा मोटर मार्ग के 15 कि0मी0 तक।	0.01	..	..	12/83
	2–अगस्त मुनि सेवा भुटवारा–गनेशनगर मोटर मार्ग के 5 कि0 मी0 तक।	0.31	..	..	3/82
1979–80/ जनपद पौड़ी गढ़वाल					
	1–मरोडाव्यास घाट उमरास मोटर मार्ग के 7 कि0 मी0 तक।	0.03	..	..	3/83
	2–क्वीस–समाड़ी मोटर मार्ग के 5 कि0 मी0 तक।	..	..	..	6/84
	3–कोडिया–किमसार मोटर मार्ग के 4 कि0 मी0 तक।	..	..	..	वन विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध करा देने तथा पेड़ काट देने के 3 साल बाद

उत्तराखण्ड सूचना

1	2	3	4	5	6
	4—चैलसैंण—देवीखेत मोटर मार्ग के 5 कि0 मी0 तक ।	0.11	..	..	12/82
	5—ढोटियाव—चपडेड़ा बछड़ामोटर मार्ग के 6 कि0 मी0 तक ।	..	..	..	वन विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध कराने एवं पेड़ काट देने के तीन साल बाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 429 पर)

वाराणसी जनपद में नांद नदी के दक्षिण तथा वरुणा नदी के उत्तर में पड़नेवाले उन ग्रामों की सूची, जो बाबतपुर राजबाहे के कमान्ड में पड़ते हैं तथा जिनमें नलकूप लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है :

क्रमांक	खन्ड का नाम	जिसमें मांग की है	विकास खन्ड	ग्राम का नाम
1		2	3	4
1	नलकूप प्रखन्ड प्रथम	वाराणसी	बड़ागांव	फुलवरिया खररिया तालुके विरांव
2	"	"	"	"
3	"	"	"	मरयापुर
4	"	"	"	इरोपुर
5	"	"	"	पटेर
6	"	द्वितीय	हरहुआ	दीनदयालपुर
7	"	"	"	महेशपुर
8	"	"	"	वीरापट्टी
9	"	"	"	चक्का
10	"	"	"	गोहनीडीह
11	"	"	"	पलिया शंभूपुर
12	"	"	"	होला
13	"	"	चोलापुर	अजाव
14	"	"	चिरईगांव	कादीपुर खुर्द
15	"	"	"	कटेहर
16	"	प्रथम	पिंडा	गाडर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाराणसी जनपद में बड़ागांव से हरहुआ जाने वाली कच्ची सड़क के दक्षिण के क्षेत्र में, जिसकी तोड़ सिंचाई बाबतपुर राजबहा से संभव नहीं है, की सूची जो अधिशासी अभियन्ता पब्लिक नलकूप खन्ड वाराणसी को दी गयी है । नलकूप लगाने हेतु :

क्रमांक	ग्राम का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम
1	टिकरीकलां	20	नेवादा
2	टिकरी खुद	21	खलवाहपुर
3	गोपालपुर	22	खलिया
4	खेरी	23	रसूलपुर
5	इशीपुर	24	जोइरीपुर
6	दयालपुर	25	नन्दापुर
7	पान्डेयपुर	26	चक्का
8	दयालपुर खुर्द	27	कृष्णपुर खुर्द
9	डिघिया	28	इन्दरखारपुर
10	दूबेपुर	29	पान्डेयपुर ता0 चक्का
11	मरजीपुर	30	औरानपुर
12	रामपुर	31	करोगा
13	कृष्णपुर कलां	32	दूनियापुर
14	भोपतपुर	33	महरवारपुर
15	कोईरोकला	34	फतेपुर
16	लोकापुर	35	इटाहा
17	गोरी	36	नामपुर
18	इन्द्रपुर	37	कुसपुरा
19	बलियाकेन	38	पान्डेयपुर ता0 दयालपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 430 पर)

"टिहरीगढ़वाल जनपद में माह जून, जुलाई व अगस्त, 1980 में मार्गों के अवरुद्ध होने तथा खुलने का विवरण"

क्रम सं0	मार्ग का नाम	मार्ग बन्द होने की तिथि	मार्ग खुलने की तिथि	कितने दिन बन्द रहा	संयुक्त व्यवस्था एवं टी0 जी0एम0 ओ0 द्वारा गाड़ियों को चलाने का दिनांक एवं अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	जालल-गजा मोटर मार्ग	4-6-80	17-6-80	14 दिन	मार्ग खुलने की सूचना दिनांक 19-6-80 को मिली जिससे दिनांक 20-6-80 से 21-6-80 तथा दिनांक 26-6-80 से 1-7-80 तक लगातार क्रमशः निम्न वाहन यात्री लेकर गई यू0 एस0 क्यू0 419, यू0 पी0 एस0 7702, यू0 एस0 क्यू0 344, यू0 पी0 एस0 7902, यू0 एस0 के0 2846, यू0 एस0 क्यू0 329, 250, यू0 पी0 वाई0 1424, यू0 पी0 एस0 5798, 7628, यू0पी0 वाई 2109,
		25-6-80	29-6-80	5 दिन	दिनांक 22-6-80 से 25-6-80 तक मार्ग बन्द रहा।
2	धनसाली धुत्तू मार्ग	28-6-80	अधिशासी अभियन्ता द्वारा मार्ग खोले जाने की सूचना नहीं मिली		दिनांक 28-6-80 धुत्तूसे 6 कि0 मी0 पीछे धोपड़ाधार तक बराबर गाड़ी जारी रही बीच-बीच में मार्ग अवरुद्ध होन के कारण गाड़ियां नहीं चल पाई।
			प्राप्त सूचनानुसार मार्ग दिनांक 28-6-80 से 31-8-80 तक बन्द रहा तत्पश्चात् वाहन बराबर चलती रहीं		समलास से आगे सड़क खराब होने के कारण गाड़ी नहीं चली दिनांक 1-9-80 से सड़क ठीक होने पर सम्प्रति निम्न गाड़ियां धनसाली-धुत्तू मार्ग पर चलीं व चल रही हैं-- यू0 एस0क्यू0-408, 430, 427, 321, 336, 342, 324, 329 यू0 पी0 एस0-6480, 7793, 8632, 8498, 5798, 6003, 6605, 6669, 7737, 7859, यू0एस0 के0 3538।

1	2	3	4	5	6
3	चम्बा-मंसूरी मोटर मार्ग	4-7-80	4-7-80	1 दिन	सड़क खुलने की सूचना मिलते ही मार्ग पर गाड़ियां चलती रहीं
		2-8-80	खुलने की सूचना नहीं मिली		
		12-8-80	23-8-80	12 दिन	सिर्फ मार्ग अवरुद्ध होने पर कद्दूखाल, सुबाखोली, तुतरिया मार्ग बन्द रहा अन्यथा बराबर वाहनों का यातायात बना हुआ है। दिनांक 24-8-80 में चम्बा से मसूरी यू0 एस0 क्यू0 320, 231, यू0 पी0 एस0 8632 बसें चलीं।
4	टिहरी धनसाली तिलवाड़-मोटर मार्ग	12-7-80	13-7-80	2 दिन	दिनांक 15-7-80 से इस मार्ग पर भी बराबर गाड़ियां चलती रहीं
		13-8-80	16-8-80	31/2दिन	वाहन संख्या यू0एस0 क्यू0329 291, 336 एवं यू0 पी0 एस0 -5961 गाड़ियां कम्पनी द्वारा मार्ग खुलने पर बुक कीगई
		23-8-80	25-8-80	3 दिन	
		8-8-80	12-8-80	5 दिन	
5	कीर्तिनगर-बड़ियारगढ़ मार्ग	8-8-80	19-8-80	12 दिन	दिनांक 1-9-80से 7-8-80 तक निम्न वाहन बुक कीगई -- यू0 पी0 एस0 5307, 107, 6403, 7771, दनांक 8-8-80 से दिनांक 10-8 80 तक मार्ग बन्द रहा दिनांक 11-8-80 से दिनांक 21-8-80 को निम्न गाड़ियां बुक की गई-- यू0 एस0 क्यू0-318, 495, 413, यू0 पी0 एस0-7769, 9107, 7225, दिनांक 22-8-80 में गाड़ी खराब होने के कारण नहीं गई बाकी अन्य दिनों चलती रहीं।
6	भल्डियाना-लम्बग बिलम्बगांव-प्रतापनगर उत्तर काशी फोल्ड मोटर मार्ग	शून्य	शून्य	शून्य	1-लम्बगांव-उत्तरकाशी मार्ग पर लम्बगांव के समीप मार्ग कटिंग के कारण सड़क बन्द रही जिससे यातायात भी बन्द रहा कटिंग में मलवा मार्ग को अवरुद्ध किए रहा कोई भी वाहन लम्बगांव-फोल्ड की ओर से उत्तरकाशी नहीं गई सम्प्रति मार्ग अभी भी खराब है 2-उत्तरकाशी से लम्बगांव की ओर जहां तक भी यदा कदा मार्ग खुलता रहा वहां तक गाड़ियां बुक की जाती रही।

नत्थी 'ङ'

(देखिये आतरांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 433 पर)

हरदोई डिपो में लगातार 5 वर्षों से उसी जनपद में तैनात कर्मचारियों के नाम की सूची

क्रम–सं0	नाम		पद	तैनाती की तिथि
1	श्री पी0 एन0 मिश्र	..	बी0 सी0	जून, 1966।
2	श्री शरीफ अहमद	..	बी0 सी0	फरवरी, 1975।
3	श्री अब्दुल मजीद	..	फिटर	जून, 1966।
4	श्री दीप सिंह	..	चौकीदार	जुलाई, 1964।
5	श्री निर्मल	..	वाटर ब्वाय	जुलाई, 1964।
6	श्री राम दास		मजदूर	मई, 1966।
7	श्री मोहम्मद फारुक	..	मजदूर	फरवरी, 1973।
8	श्री नन्हें	..	स्वीपर	जुलाई, 1964।

विधान सभा सचिवालय उ0प्र0 लखनऊ

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 440 पर)

तालिका

क्रम सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद/पता	आवास की तिथि
1	श्री निर्मल सिंह सैनी	क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी	2-6-80
2	श्री कृपा शंकर	उप क्रीड़ा अधिकारी	28-6-76
3	श्री सुशील कुमार शर्मा	एन0 आई0 एस0 प्रशिक्षक	1-4-79
4	श्री शनी लाल	ग्राउन्ड्स-मैन	5-1-73
5	श्री हुसैन अली	चपरासी	1-5-74
6	श्री मंकू	चौकीदार	7-1-67
7	श्री लल्लू	चौकीदार	26-5-66
8	श्री सूबेदार यादव	चौकीदार	1-7-72
9	श्री कैसा राम	चौकीदार	17-4-71
10	श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ला	चौकीदार	20-3-78
11	श्री राम सरन	फर्राश	1-6-66
12	श्री भगवन्त	चौकीदार	1-6-66

पी0 एस0 यू0 पी0 61 वि0 सभा 19-3-81-835 प्रतियां (ला0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा